खण्ड-137, अंक-5
शुक्रवार, 24 वैशाख, शक संवत् 1876
(14 मई, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 137 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा।

शुकवार, १४ मई, १९५४

—(०)—

बिधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछो, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजसिंह श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री

मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मांधाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री

लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं द्वारा मुस्लिम सम्मेलन, लखनऊ में साम्प्रदायिकता का प्रचार

**१--श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में जमैयत इस्लामी, मुस्लिम जमात, अंजुमन तरक्कियें उर्दू, मजलिसे अहरार खद्दाम खल्क, खाकसार संघ आदि-आदि लीगी मनोवृत्ति की अनेक साम्प्रदायिक संस्थायें उभड़ रही हैं ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--कुछ मुस्लिम संस्थायें लीगी मनोवृत्ति लेकर साम्प्रदायिकता अवश्य फैला रही हैं। परन्तु प्रश्न में कथित सभी संस्थाओं के लिये यह बात नहीं कही जासकती है।

**२--श्री धर्मसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि अप्रैल, १९५४ में हुए मुस्लिम सम्मेलन लखनऊ ने अपने सम्मेलन में क्या-क्या प्रस्ताव पास किये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, यदि प्रश्न में कथित मुस्लिम सम्मेलन से सदस्य महोदय का तात्पर्य उस अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन से है, जो काश्मीर के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गत २३ से २५ अप्रैल तक लखनऊ में मजलिसे अहरार खद्दाम खल्क द्वारा आयोजित किया गया था।

**३--श्री धर्मसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि मुस्लिम सम्मेलन में राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय पताका का बहिष्कार किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस अवसर पर राष्ट्रीयपताका नहीं फहरायी गयी और न राष्ट्रीय गान गाया गया परन्तु इसको बहिष्कार कहना उचित न होगा।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि उन संस्थाओं के पीछे दोबारा मुस्लिम लीग को पनपाने की कोशिश की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो उन संस्थाओं के उद्देश्य हैं उनसे तो ऐसा नहीं मालूम होता लेकिन जो उन संस्थाओं के संचालक हैं उनके मन में क्या चीज है उसे मैं नहीं जानता।

श्री धर्मसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न नम्बर १ में जो संस्थायें हैं उनमें से बहुतों का पाकिस्तान से नाता जुड़ा हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रत्यक्ष रूप से तो किसी का नहीं जुड़ा हुआ है, अन्दर से जो कुछ भी जुड़ा हुआ हो।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन साम्प्रदायिक संस्थाओं के खतरे की रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर उनकी तरफ से कोई कानून के खिलाफ काम हो तो उसकी कानूनी कार्यवाही की जाती है अन्यथा जब तक कोई खास काम नहीं होता है कानून के खिलाफ, तब तक उनकी गतिविधि पर ही देख-भाल रक्खी जा सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार उन संस्थाओं को जो साम्प्रदायिकता फैलाती हैं गैर कानूनी करार देने पर विचार करने के लिये तैयार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस किस्म के विचार तो हम करते ही रहते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि अलीगढ़ में गत वर्ष आल इंडिया मुस्लिम कन्वेशन, जो हुआ था उसमें साम्प्रदायिकता के खतरे को रोकने के लिये कितनी गिरफ्तारियां हुयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी ठीक संख्या तो इस वक्त याद नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसके सेक्रेटरी गिरफ्तार हैं और शायद एक और साथी भी गिरफ्तार हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ कान्फ्रेंस में क्या-क्या रेजोल्यूशन पास किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि सवाल अलीगढ़ सम्मेलन के सम्बन्ध में नहीं था, इसलिये उसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---सरकार ने अब तक साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाली संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की, इसे बतलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसा मैंने पहले कहा कि संस्थाओं के खिलाफ तो कोई खास कार्यवाही हुई नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उन संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले कोई कानून के खिलाफ काम करते हैं तो जरूर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाती है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि लखनऊ मुस्लिम कान्फ्रेंस में भी वही प्रस्ताव पास किये गये हैं, जो कि अलीगढ़ में पास किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नहीं, ऐसा तो नहीं मालूम होता है, क्योंकि प्रस्तावों को मैंने देखा है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में मुख्यतः इन संस्थाओं का संगठन है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है कि किस-किस जिले में इनका संगठन है। सबका जवाब इस वक्त देना मुश्किल है ?

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बख्शी गुलाम मुहम्मद, प्राइम मिनिस्टर, जम्मू और कश्मीर ने कितने प्रस्तावों का विरोध करते हुए यह कहा था कि इससे साम्प्रदायिकता फैलती है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता। आप बहुत ब्योरे में जा रहे हैं। साधारण तौर पर किसी प्राइवेट संस्था के सम्बन्ध में सवाल किये जा सकते हैं, लेकिन जब तक कोई जुर्म वगैरह का सवाल न हो तब तक ब्यौरे में प्रस्तावों के संबंध में राय पूछने की मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कांफ्रेंस में भाषण हुए थे वे सरकार को नोट कराये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, भाषण तो नोट हैं हमारे पास।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि इन साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा पाकिस्तान प्रेस और रेडियो से साम्प्रदायिकता का प्रचार हो रहा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जो कि साम्प्रदायिक संस्थायें हैं, ऐसा हमको मालूम होता है कि उनका कुछ हद तक प्रचार होता है, पाकिस्तान से।

श्री राजनारायण द्वारा अनशन करने के सम्बन्ध में सूचना

**४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण सिंह सदस्य, विधान सभा ने सरकार के पास इस तरह का कोई पत्र लिखा है कि १३ मई सन् ५४ से वे अनशन करेंगे?

**५—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री उस पत्र की प्रतिलिपि टेबुल पर रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०८-४०९ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राजनारायण, एम० एल० ए० ने कानपुर में चुनाव के सम्बन्ध में होने वाली घटनाओं की जांच हाई कोर्ट के जजों द्वारा की जाने की मांग की है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो कुछ मांग उन्होंने की वह तो माननीय सदस्य ने देख ही ली होगी। लेकिन जहां तक जांच की बात है जब तक मुकदमा अदालत के सामने है तब तक इसका कोई प्रश्न नहीं होता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नेता विरोधी दल ने कानपुर के उक्त चुनाव में जो उनके साथी गिरफ्तार हुए थे उनके साथ भी वही व्यवहार करने की मांग की है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने महज इस मामले में ही नहीं बल्कि उनका कहना है कि आमतौर से सभी राजनैतिक बंदियों को सुपीरियर क्लास देना चाहिये। खासतौर से उनकी मांग यह है और उसकी बाबत सदन में कई बार जिक्र किया जा चुका है कि जो उसके नियम हैं उनके मुताबिक क्लासिफिकेशन होता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि श्री राजनारायण ने जिला जेल कानपुर से सरकार के पास कई पत्र लिखे और सरकार ने किसी पत्र का उत्तर नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल इससे नहीं उठता। आपने कई पत्र नहीं बल्कि एक पत्र के बारे में ही मूल प्रश्न में पूछा है। आप फिर से सवाल पूछिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार ने इस पत्र का जवाब श्री राजनारायण को दिया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इस पत्र का उत्तर उनको मिल गया है।

श्री झारखंडे राय—जिस पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रखी हुई है, क्या गृह मंत्री उसकी मुख्य बातों को बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं उस पत्र को पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—पूरे पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसकी मुख्य बातें आप बता दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुख्य बात तो उन्होंने यह लिखी है:

"We intimate to you that we demand better treatment for political prisoners and a Judicial Enquiry Committee presided by a High Court Judge to give its findings on all matters connected with the lathi charge on workers, the demeanour of the local authorities on the election day and other incidents culminating into our arrest and after."

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो पत्र लिखा है उसके अलावा भी उनके अनशन का कोई कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्भव है आत्मशुद्धि के लिये कर रहे हों, लेकिन उसकी कोई सूचना हमको मिली नहीं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनारायण जी को साधारण हवालातियों के साथ में रखा गया है या पृथक् जेलखाने में रखा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनको सुपीरियर क्लास दिया गया था, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया है ।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या सरकार को इत्तिला है कि माननीय राजनारायण जी ने आज १४ तारीख से अपना फास्ट शुरू कर दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कल रात को उनका एक तार आया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने अपना अनशन पोस्टपोन कर दिया है और यह लिखा है कि हमारे केस को छोड़कर बाकी मामलों की जांच करा ली जाय । मैंने उनको जिला अधिकारियों के द्वारा सूचना दे दी है कि किसी मामले को अलग नहीं किया जा सकता, सब मामले एक साथ ही रहेंगे ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या जेल में खाना अच्छा न होने के कारण वे खाना छोड़ रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने यह इसमें लिखा नहीं है। बाकी वह कह सकते हैं इस बात को ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी इस तार को पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे, जो श्री राजनारायण जी के पास से आया है ?

श्री अध्यक्ष—कौन सा तार पढ़ें ? किस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री श्रीचन्द—कल जो तार आया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त मेरे पास तार नहीं है, लेकिन इसके विषय में मैंने आपको बतला दिया है ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि श्री राजनारायण जी को १०७/११७ में जमानत हो जाने के बाद जब वह जेल से रिहा किये जाने वाले थे, तो उनको फिर १८८ में गिरफ्तार कर लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—इसकी बाबत मैं सदन में सूचना सुना चुका हूं और इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—इसके सम्बन्ध में लेटर में लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—लेटर में लिखा है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—आपको इसका जिक्र करना चाहिये था ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि श्री राजनारायण जी को १०७/११७ में जमानत हो जाने के बाद भी वह दुबारा १८८ में गिरफ्तार कर लिये गये ?

श्री अध्यक्ष––यों आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं बल्कि आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि पत्र में क्या यह लिखा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण जी ने ए क्लास ट्रीटमेंट लेने से क्यों इन्कार किया है?

श्री अध्यक्ष––यह आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने ए क्लास ट्रीटमेंट न लेने के क्या कारण बतलाये हैं। जिस शक्ल में प्रश्न पूछा है वह उचित नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय राजनारायण जी ने क्या कारण बतलाये हैं, जिनकी वजह से उन्होंने ए क्लास ट्रीटमेंट लेने से इन्कार किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने यह कारण बतलाया है कि और लोगों को सुपीरियर क्लास नहीं दी गई, इसलिये वह नहीं लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो और उनके साथी पकड़े गये हैं, उनको भी सुपीरियर क्लास दी जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––हम तो हर चीज़ पर विचार करते हैं। साथी लोग यदि जमानत देकर चले आयें तो सवाल ही पैदा नहीं होगा।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत डकैती, राहजनी, हत्याएं, दंगे और सेंधें तथा उन्हें रोकने के उपाय

*१––श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के प्रत्येक थाने के अन्तर्गत मार्च, १९५२ ई० से मार्च, १९५३ ई० तक कितनी डकैती, राहजनी और हत्यायें हुईं, कितने दंगे हुए और कितनी सेंधें लगीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४१० पर।)

*२––श्री बाबूनन्दन––क्या सरकार उपर्युक्त घटनाओं के रोकने के लिये कोई नई योजाना बनाने जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––आमतौर से लिये जाने वाले एहतियाती उपायों के अलावा सरकार ने ग्राम-रक्षक-दल की स्थापना के लिये, जिलाधिकारियों को विशेष आदेश दिये हैं। पिछले कुछ महीनों में इस ओर काफी प्रगति भी हुई है।

श्री बाबूनन्दन––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नक्शे में जो कत्ल, डकैती, हत्या और दंगे होना बतलाये गये हैं, उनके प्रति जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ क्या व्यवस्था की गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––अगर यह साबित हो कि किसी सरकारी अधिकारी ने डाका डाला है या खून किया है तो जरूर उसको सजा होगी।

श्री बाबूनन्दन––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-रक्षा-दल के ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था की गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––ग्राम-रक्षा-दल वालंटियर्स की संस्था है, उनकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन इस बात की कि लाठी किस तरह चलायी जाय और डाकुओं का किस तरह से मुकाबला किया जाय, उनको शिक्षा दी जाती है।

आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश किसान सभा द्वारा गलत इन्दराज के विरुद्ध सत्याग्रह और गिरफ्तारियां

*३--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश, किसान-सभा द्वारा संचालित, जो सत्याग्रह गलत इन्दराज और बेदखलियों के विरुद्ध, आजमगढ़ जिले में किया गया है उसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--९७।

*४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये गिरफ्तारियां किन दफाओं के मातहत की गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७ व १०७/११७ के मातहत ५२ आदमी गिरफ्तार किये गये। शेष इंडियन पेनल कोड के विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार हुये। वे धारायें इस प्रकार हैं :

११४, १४३, १४५, १४७, ४४७ और २२८।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सत्याग्रहियों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफाओं में क्यों गिरफ्तार किया गया ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह कानूनी राय है। आप स्वयं जान सकते हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास ऐसी भी शिकायतें आयीं कि गिरफ्तारियों के समय सत्याग्रहियों पर पुलिस वालों ने लाठी-चार्ज भी किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो पुरानी बात हो गयी। यह कई बार, कई प्रकार से इस सदन में पूछी जा चुकी है और मैं उसका उत्तर दे चुका हूं कि शिकायतें आईं, शिकायतों की जांच हुई और शिकायतें गलत साबित हुईं।

आजमगढ़ जिले के कम्युनिस्ट नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रधान मंत्री तथा जिला कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री की नजरबन्दी का कारण

*५--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रधान मन्त्री तथा जिला कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री नजरबन्द किये गये हैं ? क्या उन पर लगाये गये आरोपों की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आजमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता श्री झारखंडे-राय नजरबन्द नहीं किये गये। प्रश्न में किसी का नाम न होने से उत्तर देना कठिन हो जाता है परन्तु इस समय उस जिले में कोई नजरबन्द नहीं है।

श्री झारखंडे राय--इस प्रश्न में साफ-साफ किसान सभा के प्रधान मंत्री के बारे में पूछा गया है, जिसकी सूचना जरूर सरकार के पास है। उसका उत्तर न देकर कुछ और बताया गया। इसलिये यह जवाब गलत है।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न दोबारा पूछिये।

श्री झारखंडे राय--जिन दो सज्जनों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था, वह छूट गये हैं। इसलिये मैं और कुछ कहना नहीं चाहता।

जिला जेल कानपुर की महिला बैरक में निर्धारित संख्या से अधिक कैदियों को रखना

*६--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला जेल की महिला बैरक में सन् १९५२ में ४० और ४५ तक स्त्रियां बन्द की गईं जबकि उक्त बैरक की कैपेसिटी केवल १० की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला जेल, कानपुर की महिला बैरक में १२ महिलाओं के रहने की जगह है परन्तु सन १९५२ में उसमें ज्यादा से ज्यादा ३१ स्त्रियां कुछ दिनों तक रहीं। बैरक में भीड़ कम करने के लिये एक तम्बू बाहर हाते में लगाया गया था जिसमें कुछ महिलायें रक्खी जाती थीं।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार ऐसे हवालातियों के लिये जगह बढ़ानें की सोच रही है, चूंकि वहां जगह बहुत कम है और कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है, या वहां के कैदियों को कहीं और ले जाना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ ऐसा खयाल हो रहा है कि यदि आवश्यकता हो तो जगह भी बढ़ाई जाय और वहां की हवालाती महिलायें वहीं रखी जावें।

कानपुर जेल अस्पताल में छुआछूत की बीमारी के रोगियों के लिए अलग स्थान

*७--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर जेल अस्पताल में सब प्रकार के रोगी एक ही बैरक में रक्खे जाते हैं और उसमें टी० बी० के रोगियों को अलग रखने का स्थान नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, छुआछूत की बीमारी के रोगियों के लिये दो अलग कोठरियां हैं। जहां तक टी० बी ० के रोगियों का प्रश्न है, यह रोग घोषित हो जाने पर कैदी को जिला जेल, सुल्तानपुर भेज दिया जाता है।

बुलन्दशहर जिले में ग्राम रक्षा समितियां तथा समितियों के बनाने के नियम

*८--श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ग्राम रक्षा समितियां कितने ग्रामों में स्थापित हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बुलन्दशहर के समस्त १,५६७ ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियां स्थापित हो गई हैं।

*९--श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रक्षा समितियों के बनाने का क्या नियम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम रक्षा समितियों के बनाने के कोई विशेष नियम नहीं हैं। इन समितियों में स्वयं सेवक लोग ही रखे जाते हैं। ग्राम के समस्त भले और कानून पालन करने वाले व्यक्तियों की सहायता ली जाती है और उन्हीं के द्वारा इन समितियों का संचालन होता है। इनके बनाने का ध्येय यह है कि ग्रामीण डाकुओं, चोरों और गुन्डों से स्वयं अपनी रक्षा करना सीखें और ऐसा समय पड़ने पर उनका सामना करें।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार इन रक्षा समितियों को हथियार देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इस प्रश्न का उत्तर इसी सत्र में ४-५ बार दे चुका हूं और मैंने बार-बार कहा कि यह प्रश्न हमारे यहां विचाराधीन है।

---

*नोट---तारांकित प्रश्न ६-७ श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम रक्षा समितियों के साथ कितने एनकाउन्टर हुए और कितने सफल हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सारे प्रदेश के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--बुलन्दशहर के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बुलन्दशहर की बात तो पूछी नहीं गयी, इसलिये नहीं बतला सकता, लेकिन प्रदेश में कई मुकाबले हुये और बहुत अच्छे मुकाबले हुए।

जमीर हुसेन सब-इन्सपेक्टर थाना राबर्टसगंज (मिर्जापुर) के हाथों एक आदमी की मृत्यु तथा सब-इन्सपेक्टर का पाकिस्तान को पलायन

*१०--श्री देवमूर्तिराम (जिला बनारस)--क्या सरकार को पता है कि जमीर हुसेन नामक सब-इंस्पेक्टर, थाना राबर्ट्सगंज. जिला मिर्जापुर ने चोर के सन्देह में एक आदमी को इतना मारा कि वह जान से मर गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*११--श्री देवमूर्तिराम--क्या यह सही है कि इसी जुर्म में वह गाजीपुर जिले की पुलिस लाइन में भेजा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुअत्तल कर के वह गाजीपुर भेजा गया।

*१२--श्री देवमूर्तिराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सब-इंसपेक्टर को किस तारीख को गाजीपुर जाने का आदेश प्राप्त हुआ और उसने किस तारीख को अपनी पहुंच गाजीपुर में दिखलाई ? क्या यह सही है, कि वह पाकिस्तान भाग गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२९-१०-१९५३ को आदेश दिया गया और ३१-१०-१९५३ को गाजीपुर पहुंचा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह पाकिस्तान भाग गया।

श्री देवमूर्तिराम--क्या सरकार मरे हुये व्यक्ति का नाम, पता और उसके परिवार की संख्या बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मरे हुये व्यक्ति का नाम तो है मंगरू कोल और उनका पता गांव सहजन, थाना राबर्ट्सगंज और जिला मिर्जापुर। कुटुम्ब की कोई सूचना नहीं है।

श्री देवमूर्तिराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरे हुये व्यक्ति के कुटुम्बियों को कोई हर्जाना देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि, जो आदमी मरा है उसकी लाश बरामद हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस दरोगा के ट्रांसफर आर्डर हो जाने के कितने दिन बाद सरकार को पता चला कि वह भाग गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९ अक्तूबर को वह गाजीपुर पहुंचा। १८ को किसी मुकदमे में गवाही देने के लिये वह मिर्जापुर गया था। वहां उसे मालूम हुआ कि उसके ऊपर खून का मक़दमा चलाया जायगा। १९ को लौट कर गाजीपुर आया। वहां से उसने स्त्री की बीमारी के नाम पर ५ दिन की छट्टी ली और फिर लौट कर आया नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वह सब-इंसपेक्टर पुलिस गिरफ्तार नहीं किया गया जब कि उस आदमी की मृत्यु हो गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस वक्त तक पूरा सबूत नहीं मिल सका था। इसीलिये मुअत्तल करके दूसरी जगह भेजा गया कि वहां रहेगा तो सबूत मिलना और मुश्किल हो जायगा। इसलिये उसे दूसरे जिले में भेज दिया गया और उसके बाद पांच ही छः रोज के अन्दर उसे भागने का मौक़ा मिल गया।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केवल उस सब-इंसपेक्टर का ही हाथ उसके मारने में था या उसमें थाने के दूसरे कर्मचारी भी शरीक थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक पलटू नाम के कांस्टेबुल की बाबत भी शिकायत थी लेकिन सब-इंस्सपेक्टर तो भाग गया और पलटू के खिलाफ काफी सबूत नहीं मिल सका।

पुलिस अधिकारियों को वर्दियां देने के नियम

*१३---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों में किन-किन को सरकार की तरफ से वर्दियां दी जाती हैं:---

(१) सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस,
(२) डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस,
(३) सर्किल इन्सपेक्टर, पुलिस,
(४) सब-इन्सपेक्टर पुलिस,
(५) पुलिस कानस्टेबिल।

*१४---क्या इन लोगों को वर्दी के लिये नक़द रक़म दी जाती है या बनी बनाई वर्दियां दी जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कानस्टेबिलों को बनी बनाई वर्दियां दी जाती हैं।

सब-इंसपेक्टरों को सर्विस में केवल एक बार वर्दी के लिये भत्ता दिया जाता है।

सर्किल इंस्पेक्टरों को वर्दी अथवा भत्ता कुछ भी नहीं दिया जाता क्योंकि सब-इंस्पेक्टर की हैसियत से भत्ता प्राप्त कर चुके होते हैं।

सुपरिन्टेन्डेन्ट व डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को प्रत्येक दस वर्ष बाद वर्दी के लिये भत्ता दिया जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और डी० एस० पी० को वर्दी दी जाती है उसमें कितना रुपया लगता है एक वर्दी पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डी० वाई० एस० पी० को १० वर्ष में ६०० रुपये और आई० पी० ऐस० वालों को १,००० रुपया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या पुलिस कांस्टेबिल को जो वर्दी दी जाती है उसका पैसा भी सरकार वसूल करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनसे क़ीमत नहीं ली जाती है।

*१५-१६---श्री सुन्दरलाल (जिला बरेली)---[स्थगित किये गये।]

नोट---तारांकित प्रश्न १३-१४ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछा।

कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में थाना

*१७--श्री सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज क्षेत्र को क्रिमिनल ट्राइब्स का क्षेत्र समझ कर कायमगंज में थाना बनाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न ठीक समझ में नहीं आया परन्तु कायमगंज में थाना पहले से ही मौजूद है।

*१८-१९--श्री व्रजभूषण मिश्र--[स्थगित किये गये ।]

*२०--श्री व्रजभूषण मिश्र--[स्थगित किया गया ।]

*२१-२३--श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--[स्थगित किये गये ।]

*२४--श्री भोलासिंह यादव (अनुपस्थित) (जिला गाजीपुर) --[स्थगित किया गया ।]

*२५--श्री भोलासिंह यादव (अनुपस्थित)--[स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर में बन्दूकं और रिवाल्वर के लाइसेंस

*२६--श्री भोलासिंह यादव (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर में कितने लाइसेन्स बन्दूक और रिवाल्वर के सन् १९५२, १९५३, १९५४ में दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लाइसेंसों का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	बन्दूक	रिवाल्वर/पिस्तौल
१९५२	४३	२६
१९५३	८६	२५
१९५४	४८	७
१ मई तक		

श्री प्रेमशंकर टंडन मैजिस्ट्रेट द्वारा कुरौली, जिला बांदा के एक अध्यापक के पीटे जाने से अध्यापकों में असंतोष

*२७--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ७ मार्च को बांदा के एक मैजिस्ट्रेट ने कुरौली गांव के एक अध्यापक को शिकार खेलने के लिये साथ न जाने के कारण बन्दूक के कुन्दों, लात-जूतों से पीटा और मुर्गा बनाया ? यदि हां, तो वह मैजिस्ट्रेट कौन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस तरह की शिकायत श्री प्रेमशंकर टंडन के विरुद्ध की गई है।

*२८--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि उपर्युक्त घटना के कारण जिला के अध्यापकों में घोर असन्तोष है और सहायक अध्यापक संघ ने इस घटना की निष्पक्ष जांच एवं मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उच्च अधिकारियों से मांग की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी मांग की गयी है; मामला अदालत में है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बांदा का अध्यापक मंडल, बांदा कांग्रेस सम्मेलन के समय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविन्द-वल्लभ पन्त से मिला था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह मालूम है कि अध्यापक मंडल इस बात से क्षुब्ध है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमा जो चल रहा है यह किसकी तरफ से चल रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यापक की तरफ से।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मजिस्ट्रेट महोदय अभी उसी हल्के में हैं या ट्रांस्फर हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं जानता हूं अभी वहीं हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इन मैजिस्ट्रेट साहब को वहां से ट्रांस्फर करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हम ऐसी आशा करते हैं कि मुकदमे का फैसला जल्दी हो जायगा उसके बाद ही तय करना उचित होगा कि क्या किया जाय।

अल्मोड़ा जिले में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार लोगों की समस्या

*२९--श्री भूपालसिंह खाती (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा जिले में शिक्षित बेकारों का प्रश्न चिन्ताजनक हो गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार वालों की समस्या प्रदेश भर में साधारणतः एक ही सी है।

*३०--श्री भूपालसिंह खाती (अनुपस्थित)--यदि हां, तो सरकार वहां के शिक्षितों की बेकारी को दूर करने के लिये क्या क़दम उठा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार अपने साधनों के अनुरूप विभिन्न विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा सभी के लिये, जिनमें शिक्षित लोग भी शामिल हैं, बेकारी कम करने का उपाय कर रही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो योजना आज कल जिलों में चल रही है उनमे से कितनी योजनाओं में कितने बेरोजगार लगाये जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारे प्रदेश में जो योजनायें चल रही हैं वे कई विभागों से संबंध रखती हैं उसके लिये काफी समय चाहिये तभी इसका उत्तर दिया जा सकता है।

*१-३२--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--[स्थगित किये गये।]

*३३-३४--श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)--[स्थगित किये गये।]

*३५--श्री जोरावर वर्मा--[स्थगित किया गया।]

*३६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[स्थगित किया गया।]

*३७-३८--श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)--[हटा दिये गये।]

*३९-४०--श्री खयालीराम (जिला फर्रुखाबाद)--[स्थगित किये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न २९-३० श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछे।

बस्ती जिले में बन्दूक तथा पिस्तौल आदि के लाइसेंन्स

*४१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी और तत्सम्बन्धित सूची मेज पर रखेगी कि बस्ती जिले में बन्दूक तथा पिस्तौल का लाइसेंस गत वर्ष कितने गैर सरकारी लोगों को दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६२ व्यक्तियों को। सूची लम्बी है, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति के सम्बन्ध में जानना चाहें तो मेरे दफ्तर में देख लें।

*४२—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं उनमें से कितनों को खेती की रक्षा के लिए दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इनमें से किसी को खास तौर पर खेती की रक्षा के लिए लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि लाइसेंस प्राप्त करने में जो कठिनाइयां आती हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप राय का सवाल पूछ रहे हैं। आपकी मुश्किल को वह हल नहीं कर सकते।

*४३—४४—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—[स्थगित किये गये।]

*४५—श्री कृष्णचन्द्र गुप्त (जिला सीतापुर)—[स्थगित किया गया।]

प्रान्त में आदर्श थाने

*४६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में कितने आदर्श थाने कहां, कहां हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश में इस नाम का एक भी थाना नहीं है।

कानपुर के राजनैतिक पीड़ित हरिजन कार्यकर्त्ताओं की आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*४७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से हरिजनों के उद्योग धन्धों के लिए अर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए हरिजन विभाग में कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—२८८।

*४८—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों में कितने राजनैतिक पीड़ित हरिजन कार्यकर्त्ताओं के प्रार्थना-पत्र थे और उनमें से किन-किन को कितनी-कितनी सहायता दी गयी ?

डाक्टर सीताराम—यह बताना कि कितने प्रार्थना-पत्र राजनैतिक पीड़ित हरिजन कार्यकर्त्ताओं के थे कठिन है। ३ राजनैतिक पीड़ितों (प्रत्येक) को ५०० रु० की आर्थिक सहायता दी गयी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या इन हरिजनों में से कुछ लोगों ने सिलाई की मशीनें भी मांगी थीं, जो उनको नहीं दी गयीं ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने टेलरिंग की मशीन मांगी हों और उनको न दी गयी हों।

नोट—तारांकित प्रश्न ४७-४८ श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार को मालूम है कि कुछ हरिजनों ने सुअर पालने की सहायता के बारे में भी एप्लिकेशन दी थी और उनको नहीं दी गयी ?

डाक्टर सीताराम---एप्लिकेशन दी होगी । २२८ एप्लिकेशंस में से ५३ को दिया गया और यू० पी० में इस प्रकार की सहायता कानपुर में सब से अधिक दी गयी है, लेकिन फिर भी यह जाहिर है कि जितनी एप्लिकेशन्स आयें, उन सबको नहीं दिया जा सकता ।

*४६---५१---श्री रामलखन (जिला बनारस)---[स्थगित किये गये ।]

*५२---५३---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---[स्थगित किये गये ।]

राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों को छात्रवृति देने की योजना में स्त्रियों को सहायता

*५४---श्रीमती आशालता व्यास (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक क्षति ग्रस्तों के आश्रित विद्यार्थियों को जो शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है, उससे उनकी स्त्रियों को इस सहायता पाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)---यद्यपि राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत उनकी स्त्रियां नहीं आतीं, किन्तु ऐसा अभिप्राय नहीं है और न कोई प्रार्थना-पत्र ही किसी राजनैतिक पीड़ित की स्त्री से अभी तक अनुमोदित फार्म में प्राप्त हुआ है ।

*५५---५६---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---[स्थगित किये गये ।]

*५७---५६---श्री किशनस्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)---[स्थगित किये गये ।]

*६०-६१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---[स्थगित किया गया ।]

*६२---श्री राजवंशी (जिला देवरिया)---[स्थगित किया गया ।]

पुलिस के कार्य में ट्रेंड कुत्तों का उपयोग

*६३---श्री धर्मसिंह---क्या सरकार पुलिस के कार्य जैसे निगरानी, गश्त और खोज लगाने में कुत्तों को ट्रेन्ड करके उनसे मदद लेने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार उनको कुत्ते देने के लिए विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सिद्धांन्ततः बात बहुत अच्छी है । लेकिन कुत्तों के दाम बहुत होते हैं और इस वक्त पैसा हमारे पास है नहीं ।

*६४-६६---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये ।]

*६७---श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[स्थगित किया गया ।]

पुरानी धर्मशालाओं और मन्दिरों की मरम्मत का प्रबन्ध

*६८---श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)---क्या तीर्थ क्षेत्रों में पुरानी धर्मशालाओं और मन्दिरों की मरम्मत कराने का सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं । यह सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है ।

*६९—श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)—जिन धर्मशालाओं और मन्दिरों की देख-भाल और मरम्मत जमींदार लोग करते थे, क्या सरकार जमींदारी समाप्त होने के बाद उनकी देखभाल और मरम्मत कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

मजदूरों के क्वार्टरों की एलाटमेन्ट कमेटी में मजदूरों का प्रतिनिधित्व

*७०—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक योजना के अन्तर्गत मजदूरों के क्वार्टरों के सम्बन्ध में कोई एलाटमेंट कमेटी नियुक्त की गयी है ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इस सम्बन्ध में दो एलाटमेंट कमेटी नियुक्त हुई हैं। एक कानपुर में बने क्वार्टरों के लिए और दूसरी लखनऊ में बने हुए क्वार्टरों के लिए। कानपुर की कमेटी की नियुक्ति २ नवम्बर सन् १९५३ और लखनऊ की कमेटी की नियुक्ति ४ मई, १९५४ को हुई।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अलाटमेंट कमेटी में कितने मेम्बर हैं और उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—आप कई प्रश्न एक साथ पूछ रहे हैं। एक-एक प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि इस अलाटमेंट कमेटी में कुल कितने मेम्बर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दोनों में सात-सात मेम्बर हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसमें मजदूरों के भी प्रतिनिधि हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, दोनों में एक-एक हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह अलाटमेंट कमेटी किस आधार पर क्वार्टरों का अलाटमेंट करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो दरख्वास्तें आती हैं, उनमें जिनको सबसे अधिक जरूरत समझती है, उनको अलाटमेन्ट करती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह, जो अलाटमेंट कमेटी है इसकी देख-रेख कौन करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रम विभाग और श्रम मन्त्री।

फर्रुखाबाद में राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र की आवश्यकता

*७१—श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार फर्रुखाबाद में राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र खोलने का निश्चय कर चुकी है ? यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक खुल जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

फर्रुखाबाद में शाप्स ऐड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत निरीक्षक की नियुक्ति

श्री पातीराम—क्या सरकार फर्रुखाबाद में जो रंगाई के लिए औद्योगिक केन्द्र हैं वहां लेबर वेलफेयर सेन्टर खोलने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अगर रुपया हो तो जितने औद्योगिक केन्द्र हैं उन सब में ही लेबर वेलफेयर सेंटर्स खुलने चाहिये ।

*७२—श्री पातीराम—क्या सरकार ने फर्रुखाबाद में शाप्स ऐन्ड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत कोई निरीक्षक मुकर्रर किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*७३—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[स्थगित किया गया।]

देवरिया कोतवाली के हाते में पुलिस क्लब का निर्माण

*७४—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया कोतवाली के हाते के अन्दर, जो पुलिस क्लब तैयार होने के करीब है, उसमें कितना धन लगा है और वह कहां से प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस क्लब, देवरिया के भवन निर्माण में अब तक १०,७७२ रु० लग चुका है। यह धन पुलिस कर्मचारियों ने चन्दे से एकत्रित किया है।

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी—क्या माननीय मन्त्री जी को देवरिया में मन्दिर के नाम पर चन्दा वसूल करने की कोई इत्तिला मिली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक तो नहीं मिली ।

*७५—७६—श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में हरिजन कालोनी

*७७—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कोई हरिजन कालोनी अब तक बनी है ? यदि हां, तो कहां ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में हरिजन कालोनी बनवाने पर वह विचार करेगी, यदि हां तो कहां ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं है ।

*७८—७९—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[स्थगित किये गये।]

*८०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[स्थगित किया गया।]

*८१—८२—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[स्थगित किये गये।]

*८३—श्री पातीराम—[स्थगित किया गया।]

राजकीय विद्यालय मिर्जापुर में होस्टल का अभाव

*८४—श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय विद्यालय, मिर्जापुर में होस्टल न होने से विद्यार्थियों को रहने में बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रतया वहां होस्टल बनवाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

इसकी कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में कैम्पियरगंज के थानेदार के विरुद्ध घूस का आरोप

*८५--श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज के थाने में १९५३ में नकब, डकैती और कतल तथा बैलों की चोरी की कुल कितनी वारदातें हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना नीचे दी हुई है :--

डकैती	..	..	..	२
कतल	..	..	..	१
नकब	..	..	..	७
बैलों की चोरी	..	..	..	१
			कुल	.. ११

*८६--श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उक्त थाने के किसी कर्मचारी के ऊपर घूस लेने का भी आरोप है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--थानेदार के खिलाफ कुछ शिकायतें आईं, परन्तु जांच करने पर पुष्टि नहीं हो सकी।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि थानेदार के खिलाफ जो २--३ दरख्वास्तें सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को दी गयीं उनका रिजल्ट क्या रहा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--रिजल्ट प्रश्न के उत्तर में बतला दिया गया है। दरख्वास्तों का ब्योरा मेरे पास है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--थानेदार के खिलाफ किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दो दरख्वास्तें थीं, एक तो श्री रामानुज पाण्डेय की थी। २--४ दिन के बाद उन्होंने उसको वापिस मांगा और कहा कि रिपोर्ट देने वाले ने मुझे गलत रिपोर्ट दे दी, इसलिए मैं उसे वापिस लेता हूं। दूसरी शिकायत बहुत लम्बी-चौड़ी थी जिसकी जांच असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट ने की।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस शिकायत के मिलने के कितने दिन बाद यह जांच करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दरख्वास्त देने की तारीख तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि किस तारीख को वह दरख्वास्त दी गयी।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जांच के सिलसिले में प्रार्थी को भी मौका दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, प्रार्थी को मौका दिया गया, उसके लड़के को मौका दिया गया और जो तीन गवाह थे उनको भी बुलाया गया और उनको मौका दिया गया।

नोट--तारांकित प्रश्न ८५--८६ श्री केशव पांडेय ने पूछे।

आजमगढ़ जिले में हायर सेकेन्डरी स्कूलों को सरकारी सहायता

*८७—श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने हायर सेकेन्डरी स्कूलों को गत वर्ष सरकारी सहायता दी गयी है और वे कौन-कौन से हैं ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४११ पर)।

श्री श्रीनाथ राम—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के उत्तर में दी गयी तालिका में स्कूलों की जो संख्या है उनमें १९५०-५१ से कितने स्कूल चल रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नोटिस मिलने पर इत्तिला दे सकता हूं।

श्री श्रीनाथ राम—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने नये स्कूलों की दरख्वास्तें सहायता के लिए आयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस समय बतलाना तो बहुत मुश्किल है।

कानपुर नगर की शिक्षा संस्थाओं को नान रेकरिंग ग्राण्ट

*८८—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि सन् १९५२-५३ में कानपुर के किन शिक्षा संस्थाओं को नान-रेकरिंग ग्रांट कितनी-कितनी दी गई और क्या शिक्षा सचिव के पास इस विषय पर कोई विरोध पत्र दिनांक २ जुलाई, १९५३ को आया है ?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में एक तालिका सदस्य महोदय के सूचनार्थ मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१२-४१३ पर)।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर नगर की शिक्षा संस्थाओं को भिन्न-भिन्न प्रकार से नान-रेकरिंग ग्रान्ट दी गयी, इस प्रकार की नीति क्यों बरती गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उन्होंने अपनी आवश्यकतानुसार मांग की थी और जितना सम्भव हो सका दे दी गयी।

श्री जोरावर वर्मा—जो विरोध-पत्र सरकार के पास आया उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—उस पर कार्यवाही की गयी और जैसा कि इसमें कहा गया है कि दो स्कूलों को सरकार की तरफ से ग्रान्ट दी गयी है, यह बिलकुल निराधार है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी उस शिकायत का सारांश बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने बता दिया है।

आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत प्रत्येक थाने में चोरी डकैती कत्ल एवं बलवे

*८९—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत प्रत्येक थाने में गत जनवरी और फरवरी मास में कितनी-कितनी चोरियां, डकैतियां, कत्ल एवं बलवे हुए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१४ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायत आयी है कि बाज थानों में चोरी और क़त्ल हुये हैं, लेकिन थानों के अन्दर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रकार की शिकायत प्रदेश के सभी जिलों से आ जाया करती है। किसी खास जगह के लिये पूछा जाय, तो जांच की जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि मधुबन थाने में जनवरी और फरवरी के महीने में ९ चोरियां हुयीं, लेकिन थाने में ४ ही दर्ज की गयीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लेकिन जांच के बाद जो नम्बर हमारे हिसाब से ठीक बैठा उसी की सूचना मैं दे सकता हूं।

देवरिया कोतवाली के अन्तर्गत चोरियां डकैतियां कत्ल एवं बलवों की संख्या

*९०—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के देवरिया कोतवाली में सन् १९५२ में कितनी चोरियां, डकैतियां, कत्ल एवं बलवे हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६१ चोरियां, १ डकैती, २ कत्ल तथा ६ बलवे हुये।

*९१—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९५३ में उपर्युक्त अपराधों की क्या संख्या थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५५ चोरियां, १ डकैती, २ क़त्ल तथा ९ बलवे हुये।

मुरादाबाद जिले के अमरोहा पुलिस सर्किल में पकडे गये बिना लाइसेंस वाले शस्त्र

*९२—श्री ख्यालीराम—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले के अमरोहा पुलिस सर्किल में सन् ५३ ई० में कितने बिना लाइसेंस वाले शस्त्र पकड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ८० बिना लाइसेंस वाले शस्त्र पकड़े गये।

*९३—श्री ख्यालीराम—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त बिना लाइसेंस वाले शस्त्रों के कितने अभियोग न्यायालयों में भेजे गये तथा उनमें से कितने दंडित हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ७३ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से १९ व्यक्तियों को दंड दिया गया, ६ छोड़ दिये गये और ४८ लोगों के मुकदमे अभी न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

श्री ख्यालीराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पकड़े जाने वाले शस्त्रों में कितने देशी थे और कितने विदेशी थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ख्यालीराम—क्या उन शस्त्रों में कोई स्टेनगन भी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने कहा कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के यहां से यह हथियार पकड़े गये हैं उनके पास लाइसेंस के हथियार भी थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस ब्योरे के लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी।

हरदोई जिले में कत्ल व डकैतियों की संख्या

*९४--श्री चन्द्रहास (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्रमशः सन् १९५१-५२ व १९५३ में हरदोई जिले में कितने कत्ल व कितनी डकैतियां हुईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी गई सूचना इस प्रकार है :--

	१९५१	१९५२	१९५३
क़त्ल ...	५२	४२	४१
डकैतियां ...	८	२०	१९

श्री चन्द्रहास--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन डकैतियों की संख्या सन् ५१ के मुकाबले में इतनी बढ़ने का क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो मैं इस समय ठीक नहीं कह सकता।

श्री चन्द्रहास--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सम्बन्ध में २ हरिजन एम० एल० एज० और एक हरिजन व्यक्ति ने कोई शिकायत मुख्य मंत्री जी के पास की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी मुझे सूचना नहीं है।

बनारस जिले के थाना धानापुर के अन्तर्गत चोरियां और नकब

*९५--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)--क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९५३ से आज तक बनारस जिले के थाना धानापुर के अन्तर्गत कितनी चोरियां हुईं और कितने नकब लगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१ जनवरी, सन् १९५३ से १५ अप्रैल, १९५४ तक बनारस जिले के थाना धानापुर के अन्तर्गत ३२ चोरियां हुईं और ३९ नक़ब लगे।

अतारांकित प्रश्न

रामपुर में बेसिक प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध

१--श्री फ़ज़लुल हक़ (जिला रामपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रामपुर की बेसिक प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध म्युनिसिपल बोर्ड रामपुर को देने के लिये जिला शिक्षा निरीक्षक को उसने आज्ञा दे दी है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं सदन को सूचना देता हूं कि पुलिस तथा आबकारी समितियों में एक-एक रिक्त स्थान के निर्वाचन के लिये १३ मई, ५४ को ३ बजे तक का समय था। निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त समितियों के लिये एक-एक नाम निर्देशन पत्र क्रमशः श्री रामसनेही भारतीय तथा श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़) के पक्ष में प्राप्त हुए हैं। सचिव ने इनकी सूक्ष्म परीक्षा की और इनको विधिवत् पाया।

[श्री अध्यक्ष]

नामों की वापसी का अन्तिम समय १४ मई को १ बजे दिन तक है। यदि इस समय तक नाम वापस न हुए तो इन दोनों सदस्यों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

जो मैंने एक घोषणा की थी कि इन समितियों के माननीय सदस्य चौदह-चौदह चुने गये हैं, उनमें से कुछ सदस्यों ने अपने इस्तीफे दिये हैं, इसलिये वे स्थान रिक्त हो जायेंगे। वे सदस्य और समितियां ये हैं :—

विद्युत	..	श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना।
चिकित्सा	..	श्री पुलिन बिहारी बनर्जी।
आबकारी	..	श्री बाबूनन्दन।
श्रम	..	श्री शिवराज सिंह।
वन	..	श्री बसन्तलाल शर्मा और श्री मुन्नालाल।
जेल	..	श्री धर्मसिंह।
सप्लाई	..	श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि।
उद्योग	..	श्री महमूद अली खां और श्री शिवराज बली सिंह।
न्याय	..	श्री अब्दुल लतीफ और श्री शम्भूनाथ।
रेवेन्यू	..	श्री मकसूद आलम।
सूचना	..	श्री फजलूल हक़।
श्रम	..	श्री वीरेन्द्रपति यादव।
सिंचाई	..	श्री रामनरेश शुक्ल।

इन रिक्त स्थानों के लिये फिर से चुनाव होगा। उसके लिये मैं यह कार्य-क्रम निश्चित करता हूं।

नामांकन प्राप्त करने के लिये अन्तिम तिथि तथा समय आज १४ मई, १९५४ को ३ बजे तक, नामांकन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा आज ही साढ़े तीन बजे तक और नामों की वापसी के लिये अन्तिम तिथि तथा समय कल १५ मई, १९५४ को १ बजे तक। निर्वाचन का कार्यक्रम यदि आवश्यकता हुई तो बाद में नियत किया जायगा।

*भूमि के उचित बटवारे के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय गेंदासिंह जी अपना भाषण इस संकल्प पर जारी रखेंगे। आप पहले करीब १४ मिनट बोल चुके थे, ११ मिनट और बाकी हैं। २५ मिनट समय था।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन कुछ निवेदन किया था और आज मैं इन शब्दों के साथ सदन से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस प्रश्न पर विचार करे। श्री राधाकंमल मुकर्जी ने अपनी एक पुस्तक में एक जगह साफ कहा है कि जैमिनी ने अपनी मीमांसा में लिखा है कि राजा किसी दूसरे को भूमि नहीं दे सकता, क्योंकि वह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, बल्कि वह सबकी अर्थात् जनता की सम्पत्ति है और जो उसका उपभोग करते हैं वह उन्हीं की सम्पत्ति है।

श्री रामनरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश नहीं किया और वह उस पर भाषण करने लगे।

---

* २३ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप किसी और विचार में गाफिल हैं, वह इसको पेश करके १४ मिनट पहले बोल भी चुके हैं और अभी ११ मिनट और बोल सकते हैं, मैंने अभी-अभी यह कह भी दिया था।

*श्री गेंदासिंह—मालूम होता है कि माननीय रामनरेश शुक्ल जी का उद्देश्य केवल यह था कि किसी तरह से मेरे बोलने का समय वह कम कर दें। मैं यह निवदन कर रहा था कि यह भूमि के बटवारे का प्रश्न बहुत महत्व रखता है और खासतौर से उस वक्त जब कि हमारे देश के एक तरह से सर्वमान्य नेता पं० जवाहरलाल जी न भी स्वीकार कर लिया है कि जोत की कोई न कोई सीमा निर्धारित करनी बहुत आवश्यक है और जैसा कि समाचार-पत्रों से समाचार मिला है, उन्होंने संसद में कहा था कि भूमि का बटवारा भारतवर्ष के लिये अत्यन्त आवश्यक है और बग़ैर इस समस्या को सुलझाये हुये इस देश की आर्थिक समस्या ठीक नहीं चल सकती। उन्होंन एसी ही बात सर्वोदय सम्मेलन गया में भी कही थी और उसके बाद दिल्ली में आम के बाद पार्लियामेंट कमेटी के सामने भी उन्होंने यह बात रखी और वह बात सारे देश के सामने साफतौर से आई। इस तरह से पं० जवाहरलाल नेहरू के कहने के बाद दूसरे लोगों क उद्धरण देकर मैं अपना समय और सदन का समय बरबाद करना नहीं चाहता.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण कृपया सदन में शान्ति रक्खें जिससे माननीय सदस्य का भाषण सब को ठीक से सुनने में कठिनता न हो।

श्री गेंदासिंह—इस सम्बन्ध में कुछ दलीलें दी जाती हैं और प्रायः इसी सदन में इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि चूंकि प्रदेश में इतनी जमीन नहीं है कि अलाभकर जोतों को लाभकर बनाया जा सके। इसलिये इस प्रश्न को छेड़ना मुनासिब नहीं है। लकिन म कहना चाहता हूं कि जिस समय जमींदारी विनाश समिति बनी थी और जिसमें, माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री चरण सिंह जी, श्री कैलास नाथ काटजू तथा श्री हुकुम सिंह जी भी थे और दूसरे व्यक्ति भी थे, उस कमेटी ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था और उस समय कमेटी में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि देश में इस समय अन्न की बहुत कमी है और अगर इस समय जमीन का बटवारा किया जाता है तो ज्यादा लोगों के पास जमीन चली जायगी, जिसकी वजह से पैदावार और खाद्यान्न गांवों में रुक जायगा और बाजारों में न आ सकेगा। इसलिए इस युग में हम चाहते हैं कि जमीन जिनके पास है उन्हीं के पास रहे ताकि वह लोग अन्न पैदा करते रहें और जो सरप्लस अन्न है वह ठीक तौर से बाजारों में आता रहे और उससे जरूरत पूरी होती रहे। इस दलील के साथ कहा गया था कि इस प्रश्न को कुछ समय के लिये छोड़ दिया जाय, लेकिन इसके माने यह नहीं है कि इस प्रश्न को हमेशा के लिए ही छोड़ दिया जाय। वह तो एक कोरी और वक्ती चीज थी उस समय। ठीक है अगर मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज जमीन के बटवारे के बिना काम चल सकता है या नहीं यह सोचने की बात है। आज तो हालत यह है कि जमीन का बटवारा किये बग़ैर हम लोगों को रोजी नहीं दे सकते और अगर नहीं दे सकते तो इसका नतीजा यह है कि सारे देश में बेकारी बढ़ेगी, क्योंकि कृषि से सम्बन्धित समस्याओं से उद्योग का भी सम्बन्ध है। यदि किसी समय कृषि अवनति की तरफ जाय तो उद्योग को भी अवनति की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ८७ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उनका सम्बन्ध खेती से है तो फिर जब तक कि खेती से पैदावार न बढ़े, उनकी खरीदारी की शक्ति न बढ़े उस वक्त तक न किसी उद्योग की हालत अच्छी हो सकती है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

न किसी व्यापार की हालत अच्छी हो सकती है और इसका परिणाम यह होगा कि हम एक ऐसे विशस सरकिल में पहुंच जायंगे । अगर खेती की हालत खराब होती है तो गांव के बसने वालों की हालत खराब होती है और उनकी परचेंजिंग कैपेसिटी गिरती है। परचेंजिंग कैपेसिटी उनकी घटती है तो इंडस्ट्री की हालत खराब होती है और इंडस्ट्री की हालत खराब होती है तो सारे प्रदेश और सारे देश की हालत खराब होती है। इस प्रकार हम आर्थिक संकट में पहुंच जाते हैं जिसकी ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। इस आर्थिक संकट से बचने का केवल एक उपाय है कि गांव वालों की हालत अच्छी हो और उसके लिये एकमात्र उपाय भूमि का वितरण है। इस भूमि वितरण के सम्बन्ध में मैं माननीय चरणसिंह जी के भी अधिक नजदीक आना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट में सवा ६ एकड़ की खेती को लाभकर जोत मान लिया जाय। उसको देखते हुये हम इस वक्त सुलह की बात कहें, वैसे तो तीस एकड़ की बात हम रखते हैं लेकिन हम कोई भी बात समझौते की कर सकते हैं, अगर सदन हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और काम चलाऊ काम शुरू हो। सदन इस पर विचार कर सकता है कि क्या सीमा हो और मैं उस विचार का स्वागत करूंगा कि तीस एकड़ से कम जमीन ही सही तय करे लेकिन वह बटवारे की बात सोच सके। उसके अलावा जमींदारी उन्मूलन समिति का यह भी कहना है कि अलाभकर जोतों को लाभकर बनाने में ११८ लाख एकड़ जमींन की जरूरत पड़ेगी और इस ११८ लाख एकड़ जमीन में से भूमिहीन किसानों का प्रथम स्थान होना चाहिये, लेकिन उसमें से ९३ लाख एकड़ जमीन तो सरकार ने गांव समाज को दे दी जिसमें खेती की जा सकती है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर सारी जमीन पर खेती कर ली जाती है तो पशुओं का मसला भी आता है।

आज पशुओं की सबसे बड़ी संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। ऐसा लगता है कि करीब ३ करोड़ १७ लाख पशु इस प्रदेश में हैं। फिर भी इस प्रदेश में दूध की कमी है। इसलिये इनका पालन-पोषण करना और इन्हें अच्छे ढंग से रखना आवश्यक है। अगर हम पशुओं को ठीक से खाना दे सकें तो तीस परसेंट दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। तो पशुओं का पालन-पोषण करना है और अनाज की कमी को भी दूर करना है। यह सही है कि अनाज की कमी काफी दूर हुई है उसमें हमें काफी सफलता हुई, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं हुई है। हमें संतुलित डायट नहीं मिल पाता है और न ठीक ढंग से मिल पाता है। बदकिस्मती से हमारा जिला देवरिया है जो कम मिकदार में खाने वाला है यानी साढ़े आठ या पौने नौ छटांक है और आगरा में केवल १७ या साढ़े १५ छटांक और १५ छटांक खाने वाले और कई जिले हैं। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब यह है कि संतुलित डायट हमें पहुंच नहीं पाती और इन सब कठिनाइयों को हल करने का एकमात्र उपाय जमीन का समुचित बटवारा है। यह जमीन का बटवारा भी कोई ऐसा काम नहीं है जो यह सरकार यहां पर बैठी है न कर पाये। वह कर सकती है।

प्रश्न केवल मुआविजे का है। उसके बारे में मैं एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार जमींदारों को और और लोगों को मुआविजा देने की बात सोचती है। सन् १८९१ से लेकर १९५१ तक या जब तक जमींदारी जमींदारों की अबालिश हुई है तब तक जमींदारों ने क्या किया है इसको देखा जाय। जमींदार जो पहले सरकार को सौ रुपये की लगान की वसूली में से ९० रुपये सरकार को देता था लेकिन जब जमींदारी विनाश होने लगा उस वक्त यह अनुपात था । काश्तकार से सौ रुपया लगान वसूल करने के बाद सिर्फ ३९ रुपये वह सरकार को देता था और बाकी सारा रुपया वह अपने पास रखता था। इस प्रकार करोड़ों रुपया काश्तकारों की गाढ़ी

कमाई का उसने अपने पास रखा। इसके साथ गांधी जी ने भी मुआविजे के प्रश्न पर कहा था कि मुआविजा देना फिजिकली इम्पासिबिल है और यह नहीं हो सकता।

फिर सवाल तो यह है कि धरती एक ऐसी चीज है जो किसी की सम्पत्ति नहीं है, यह सारे समाज की सम्पत्ति है और उसी समाज की यह सरकार भी है। उत्तर प्रदेश के बसने वालों की यह सरकार है। अगर सरकार इस प्रश्न को हल नहीं कर पाती है तो फिर यह सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं है, न कोई शोभा की बात है और न सरकार के बचने के लिये ही कोई अच्छी बात है। इसलिये मैं सोचता हूं कि मुआविजा देने का एक ऐसा सवाल है कि जिनके पास जमीन है उनसे कुछ जमीन लेकर उनको रिहैबिलिटेट करना है लेकिन आपको उन बेकारों को भी रिहैबिलिटेट करना है जिनके पास आज कोई सम्पत्ति नहीं है और वह इस राज्य के रहने वाले हैं। वह इस राज्य के हकदार हैं और पुराने हकदार हैं। इतनी ही बात कहकर मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का जहां तक सैद्धांतिक संबंध है वह तो ठीक है, इसको तो हमारे पंडित जवाहरलाल जी भी तस्लीम कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ आल-इंडिया कांग्रेस पार्टी ने भी इसको मंजूर किया है। मैं भी यही चाहता हूं कि उत्पत्ति के साधनों पर किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिये बल्कि जनता का उस पर पूरा अधिकार होना चाहिये, लेकिन हमें देखना यह है कि मौजूदा परिस्थिति में माननीय गेंदा सिंह जी का जो प्रस्ताव है वह वास्तव में व्यावहारिक रूप में लाया भी जा सकता है या नहीं। मैंने इस संबंध में कुछ आंकड़े देखने की कोशिश की है। मैंने यह देखने का प्रयत्न किया कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बीस एकड़ से ज्यादा जमीन है और वह कितनी जमीन है जो कि बीस एकड़ से ज्यादा है। तो आंकड़ों को देखने पर पता चला कि १,४४,१५५ ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास २५ एकड़ या ३० एकड़ भी मान लीजिये--से ज्यादा जमीन नहीं है अब कुल जमीन ५३ लाख एकड़ के करीब है उसमें से अगर उनको हम छोड़ते हैं तो हमारे पास बांटने के लिये केवल १८,७०,००० एकड़ भूमि रह जाती है।

इसके साथ ही साथ अब सवाल यह आता है कि यह १८,७०,००० एकड़ भूमि अगर हम बांटते हैं तो आया उन लोगों को दी जाय जिनके पास भूमि नहीं है या उन लोगों को दी जाय जिनके पास आज भी उतनी भूमि नहीं है जिससे कि वह अपना पेट पाल सकें। देखने से पता चलता है कि ऐसे काश्तकार जिनके पास ५ एकड़ के खाते हैं उनकी संख्या २६,४३,००० है। उनके पास कुल जमीन करीब ९,२५,००० एकड़ है। अगर यह जमीन हम उन लोगों में बांटें जिनके पास कि जमीन की कमी है तो करीब-करीब एक एकड़ भूमि उनके पास हो जायगी। इस तरह से जमीन बचती है वह अगर इनको दे दी जाय तो भी काम नहीं चलता है। इसके अलावा यह कहना कि दूसरे लोगों को जमीन दी जाय जिन के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, आज कल की परिस्थिति को देखते हुये, यह भी नहीं ठीक मालूम होता है।

माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि सवा ६ एकड़ के खाते भी एकोनामिक होल्डिंग है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, जिस जमीन में आबपाशी होती है, जहां नहरें चलती हैं उसको तो मैं मान लूंगा। अगर एक परिवार में ४ आदमी हों तब तो वह निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां ज्यादा जमीन ऐसी हैं जिसमें आबपाशी नहीं होती है, सवा ६ एकड़ के खाते इकोनोमिक मान लिये जायं यह ठीक नहीं है। अगर हम गेंदा सिंह जी की दलील मान लें तब भी हमें बहुत जमीन की कमी पड़ेगी। ६ एकड़ जमीन इकोनामिक नहीं होगी। तो मैं अर्ज करता हूं कि इस तरह की जो बात कही गई है वह ठीक नहीं है। अभी जो भूमि व्यवस्था और जमींदारी विनाश कानून

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

पास किया उसके अन्तर्गत और साथ ही कन्सोलीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है और भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत कन्डीशन्स तय नहीं हो पायी सैटल नहीं हो पायी और डेमोक्रेसी में इस बात की जरूरत है कि परिस्थितियों को ठीक होने दिया जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये यह उचित नहीं मालूम होता कि हम जमीन के बटवारे का प्रश्न अपने सामने रखें। दूसरी बात और अर्ज करना है कि अंग्रेजों के वक्त यह कहा जाता रहा कि हिन्दुस्तान एक खेतिहर मुल्क है। अंग्रेज तो इसको अपने मतलब से कहते थे और हम भी इसको खेतिहर देश कहें यह ठीक नहीं मालूम होता है। खेती सबसे ज्यादा परिश्रम चाहती है और रिटर्न सबसे कम होता है और किसी मुल्क के अन्दर हंगर फौर लैंड पैदा कर देना यह किसी हालत में ठीक नहीं है। अगर हम जमीन की भूख पैदा कर देंगे तो हम नहीं कह सकते कि हम कहां चले जायेंगे और हमारी आर्थिक और एकोनोमिक स्थिति क्या होगी। इसलिये मुझे गेंदा सिंह जी से निवेदन करना है कि भूमि के ऊपर पहले से ही इतना प्रेशर है कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज भी ३७ फीसदी काश्तकार हिन्दुस्तान में ऐसे कहलाते हैं जिनके पास १ एकड़ से कम भूमि है, वे भूखे रहते हैं। इसलिये जमीन के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिये इससे किसी भी हालत में हमारे देश की इकोनोमिक हालत नहीं सुधरेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की हालत यह होनी चाहिये कि भूमि से लोगों को हटाकर और दूसरी तरफ लगाना चाहिये। जरूरत इस बात की है कि जितने काश्तकार इस भूमि पर मौजूद हैं उनकी भी तादाद जरूरत से ज्यादा है। यही वजह है कि हमारे हिन्दुस्तान की इकोनोमिक स्थिति ठीक नहीं होने पा रही है। अगर आप ६ एकड़, १० एकड़ भूमि सब को देदें तो बहुत लोग खाली हो जायेंगे। ५३,७८,००० यानी ५० परसेंट काश्तकार बेकार किसी रोजगार के या कारबार के हो जायेंगे। बेकारी बढ़ी हुई है और बढ़ जायेगी। इसलिये मुझे कहना है कि यह अभी नहीं हो सकता। पहले जुलाहे अपना बुनाई का काम करते थे, लेकिन जब से विदेशों से कपड़ा आने लगा तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और खेती की तरफ चले गये और इस तरह हमारे देश की जो कला कौशल थी वह कम होती चली गयी। अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रबन्ध किये जायें जिनसे उनका निरवाह हो सके। इसलिये मुझे गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करनी है कि ऐसी हालत में जबकि जमीन की हमारे यहां कमी है बेकारी बढ़ी हुई है, इस प्रश्न को उठाना किसी भी हालत में उचित नहीं मालूम होता। सिद्धांत के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि सिद्धांत बिल्कुल सही है, कांग्रेस उसको मानती है और उचित समय आने पर उसे कार्यरूप में परिणित करने का प्रयत्न अवश्य किया जायगा। लेकिन इस प्रस्ताव को आज अगर हम व्यावहारिक रूप देते हैं तो इससे हमारी हालत बहुत खतरनाक हो जायेगी। मैं कहता हूं कि अभी जमींदारों की हालत देखिये, जिनकी जमीन ली गई और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं रहा वे भी आज बेकारी के हालत में हैं। हो सकता है कि दो, चार साल में अपनी परिस्थिति को ठीक कर लें और परिस्थितियों को ठीक करके वे इस योग्य हो जायं कि अपने पैरों पर खड़े हो जायं। तो कुछ समय बाद जब ऐसी परिस्थिति आयेगी तो जरूर जमीन ले ली जायगी लेकिन इन मौजूदा हालात में इस सवाल को उठाना किसी भी हालत में देश और प्रदेश के हित में नहीं है यही मुझे आपसे प्रार्थना करनी है।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं :--

संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "संसद् में" के आगे शब्द "इस आधार पर" जोड़ जिये जायं तथा पंक्ति ४ में शब्द "करे कि" के आगे के शब्द निकाल कर उनकी जगह शब्द "भूमि भगवान की दी हुई सम्पत्ति है। अतः इस पर मानव मात्र का अधिकार होना चाहिये न कि थोड़े से लोगों का।" भारत वर्ष में अब तक २७ करोड़ एकड़ जमीन जोत में आ चुकी है और लगभग ३६ करोड़ की यहां की जन संख्या है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपका यह प्रस्ताव अवैध है। इसमें विवाद है। प्रस्ताव सीधा होना चाहिये। आपने इसमें बहस यह रखी है कि यह हुआ वह हुआ लिहाजा यह होना चाहिये तो यह तो आप नहीं पेश कर सकते।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

श्री अध्यक्ष---आप अपने दोनों संशोधन एक साथ पेश कर दीजिये ।

श्री महीलाल---जी हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ४ में शब्द "परिवार" के बाद और शब्द "के" के पूर्व शब्द "जिसमें कम से कम ५ और अधिक से अधिक १० वयस्क सदस्य हों" रख दिये जायं तथा संकल्प की पंक्ति ६ में शब्द "अर्जित करके" के बाद के कुल शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "स्थानीय भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सहकारिता तथा उत्तम कृषि योजना के आधार पर दे दी जायं" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह मानने के लिये तो तैयार नहीं हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ही केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं या वे ही प्रगतिशील हैं, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि हमारा वर्तमान मंत्रिमंडल और उसमें भी विशेषरूप से माननीय माल मंत्री महोदय उनके विचारों से, मैं अपने को तो उनमें गिनता ही नहीं, कहीं आगे हैं और समय समय पर मेरी और माननीय माल मंत्री की इस विषय पर जब कभी बातचीत हुई मैंने उनको इस विषय पर बहुत आगे तक सोचते हुये पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिद्धांत का जहां तक प्रश्न है माननीय गेंदासिंह जी ने बताया कि उसको आज हमारे देश के सभी दूरदर्शी लोगों ने और बुद्धिमान नेताओं ने स्वीकार किया। आज की हालत भूमि व्यवस्था की जो है वह एक पुरानी भूमि व्यवस्था हो गई है और उसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है और उसको सिद्धांततः हमारी सरकार ने भी स्वीकार किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हमारी सरकार ने इस बात को माना है कि ३० एकड़ भूमि जिसके पास है वह उससे ज्यादा भूमि नहीं खरीद सकता है और उससे अधिक भूमि वह नहीं बढ़ा सकता है तो यह प्रश्न इस बात का नहीं उठता कि मैं सिद्धांत पर अपने विचार प्रगट करूं। लेकिन इस आदरणीय सदन में माननीय केशव गुप्त जी ने अपने भाषण के बाद मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस संबंध में थोड़े से शब्द कहूं। माननीय गुप्त जी ने आरम्भ में खड़े होकर यह कहा कि सिद्धांत का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कुछ इस तरह की बातें कहीं तो सिद्धांततः उसके विरोध में हैं।

मैं उनकी बात पर ज्यादा विचार न प्रगट करते हुये केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो इस संबंध में कुछ आगे की सोचते हैं और लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं और आंकड़ों के जाल में फांसने की कोशिश करते हैं जबकि गांवों में उन जमीनों पर बड़े-बड़े साहूकारों का कब्जा है जिनको उनके बाप-दादे जोतते थे उनको भूमिहीन बनाया गया है और आज उनको मजदूर बना कर रखा जाता है और यही नहीं बल्कि सही मानों में जिनको भूमि का मालिक होना चाहिये था वह आज रोटी को तरसते हैं, उनके तन ढकने को कपड़ा नहीं मिल पाता है और रहने के लिये जमीन नहीं मिलती है बल्कि मेरे यहां तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि उनकी जमीन लेकर उन साहूकारों को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने पानी पीने वाले कुयें को भी अपनी जमीन में शामिल कर लिया है और जिनके पास जमीन थी वह आज पानी को भी तरसते हैं। आज हमारे यहां कोई आदमी आंकड़ों के जाल में फंसाकर हमें भुलावे में डालना चाहे, समाज की आंखों में धूल झोंकना चाहे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और वह आंकड़ों के जाल में फंस नहीं सकता है। एक समय था जब कि लोग भगवान के नाम पर और बातों को बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंका करते थे और कहा करते थे कि भगवान ने तुमको गरीब बनाया है, इसलिये तुम मालदार नहीं हो सकते हो ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य केवल प्रस्तुत विषय पर ही टीका करें तो अच्छा है।

श्री महीलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न व्यवहार का आता है। सन् १९५० के बाद हमारे मंत्रिमंडल ने भूमि व्यवस्था के लिये लगभग १० अधिनियम बनाये हैं जिनमें एक से एक क्रांतिकारी और ऐसे अधिनियम हैं जिनके संबंध में लोग सोचते थे कि यह कैसे लागू हो सकेगा, उदाहरण के तौर पर १९५० का जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम है जिसके लिये हमारे प्रांत के बड़े-बड़े जमींदार इस तरह की धौंस दिया करते थे कि जब हमारी सरकार जमींदारी लेगी तो मालूम हो जायगा तो मैं समझता हूं और उसका परिणाम हमने देखा है कि वही अधिनियम बड़ी शान के साथ हमारे प्रांत में लागू हुआ और जमींदारियां खत्म की गईं और उसके बाद हमारे गांव के रहने वाले लोगों को किसानों को एक बहुत बड़े बोझ से हमारी सरकार ने निकाला। यही नहीं उसके बाद और बहुत से अधिनियम, जिनके संबंध में मैंने बतलाया है शायद ११ हैं, पास हुये हैं। मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर केवल इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज हमारे लिये इस बात से कोई भय का मौका नहीं है कि अगर हम कदम आगे बढ़ायेंगे तो हमारे सामने कुछ उलझनें व्यवस्था के संबंध में आयेंगी। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार का काम विनोबा भावे ने बहुत कुछ हलका कर दिया है और समाज को बता दिया है कि भूमि केवल थोड़े से लोगों की बपौती नहीं है, बल्कि वह एक प्राकृतिक चीज है जिस पर सभी लोगों का अधिकार है। तब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसकी व्यावहारिकता में कैसे दिक्कतें आयेंगी, परेशानी आयेगी या यह कि इसकी सफलता की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस प्रस्ताव और संकल्प के द्वारा कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है कि सरकार के सामने कोई बहुत बड़ा काम आ रहा हो, जिस तरह से कि हमारे जमींदारी अधिनियम के बाद एक बड़ा काम भूमि व्यवस्था का हमारी सरकार के सामने है। तो यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि तुरन्त ही एक बड़ा बोझ सरकार के सामने आ रहा है। हम तो इस संकल्प के द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करने जा रहे हैं कि वह भारतीय संविधान में एक संशोधन करने के लिये संसद में नियमानुसार ऐसा अधिनियम प्रस्तुत करें। तो जब यह एक प्रार्थना केन्द्रीय सरकार से की जा रही है तो मैं समझता हूं इसमें समय लगेगा और इतने समय में जितने समय में संविधान में परिवर्तन होगा, मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार इतने दिनों में बहुत बड़े बोझ से हल्की हो जायगी और आज जमींदारी उन्मूलन के बाद जो बहुत सी समस्यायें हमारी सरकार के सामने हैं उन सबका हल हो जायगा। तो मैं यह समझता हूं.....

श्री अध्यक्ष--कुछ अपने संशोधन का अर्थ भी तो समझाइये।

श्री महीलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गेंदासिंह जी के संकल्प में जहां परिवार की बात कही गयी है, उसके संबंध में अपना संशोधन रखा है। परिवार में यह भी माना जा सकता है कि एक आदमी के पास ३० एकड़ जमीन हो और परिवार में वह केवल अकेला हो, न उसकी स्त्री हो, न बच्चे हों और न आगे के लिये कोई उम्मीद हो, उसकी अवस्था ५०-५५ वर्ष की हो चुकी हो, उसके लिये हम ३० एकड़ जमीन छोड़ दें तो ठीक है। लेकिन ३० एकड़ परिवार के लिये तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। दूसरी बात मैंने अपने संशोधन में यह कही है कि जो वितरण का प्रश्न सरकार के सामने आयेगा उसको हलका करने के लिए यह तरीका हो सकता है कि जो स्थानीय मजदूर हैं, बाहर के मजदूरों को बसाने की जरूरत नहीं है, जो खेतिहर हैं उनको भी बांटने का प्रश्न नहीं उठता, उनको सहकारिता के आधार पर वहां के सभी मजदूर को वह जमीन दे दी जाय और एक कोआपरेटिव फार्मिंग के तरीके पर वह लोग काम करें। मेरे संशोधन रखने का यही उद्देश्य है कि एक परिवार की परिभाषा उसमें स्पष्ट हो जानी चाहिये दूसरे वितरण का प्रश्न जो जटिल प्रश्न है वह हल हो जाना चाहिये। इस प्रकार यदि हमें जमीन मिलती है तो यह प्रश्न नहीं उठता कि हम उसे कैसे बांटें। वहां के जो स्थानीय मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनको एक कोआपरेटिव सोसाइटी बने, एक समिति बने और लोग उसमें काम करें, जिससे हमारी हिम्मत बढ़े।

मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की वितरण की कठिनाई बिलकुल दूर हो जायगी ।

मैं एक प्रार्थना माननीय मंत्री महोदय से और कर देना चाहता हूं । इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसा कि मैंने कहा हमारे वर्तमान मन्त्रिमंडलने ग्रामों के रहने वाली ५ करोड़ से ऊपर की जनता के लिए बहुत से क्रान्तिकारी और प्रगतिशील अधिनियम बनाये हैं । केवल ये ३६ लाख देहात में बसने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूर ऐसे हैं कि जिनको इस बने हुए अधिनियम से कोई विशेष लाभ नहीं होता । बल्कि मुझे क्षमा करेंगे माननीय मंत्री महोदय, यदि मैं यह कहूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर आज यह सोचते हैं कि हमारे लिए स्वराज्य खजूर में अटका रह गया है क्योंकि उन्हें कोई चीज नहीं मिली । जहां तक उनकी मजदूरी का ताल्लुक है खेतिहर मजदूरों की मजदूरी के सम्बन्ध में भी मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । केवल १२ जिलों में उनकी निम्नतम मजदूरी निर्धारित की गई है । हमारे प्रान्त के और जितने जिले शेष रह जाते हैं वहां के रहने वाले भूमिहीन मजदूरों की दशा करीब-करीब एक सी ही है । माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि इतनी भूमि हमने गांव समाजों को दे दी है और उन्हें यह अधिकार दे दिया है कि वह उस भूमि को भूमिहीन मजदूरों में तकसीम करें । लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी कोशिश के बाद भी मैं किसी भी गांव समाज से कहीं पर भी कोई जमीन भूमिहीन मजदूरों को न दिला सका और उसका एक कारण यह है कि एक ओर आप कहते हैं कि इतने लाख एकड़ भूमि आपने गांव समाज को दी है और वह उसका बटवारा कर सकते हैं ! दूसरी ओर अगर कहीं का गांव समाज भूमि को देना भी चाहे तो उसके हाथ बंधे हुये हैं । इसलिये कि ऐसे स्थान बहुत कम है जहां उस गांव के क्षेत्रफल के दस परसेंट से अधिक भूमि बंजर हो । ऐसी अवस्था में मैं पुनः उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस प्रांत का भूमिहीन खेतिहर मजदूर वर्ग आज माननीय माल मंत्री जी की ओर एक आशा की दृष्टि से देख रहा है कि वह शीघ्र से शीघ्र कोई कदम उनकी भलाई के लिये उठायेंगे जिससे वह यह समझ सकेंगे कि यह प्रान्तीय सरकार और यह प्रान्तीय मंत्रिमंडल उनका भी एक विशेषरूप से ध्यान रखता है ।

श्री अध्यक्ष--(श्री श्रीनाथ राम से) आपके दो संशोधन हैं । क्या आप दूसरा भी पेश करेंगे ?

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)--मैं दोनों पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--दूसरा स्पष्ट नहीं है । जरा असंगत सा है । "जिनके पास जीविका के अन्य साधन नहीं हैं" के स्थान पर आप "जिससे वे गृह-निर्माण तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल कर सकें" यह रखना चाहते हैं । यह बिलकुल उसके विपरीत सा जाता है और अस्पष्ट सा है इसलिये मैं दूसरा पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं । आप पहला ही पेश कर दें ।

श्री श्रीनाथ राम--तो मैं पहला ही पेश करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ६ के शब्द "ऐसे व्यक्तियों" के स्थान पर शब्द "भूतपूर्व अपराधशील जातियों तथा अन्य भूमिहीनों" रख दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह भूमि के बटवारे का प्रश्न है जो इसके सिद्धान्त हैं, इसे सभी मानने के लिये तैयार हैं और जो आज हिन्दुस्तान के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर हैं जिनके पास ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे कि वह अपनी रोजी चला सकें, वे सभी इसको स्वीकार करते हैं । प्रश्न केवल इतना उठता है कि इस सिद्धान्त को हम तुरंत अपने देश में लागू कर लें या नहीं । हम यह देखते हैं कि आज भूमि समस्या का प्रश्न कितना जटिल होता जा रहा है और ऐसे लोगों के सामने कितनी दिक्कतें आ रही हैं जिनके पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है । भूतपूर्व अपराधशील जातियों के पास रोजी के कोई साधन नहीं हैं । वह अब तक ऐसे काम करते रहे हैं जो असामाजिक कहे जा सकते हैं ।

[श्री श्रीनाथराम]

उनकी सामाजिक अवस्था और उनके जीविका चलाने के साधन इतने बुरे हैं और इतने अव्यावहारिक हैं कि जो उनकी गिरी हुई हालत को नीचे गिराते चले जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को और भी जटिल बनाते जा रहे हैं। भूतपूर्व अपराधशील जातियां जो जंगलों में रहती रहीं, पहाड़ों के खोहों में रहती रहीं वह आज भी उसी दशा में हैं क्योंकि उनके पास जीविका के अन्य कोई साधन नहीं हैं। वह ऐसे व्यापार भी नहीं कर सकते जिसको लोगों से मिलजुलकर आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे जो कि समाज के द्वारा ठुकराये हुए हैं आज भी उनकी अवस्था उसी प्रकार है यद्यपि उसमें बहुत अधिक कोशिश की जा रही है कि समाज में उनको बराबर का स्थान मिले। लेकिन प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की कोशिशों के बावजूद भूतपूर्व अपराधशील जातियां तथा अन्य लोग जो समाज में पिछड़े हुए हैं, हमारे, शक्ति लगाने के बावजूद जितनी सफलता की हम आशा उनके लिए करते हैं उतनी सफलता हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उसका एकमेव कारण जो हम देखते हैं वह हमारे देश के समाज की व्यवस्था ही है। इस समाज की व्यवस्था को बदलने की हमें आवश्यकता है ताकि समाज में उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक कमजोरियां दूर हो सकें।

हमें इस बात पर विचार करना है कि जो सुविधाएं भूतपूर्व अपराधशील जातियों और हरिजनों को देने के लिए हरिजन सहायक विभाग और अन्य संस्थाएं कोशिश कर रही हैं वह तरीका तो अपनी जगह पर है। लेकिन उससे उन समस्याओं का हल उतना ज्यादा नहीं हो सकता है जितनी कि हम आशा करते हैं तो इस प्रकार हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह गत अपराधशील जातियां और हरिजन जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, कौन से साधन इनको प्रदान किये जायं जिससे वे अपनी जीविका आसानी से चला सकें और अपनी आर्थिक और सामाजिक अवस्था सुधार सकें। तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि उनके पास भूमि भी हो। भूमि इसलिये भी उनके पास नहीं है कि वह अपने परिवारों को लिए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमा करते हैं। इसलिये हमारे लिए आवश्यक है कि सब से पहले उनको बसाने के लिए भूमि दें ताकि वह एक जगह स्थापित हो कर अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। भूतपूर्व अपराधशील जातियां जंगलों से आयी हुई हैं और आज भी गांवों में घूमती हुई पायी जाती हैं। हमेशा डेरा लेकर खानाबदोशों की तरह घूमा करती हैं। इसीलिए उनके पास भूमि नहीं है। अगर उनको भूमि दी जाती है तो वह अपने लड़कों को शिक्षा दे सकेंगे और अन्य प्रकार से अपनी सामाजिक अवस्था सुधार सकेंगे। मेरा उनके लिए यह निवेदन है कि उनके लिए उस जमीन का प्रबन्ध किया जाय जिससे कि वे अपने घरों का निर्माण कर सकें और अपनी रोजी के साधन जुटा सकें। अभी उनकी रोजी के साधन दो प्रकार के हैं। एक प्रोडक्टिव और दूसरे अन-प्रोडक्टिव। वह जमीन पर काम बहुत कम करते हैं। जंगलों से जड़ी बूटियों का लाना उनका एक काम है। इसके अतिरिक्त शराब बनाने का काम भी वह करते रहे हैं लेकिन इस पर रोक लगा देने के कारण यह काम बन्द होता जा रहा है और आशा है कि अब यह काम उनसे नहीं लिया जायगा। दूसरा अन-प्रोडक्टिव काम जो है वह नाचने गाने का काम है जो कि भूतपूर्व अपराधशील जातियां पहले से करती आयी हैं, अब भी करती जा रही हैं जो कि समाज के लिए फायदेमन्द नहीं है। तो ऐसे काम जो प्रगतिशील न हों उनको छुड़ाने के लिए जरूरी है कि हम उनको अन्य व्यवसाय में अग्रसर करें ताकि वह अपनी रोजी ईमानदारी से कमा सकें, जिससे कि वह अपना प्राचीन, प्राचीन तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि "प्राचीन" शब्द का प्रयोग हम अपने देश में बहुत ऊंचे मानी में करते हैं। प्राचीन तो हैं लेकिन असभ्य हैं। इसलिए उन जंगली तरीकों को छुड़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनको इस प्रकार के साधन दें कि वह अपनी

रोजी कमा सकें। अगर हम उनको रुपया दे देते हैं तो यह सम्भव नहीं है कि उसका वह सदुपयोग कर सकेंगे। इसलिये जितना भी रुपया हरिजन सहायक विभाग की तरफ से दिया जाता है जो एक जगह स्थायी तौर से रहते हैं और इस कारण रुपये का सदुपयोग वे कर सकते हैं लेकिन जिन लोगों की सामाजिक व्यवस्था इतनी खराब है कि जिनके पास काम करने के लिये धन्धा नहीं है, वे इस रुपये का सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिये भूतपूर्व अपराधशील जातियों के लिये जगह की व्यवस्था की जाय, भूमि की व्यवस्था की जाय। जो लोग खेती नहीं करते और जिनके पास भूमि ज्यादा है और दूसरों से खेती कराते हैं उनसे भूमि ली जाय। इसी आधार पर जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट बनाया गया कि जमींदार जिसके पास ज्यादा भूमि है उसके पास वह न रह सके और जो खेती करता है वह उतनी ही भूमि रख सके जितनी कि उसके लिये आवश्यक है और जिनके पास ज्यादा खेत हैं उनसे लेकर वे उनको दिये जायं जिनके पास नहीं है और जो खेती का काम करते हैं या भूमिहीन लोगों को दी जाय जिनके पास खेती के लिये भूमि नहीं है।

आज भी वही प्रश्न हमारे सामने है कि जिनके पास खेत ज्यादा है और दूसरों के जरिये वे लोग खेती कराते हैं उनसे खेत लेकर उनको दिये जायं जो खुद खेती कर सकें और अधिक से अधिक अन्न उपजा सकें। भूतपूर्व अपराधशील जातियों के पास सामर्थ्य और शक्ति इतनी अधिक है कि वे शिकार खेलने का काम करती हैं और बड़े खौफनाक जानवरों का शिकार करती हैं। इससे साबित होता है कि ये बड़ी परिश्रमी हैं और अगर इस बल और शक्ति का सदुपयोग किया जाय तो समझता हूं कि हमारे राष्ट्र निर्माण में वह अधिक सहायक हो सकती है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने के लिये, मकान बनवाने के लिये भूमि दें ताकि वे एक जगह स्थिर होकर अपने जीवन को निश्चित रूप से चलाने के लिये व्यवस्था कर सकें ताकि उनका जीवन हमेशा के लिये सुरक्षित हो जाय और उनकी आने वाली संतानें जो कि अशिक्षित हैं, जो खानाबदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह फिरती हैं और जिनका जीवन निश्चित नहीं रह पाता जो एक जगह एक काम करते हैं और दूसरी जगह दूसरा काम, जिनका जीवन बड़ा अव्यवस्थित है उनको अगर भूमि दे दी जायगी तो नतीजा यह होगा कि वे स्थिर जीवन व्यतीत कर सकेंगे, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे और अपनी जीविकोपार्जन में सफलीभूत हो सकेंगे, अपनी आने वाली सन्तानों को शिक्षित कर सकेंगे और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ठीक कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---श्री जोरावर जी अपना संशोधन रख सकते हैं लेकिन साथ ही यह दुरुस्त कर लें। "साथ ही साथ उसमें यह भी प्रतिबन्ध हो" ये शब्द न रख कर "परन्तु प्रतिबन्ध यह है", यह शब्द रखने की कृपा करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गेंदासिंह जी के "संकल्प में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि संकल्प के अन्त में "inverted commas" निकाल कर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :---

> "परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार से जो भूमि अर्जित की जाय उसका कम से कम १/३ भाग अनुसूचित जातियों (scheduled castes and scheduled tribes) के लिये संरक्षित (reserved) हो और किसी भी परिवार को ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि न दी जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी का इस संकल्प द्वारा जो प्रयत्न है वह ऐसा है कि जो हमारी आर्थिक परिस्थिति में और समाज में एक क्रान्तिकारी कदम ला सकता है लेकिन मुझे इसमें बहुत कम विश्वास है कि क्या उन्होंने वास्तव

[श्री जोरावर वर्मा]

में यह जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें किसी हद तक यह भावना भरी हुयी है। क्योंकि मैंने यह देखा और जहां तक मैं समझा हूं उसमें बजाय सत्य के राजनैतिक या पोलिटिकल मोटिव अधिक प्रतीत होता है। मुझे शक इसलिये होता है कि आज तक किसी भी सोशलिस्ट ने जिनके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है उस अधिक जमीन को भूमिहीन लोगों को नहीं दिया है और ऐसा करके उन्होंने कोई उदाहरण पेश नहीं किया है जिसकी आज वह इस प्रस्ताव द्वारा सदन में मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संकल्प के पास होने में दूसरी सरकारी पार्टी जो यहां पर बैठी हुई है उससे भी शक है क्योंकि वह इस बात पर विश्वास नहीं करती कि किसी के पास ३० एकड़ से कम रहे। उसका कारण यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह पूंजीपति बुनियाद पर कायम है और फिर उसके अन्दर जो आदमी हैं वह कैपिटलिस्ट ढंग के हैं...

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अब पटरी से गाड़ी उतर गयी।

श्री जोरावर वर्मा---मैं इस बात को अपने ढंग से कह रहा था कि जिस प्रकार की हालत है वह ठीक नहीं है और उसको देखते हुये यह संकल्प पास नहीं हो सकता। हमारी सरकार जिस आधार पर चल रही है उसका आधार इसके विरोध में ही है लेकिन फिर भी अगर इसको मान लिया जाय तो मैं अधिक अच्छा समझूंगा। शायद सब लोगों की ऐसी राय हो जाय तो मैं इस संकल्प में यह संशोधन पेश करता हूं कि जो जमीन इस प्रकार से अर्जित की जाय उसका एक तिहाई भाग हरिजनों के लिये निर्धारित किया जाय और साथ ही साथ हरिजनों में भी जो गरीब हरिजन हों उन्हें यह इस प्रकार से अर्जित की हुयी जमीन दी जाय और वह सवा छै एकड़ से अधिक किसी को न दी जाय। इस प्रकार के रिजर्वेशन की चर्चा सुनते-सुनते माननीय सदस्यों को थकान हो गयी होगी लेकिन कुछ मजबूरी हम लोगों के सामने ऐसी आ जाती हैं कि अगर इस प्रकार की बात न करें तो फिर इन बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। अभी गांव समाज के द्वारा जो जमीन देहातों में बांटी गयी है वह लगभग ९३ लाख एकड़ जमीन गांव समाज को दे दी गयी है उसमें जितने पट्टे हुये हैं वे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके ९० फीसदी पट्टे उन लोगों को दिये गये हैं जिनके पास एक तो जमीन है और उनमें से भी अधिक जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं उनको दिये गये हैं जो कि नान-हरिजन (सवर्ण) हैं और जिनके पास अपनी जीविका का दूसरा साधन भी है। अध्यक्ष महोदय, सन्त विनोबा भावे जी द्वारा जो भूमिदान यज्ञ चलाया जा रहा है उसमें इस प्रकार का प्राविजन, प्रतिबन्ध है कि जो जमीन भूदान से प्राप्त हो उसका कम से कम एक बटा तीन भाग हरिजनों को भूमिहीन लोगों को देने की व्यवस्था की जाय।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करना है कि जो सर्वोदय सम्मेलन हुआ था उसमें बाबू जयप्रकाश नारायण भी सम्मिलित हुये थे। उसमें जो जमीन के बटवारे की बात हुई थी उसमें उनकी भी सम्मति थी। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं वह इस बात से सहमत हो जायंगे कि एक बटा तीन भाग उस अर्जित की हुई भूमि का हरिजनों के देने के लिये निश्चित किया जाय और उससे वह असहमत नहीं होंगे।

माननीय केशव गुप्त जी ने यह कहा था कि अंग्रेज कहा करते थे कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है लेकिन उन्होंने बतलाया कि यह केवल उनका प्रोपेगेन्डा मात्र था वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि कृषि का रिटर्न बहुत ही कम होता है। ठीक है, उनके लिहाज से ऐसा होता है। लेकिन मैं उनको बताऊं कि वास्तव में अगर खेती के सिद्धान्त से खेती की जाय तो

उसका रिटर्न दूसरे व्यवसायों से सब से ज्यादा होता है। वह सिद्धान्त यह है कि खुद खेती करे, दूसरों से ही न करावे। उसमें खुद जुटे। मैं समझता हूं कि अगर सरकार का कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाय कि जो खुद खेती नहीं करते हैं उनके पास जमीन छोड़ी ही न जाय तो फिर देखिये कि कितना अच्छा नतीजा इसका होता है। हरिजनों के पास खेती के लिये बहुत ही कम जमीन है। जिन लोगों के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है उनसे जमीन किसी प्रकार से अवश्य ले ली जाय। यह कहना कि ३० एकड़ से कम जमीन इकानामिक होल्डिंग नहीं होगी, यह ग़लत है। यह केवल अधिक जमीन पर क़ब्जा रखने के लिये एक दलील है। ३० एकड़ जमीन इतनी काफी है कि अगर उसमें मेहनत से काम किया जाय तो बड़े से बड़े परिवार का गुजारा हो सकता है। मैंने दूसरा प्राविजन यह रक्खा है कि जो जमीन अर्जित की जाय उसमें से सवा छः एकड़ से अधिक किसी को न दी जाय। श्री गेंदासिंह जी के प्रस्ताव में इस प्रकार का निर्देश नहीं है कि कितनी जमीन दी जायगी हालांकि उसमें यह सिद्धान्त निहित है कि सम्भवतः ३० एकड़ से ज्यादा किसी को नहीं दी जायगी।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपके संशोधन को गेंदासिंह जी के प्रस्ताव के साथ इस प्रकार जोड़ दिया है। इससे अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता। वह इस प्रकार होगा--ऐसे व्यक्तियों को दी जा सके जिनके पास जीविका के अन्य साधन नहीं हैं इस प्रतिबन्ध के साथ कि अर्जित भूमि का कम से कम १/३ भाग। और बाकी आगे वैसा ही रहेगा जैसा आपके संशोधन में है। संशोधन में कुछ तुक भी तो होनी चाहिये। आपको यह स्वीकार होगा?

श्री जोराबर वर्मा---जी हां, यह मुझे स्वीकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में भारतवर्ष के अधिकांश लोग जमीन पर ही निर्भर हैं। यहां की जमीन इतनी अधिक है कि यदि आदमी चाहें, जैसा कि पहले था, तो जितने निवासी यहां निवास करते हैं उनके लिये अन्न पैदा किया जा सकता है और बाहर भी भेजा जा सकता है लेकिन आज परिस्थिति यह है कि और बाहर से गल्ला मंगाना पड़ता है। इसका एक कारण मेरी समझ में यह है कि हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीन है जिसमें न तो बहुत पैदावार ही होती है और न लोग लालच में पड़ कर दूसरों को वह जमीन देने की सोचते हैं जिससे दूसरों का हित हो सके। दूसरे जमींदारी अबोलिशन का भी एक रिऐक्शन हुआ है। जो पुराने जमींदार या बड़े बड़े कृषक रह गये हैं उन्होंने अधिकांश जमीन बटाई पर दे रक्खी थी। जमींदारी अबोलीशन के बाद उन लोगों ने उस जमीन को छीन लिया और अब वह परती हो गयी है। अध्यक्ष महोदय जो गांवों की परती जमीन थी वह पहले अधिक थी। गांवों की परती जमीन को लोगों ने तोड़ लिया है और अब जो परती जमीन के आंकड़े दिये जाते हैं वे फर्जी हैं। परती जमीन का करीब करीब तीन-चौथाई भाग भूतपूर्व जमींदारों ने तोड़ लिया है और उनकी जो जमीन थी वह परती डाल रक्खी है।

अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं अनएकोनोमिक होल्डिंग को सवा छः एकड़ के बजाय दूना किया जा सकता है जैसा कि जमींदारी अबोलीशन में बुन्देलखंड के लिये बजाय ३० एकड़ के ६० एकड़ रख दिया गया है और संभवतः उसके ऊपर कृषि आयकर भी उस पैमाने पर नहीं लगेगा जो दूसरी जगह ३० एकड़ से ज्यादा पर लग जाता है। यदि इस प्रकार से बटवारा कर दिया जाय तो हमारे सामने जो अनएम्प्लायमेंट की समस्या है वह दूर हो सकती है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको खेती करने के लिये दी जाय तो सरकार की अधिक अन्न उपजाओ योजना है उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जो

[श्री जोरावर वर्मा]

आदमी समझता है कि मेरी जमीन है तो वह दिल लगाकर काम करता है वही आदमी अगर दूसरे के यहां मजदूरी करता है या जोतता है तो इतना अधिक परिश्रम नहीं करता जिसका परिणाम यह होता है कि माननीय केशव गुप्त को कहने का मौका मिल जाता है कि जमीन से बहुत कम रिटर्न होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जमीन आदमी के स्टेट्स को नापने की एक बहुत बड़ी शक्ति है। वह ऐसा कार्य है जिसमें सभी आदमी कार्य कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें, क्योंकि यह कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके सिद्धान्तों के विरुद्ध हो क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा कि इस सिद्धान्त को उनके सर्वमान्य नेता श्री जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज सदन के सामने उपस्थित है, अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो हमारे देश का सबसे बड़ा उद्यम उससे संबंधित है। मेरा तात्पर्य कृषि से है। कृषि हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है। उसमें लगे हुये करोड़ों परिवारों के जीवन और समाज के ढांचे उसके आर्थिक बटवारे और उसके विभाजन से, जहां तक कि उत्पादन और जमीन पर स्वामित्व का संबंध है, उस पर निर्भर है। यह प्रस्ताव जहां तक इस विचारधारा को प्रेरित करते हुये हमारे सम्मुख आया है कि उत्पादन के साधनों पर सबका स्वामित्व बराबर निहित हो, उत्पादन के साधनों पर उत्पादकों का स्वामित्व हो, उससे किसी को कोई भिन्न राय रखने का मैं समझता हूं कि साहस नहीं होगा। परन्तु हम यह अवश्य देखेंगे और देखना चाहिये भी कि जिस साधन का बटवारा करने का सिलसिला इस प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने आया है वह है कितना और कितनों में उसे बांटना है। हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि है और कितने भूमिहीन हैं, कितने ऐसे है जिनका भूमि पर स्वामित्व है और इस तरह कितने परिवार में कितनी कुल भूमि को बांटना है। यह हमें सबसे पहले देखना होगा और उसके साथ ही साथ जो आवश्यक दूसरी बात होगी और जिसको देखना आवश्यक होगा वह यह कि क्या अगर हम उसको बराबर-बराबर बांट दें तो वह ऐसी आर्थिक इकाई एक रहेगी कि नहीं जो कि उत्पादन करने के लिये बटवारे के बाद हमारे पास भूमि आने वाली है। वह उत्पादन और उत्पादक के हित में काम दे इसके बावजूद हमेशा श्रम और श्रमिकों के अधिकारों की बातें करता हूं मैं यह भी मानता हूं कि हर श्रमिक के उत्पादन के जो जरिये हैं, उनके स्वामित्व पर उनका कितना स्वामित्व है और कितना हो सकता है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिये। और जब इस प्रस्ताव तथा अपनी धरती की कुल नाप को और धरती पर हक रखने वालों की तादाद को और उन परिवारों को देखता हूं जो कि हमारे प्रदेश में कृषि से संबंध रखते हैं तो मुझे ऐसा आभास होता है कि हम किसी मृगतृष्णा की ओर दौड़ रहे हैं और इस मृगतृष्णा को दौड़ लगाने में या तो हम स्वयं अपने को धोखे में डाल रहे हैं या उन लोगों को धोखे में डालने की बात करेंगे जिनके प्रतिनिधि बन कर इस प्रस्ताव द्वारा समर्थन की बातें करते हैं। यह मानी हुई बात है कि सारे देश में जितनी भूमि ऐसी है जिन पर उत्पादन हो सकता है या आज भूमि पर जितने लोगों की मिल्कियत है अगर उनका औसत देखा जाय तो हमारे प्रांत में प्रति परिवार के हिस्से में सब से कम जमीन आती है। जब कि यह प्रस्ताव हमारे सामने है और जब कि हमने इसको मंजूर भी नहीं किया है उत्पादन वाली धरती पर स्वामित्व हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक परिवार में आज भी बटा हुआ है। दूसरे यह भी मैं देखता हूं कि जो भूमि उत्पादन के काम में लायी जा सकती है उस भूमि में अगर उत्पादन में लाने के जरिये को देखें तो सन् ४७ के बाद जो तरीका हमने अपनाया है उससे स्पष्ट हो जायगा कि ३० एकड़ से अधिक भूमि किसी के पास भविष्य में न हो, इस सिद्धांत को मानलिया गया है और उसे एक परिवार की आर्थिक इकाई मान लिया गया है। उस विचार धारा को मान कर ही तराई भावर व गंगा खादर में कार्य किया गया है, और दूसरी तरफ कोआपरेटिव बेसिस पर जो कार्य हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के सिद्धांत का जो भाव है, जोत में आने वाले खेतों के संबंध में उसे

कांग्रेस ने मान लिया और जिनके पास जमीन नहीं है और जो भूमि कि जोत के काम में हैं तब भूमि के बटवारे की चर्चा करना तो किसी ऐसी चीज के बांटने की चर्चा करना है जो कि खुद इतने छोटे-छोटे टुकड़े में हैं कि जिससे न तो वे आज भी अपना पेट भर सकते हैं और उनका पेट भर सकते हैं जो कि उनके ऊपर निर्भर हैं जिस पर कि उनकी अपनी मिल्कियत है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जमीन पर स्वामित्व रखने वालों की संख्या ५० फीसदी से अधिक ऐसी है जो आर्थिक इकाई पर जोत करते हैं और जो बाकी खेती हैं उनको बांटने की बात करें तो हमारा औसत बहुत कम आवेगा। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार भूमिहीन किसानों के नाम पर और भूमिहीन मजदूरों के नाम पर मशहूर हैं। अगर उनके जीवन को ऊपर उठाने की चर्चा करना है तो हमें इस प्रस्ताव को लाने के बजाय ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिये जिससे लोग यह कह सकें कि उत्पादन के दूसरे जो साधन हैं उनके स्वामित्व मिलने पर हम सरकार से प्रार्थना करें कि चाहे वह इंडस्ट्रीज हो, काटेज इंडस्ट्रीज हो या दूसरी चीज हो, उसमें सहायता देकर उनको प्रोत्साहन दें ताकि वह समाज के हर आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने में कामयाब हो सकें, इससे उनका स्वयं भला होगा और कोई आर्थिक प्रतिक्रिया बुरी नहीं होगी हमें देखना चाहिये कि हमारे देश का जो सब से बड़ा उद्योग है इस बटवारे से उस को नुकसान न पहुंचे। इस सारे प्रस्ताव का जो प्रभाव पड़ता है उसकी धारणा अवश्य अच्छी हो सकती है और उसमें गरीबों को उठाने की बात है लेकिन साथ ही इसका जो साधन ढूंढा गया है उसमें बड़ी कमी है, हमें उसका विश्लेषण करना चाहिये और केवल ऐसे इमोशन या भावुकता के साथ कहने की ही बात न होनी चाहिये कि जिस को लेकर हम किसी का भला ही न कर सकें। सन्त विनोबा की बात कही गई है। हमारे प्रदेश में जो जमीन दान में मिली है वह बिहार में जो जमीन मिली है उससे बहुत कम है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे प्रदेश में विनोबा जी के सन्देश को अपनाने में कोई कमी हुई है और बिहार ने उसमें कोई विशेषता दिखाई है। बिहार में जो भूमि अधिक मिली उसके कारण दूसरे हैं, क्योंकि वहां बड़ी-बड़ी जायदादें हैं और बड़े बड़े भूस्वामियों की जमीनें थीं जिनका बटवारा होना संभव था लेकिन हमारे प्रदेश में यहां की बिलकुल विभिन्न परिस्थितियों में उस को पूरा-पूरा लागू करना मैं समझता हूं कि कृषि के लिये हानिकर होगा और यहां के आर्थिक ढांचे के लिये भी हानिकारक होगा। इसलिये इस सूबे की विशेष परिस्थिति को चाहे वह अपने प्रश्न की दृष्टि से अपनी आंखों से ओझल भले ही कर दें लेकिन वास्तव में यह प्रस्तावक महोदय भी समझते हैं कि यह हल उन लोगों की गरीबी को दूर करने का नहीं है मैं आप के द्वारा सरकार से और सदन के माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि प्रदेश में फैले हुये गरीब लोगों की समस्या को हल करने के लिये प्रदेश के आर्थिक ढांचे में हमें विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे हमारे समाज की आर्थिक बुनियाद ठोस और मजबूत होती चली जाय और उनके जीवन को वास्तविक सुख मिले और इस प्रदेश और देश की समस्या हल हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--लंच के बाद राजा वीरेंद्रशाह बोलेंगे।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं सदन को यह सूचना देता हूं जो मुझे अभी मिली है कि पुलिस स्थायी समिति से श्री मती यशोदा देवी ने, विकास स्थायी समिति से श्री परमानन्द सिन्हा ने, आबकारी स्थायी समिति से श्री नारायण दास ने और यातायात स्थायी समिति से श्री नारायण दास ने अपने त्यागपत्र दे दिये हैं। इसलिये यह स्थान रिक्त घोषित होते हैं और उनके स्थानों की पूर्ति के लिये जो समय मैंने सवेरे दूसरी समितियों के संबंध में बताया था वही रहेगा, नामांकन पत्र देने के लिये ३ बजे तक का समय, सूक्ष्म परीक्षा के लिये साढ़े ३ बजे तक का समय और नामों की वापसी का समय कल एक बजे तक रहेगा। यदि निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी तो उस की सूचना मैं फिर से दे दूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

भूमि के उचित बटवारे के सम्बन्ध में संकल्प--(क्रमागत)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव भवन के सामने रखा मैंने उसको बहुत गम्भीरतापूर्वक देखा। श्रीमन्, ऐसे प्रस्ताव इस भवन में पहले भी बहुत आये हमारे सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से और यह प्रस्ताव आज फिर रखा गया है। जहां तक यह सवाल है कि हमारे प्रांत और हमारे देश से गरीबी दूर की जाय, समानता लाई जाय इससे हम सभी सहमत हैं कि हर एक आदमी को बराबर उन्नति करने का और हर एक को रहन सहन में बराबरी से उन्नति करने का मौका दिया जाय। यही सरकार का और हम लोगों का उद्देश्य भी है लेकिन श्रीमन् मैं माननीय गेंदासिंह जी को बतलाना चाहता हूं कि आज सबकी निगाह जमीन के ऊपर ही क्यों है। हमारे देश में गल्ले की कमी होने की वजह से गल्ले के भाव काफी बढ़ गये हैं लिहाजा सबका रुझान जमीन के ऊपर है। लेकिन श्रीमन् जमीन के बटवारे से अगर यह समस्या हल करना चाहते हैं तो मैं गेंदासिंह जी से कहूंगा कि वे हमसे बुजुर्ग हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि इससे हमारे देश की समस्यायें हल नहीं हो सकती क्योंकि इतनी जमीन श्रीमन् है नहीं जैसा कि कई दफा बतलाया जा चुका है। आज जितनी जमीन की मांग हो रही है लैंडलेस लेबरर्स या और लोग जो मांग रहे हैं इतनी जमीन कहां है उन सबको दी जा सके और फिर अगर दे भी दी जाय तो उससे कैसे उत्पादन बढ़ेगा।

श्रीमन् इसको इस वक्त नहीं देखना है, देखना तो यह है कि किसानों में आपस में बटवारे की बात लेकर खींचातानी पैदा न हो। फिर इसकी इस तरह से करने की आवश्यकता भी क्या है, जब कि खुद आपके नेता जयप्रकाश नारायण शांतिपूर्वक इस बटवारे को ठीक से अमल में लाने के लिये अपनी लाइफ दे चुके हैं और दे रहे हैं, जब कि संत विनोबा जी कोशिश कर रहे हैं और जब कि सरकार ने स्वयं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में रखा है कि भविष्य में कोई तीस एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता है। जहां तक सिद्धांत का सवाल है मैं कम से कम इससे सहमत हूं कि यह होना चाहिये कि तीस एकड़ या इससे भी कम जो हमारे हिसाब से ठीक पड़े एक परिवार के लिये काफी हो, वह दिया जाय, लेकिन साथ-साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह बात किसानों को प्रभावित करने के लिये कही जाती है। जैसे हर एक पार्टी का ख्याल होता है उसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी वोट के ख्याल से इसको छेड़ा करते हैं, इस ख्याल से कि किसान भाइयों का इसकी तरफ रुझान हो जाय। मैं, श्रीमन्, बीच के सिद्धांत को नहीं मानता। यह तो पूर्ण गांधीवादी बनिये जिस पर कि यह गवर्नमेंट चल रही है या फिर मैं उसके बाद कम्युनिस्ट सिद्धांत को मानता हूं और पूरा बटवारा चाहता हूं। आप क्यों नहीं कहते कि प्रान्त की गरीबी को देखते हुये मिलें भी बांटी जायं। क्या वजह है कि आज बिरला जी और सिंहानिया जी ८०-८० मोटर रखें और श्रीमन् हम लोग मुंह देखते रहें। उनकी मोटरें भी बांटिये। शुगर मिल्स के बारे में हमारे गेंदासिंह जी खूब जानते हैं कि एलेक्शन में खूब चन्दा दिया कांग्रेस की पार्टी को, लेकिन फिर भी ३० और ४०-४० लाख रुपये की आमदनी कमाई। फिर श्रीमन् उनके लिये क्यों न रखा जाय कि शुगर मिलों का बटवारा हो, लेकिन उनके लिये तो श्रीमन् संविधान में रखा हुआ है कि प्राइवेट प्रापर्टी पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वह इसलिये कि भय है कि अगर उसमें गड़बड़ी कर दी गई तो देश का सारा कलपुरजा बिगड़ जायगा। तो मैं श्रीमन्, कहता हूं कि जो इंडस्ट्रीज है क्यों नहीं उनको नेशनलाइज किया जाता, शुगर इंडस्ट्री को क्यों नहीं नेशनलाइज किया जाता। देश में हो तो पूर्ण रूप से बटवारा हो। यह नहीं कि पहले तो जमींदारी अबालीशन करवा दिया और अब फिर जमीन का बटवारा करो। एक ही खरबूजे को काट कर उसका कचूमर निकाल लो। मैं कहता हूं कि अगर सरकार प्रांत के करोड़ों लोगों का फायदा करना चाहती है

तो आपको चाहिये कि हर तरफ चाहे कोई हो सब का बटवारा हो और हर आदमी को बराबर मिले, यह सिद्धांत पूरा किया जाय। यह मैं नहीं पसंद करता हूं कि आज चूंकि किसान ज्यादा हैं लिहाजा उनकी बात कहने लगें। मैं कहता हूं कि जो देश के हित की बात हो, जो प्रांत के हित की बात हो उसको निडर होकर सरकार से कहना चाहिये चाहे उसको माननीय मंत्री जी मानें या न मानें, चाहे सरकार उसको माने या न माने। मैं मानता हूं कि बटवारा हो, लेकिन अगर बटवारा हो तो सिर्फ जमीन का ही बटवारा न हो जाय बल्कि घर, जमीन, जायदाद, हर चीज का बटवारा होना चाहिये। इस सिद्धांत की बात हम मानते हैं। हमारे देश में पुराने जमाने में बटवारा था, हर एक आदमी में काम बटा हुआ था, राम राज्य का यही एक सबसे बड़ा उसूल था। वहां वर्गों में काम बटा हुआ था। आज श्रीमन्, मैं देखता हूं कि अपने-अपने काम को छोड़ कर जिसमें जहां लोग फायदा देखते हैं वहां जाना चाहते हैं। लैन्डलेस लेबरर्स चाहते हैं कि हमको जमीन मिल जाय, जमीन वाले चाहते हैं कि हमको सिल मिल जाय, मैं समझता हूं कि इस तरीके से देश का लाभ होने वाला नहीं है कि जिस काम को आज तक लोग करते चले आते हैं उसको छोड़ कर दूसरा काम करें। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस काम को एक आदमी बहुत दिनों से करता चला आया है उसे वह बिना शिक्षा के ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। उद्योग-धंधे का काम जितना अच्छा बनिया लोग कर सकते हैं, जो आपके कपूर लोग कर सकते हैं वही काम अगर कोई ठाकुर करना चाहे तो नहीं कर सकता है।

जमीन की बाबत श्रीमन् मैं निवेदन करूं कि एक जमाना वह था जबकि हम लोग जबरदस्ती पट्टा करते थे और उनके छप्परों में लगा आते थे, लेकिन फिर भी वह उनको फेंक दिया करते थे, लेकिन आज उसी जमीन के लिये लोग लड़ने के लिये तैयार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर हमें बहुत ही सावधानी से सोचना चाहिये क्योंकि इस समय एक विशेष स्थिति श्रीमन्, हमारे यहां मौजूद है जैसे काश्मीर का सवाल अभी हमारे सामने है, उसके लिये हमें संघटित रहना चाहिये। आज इस तरह का सवाल उठाने से मुमकिन है कि हम में फूट पड़ जाय। इसलिये जिस वक्त ऐसी समस्यायें हल हो जायं और देश में शांति आ जाय उस समय अगर हम ऐसे प्रश्न पर निगाह डालें तो मैं समझता हूं कि वह अधिक उपयुक्त होगा। इसी विचार से मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं, लेकिन उनसे साथ ही साथ प्रार्थना भी करता हूं कि आपको एक ऐसा प्रस्ताव भी लाना चाहिये जिसमें जो मैंने विचार रक्खे हैं वह भी पूरे हों।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संकल्प रक्खा है उसके असल में तीन चार हिस्से होते हैं। एक तो वह यह चाहते हैं कि किसी परिवार के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि न हो। दूसरे वह यह चाहते हैं कि ३० एकड़ से जो ज्यादा भूमि लोगों के पास है उसका बटवारा ऐसे आदमियों के अन्दर हो जिनके पास जीविका के अन्य साधन न हों। तीसरी बात वह यह चाहते हैं कि जो ज्यादा भूमि है उसको बिना किसी मुआविजे के सरकार उनसे छीन ले, अर्जित करले। इस तरह से इसके तीन अंग हुये। इसके अतिरिक्त वह यह चाहते हैं कि हमारा जो भवन है वह केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि इस तरह का विधान में कोई संशोधन हो जिससे उनसे बिना मुआविजे के भूमि ली जा सके।

जहां तक उनके इस सिद्धांत की बात है कि किसी परिवार के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि न हो, और जो अधिक हो उसका उन लोगों में बटवारा हो जिनके पास अन्य जीविका के साधन न हों, इससे तो मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैं तो यहां तक समझता हूं कि जब हमारे माननीय वीरेंद्रशाह जी जैसे व्यक्ति ने उनसे अपनी सहमति प्रकट की तो सिद्धांततः मैं समझता हूं कि इस भवन में कोई विरोध का सवाल उठता नहीं है। मगर उनका जहां तक सवाल यह है कि बगैर किसी कम्पेंसेशन के उनसे जमीन छीन ली जाय इससे मैं सहमत नहीं हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

जैसा कि और मित्रों ने कहा और केशव जी ने कहा कि जितने भी मीन्स आफ प्रोडक्शन है उनको तो नेशनलाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन आज सिर्फ प्रश्न तो यह है कि अभी वह समय आया है या नहीं आया है, और उसके लिये हमारी जो स्पीड हो वह कितनी होनी चाहिये, असली सवाल यह है। इसमें कोई दो ओपीनियन नहीं हैं। आज आपने मीन्स आफ प्रोडक्शन एक किसी खास व्यक्ति के हाथ में सौंप दें, यह ठीक नहीं है। तो मैं यह कहता हूं कि सिर्फ सवाल स्पीड का है। तो यह सोचना है कि वह समय आया है या नहीं। मुझे २-३ बातें कहनी हैं क्योंकि हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि यह प्रैक्टीकल नहीं है।

एक सदस्य---आप सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध ?

श्री नवल किशोर---मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं। जैसा कि कहा गया है कि यह चीज व्यावहारिक नहीं है, मैं समझता हूं कि श्रीमन, यह बड़े अन्याय की बात है कि हमारे प्रदेश के अन्दर कुछ व्यक्तियों के पास इतनी अधिक भूमि हो और कुछ के पास, जिनकी संख्या अधिक है, हो ही नहीं। और यदि हो तो कम हो। यह एक सामाजिक अन्याय है। एक लाख चौदह हजार व्यक्ति हमारे प्रांत में ऐसे हैं कि जिनके पास २५ एकड़ या ३० एकड़ से अधिक भूमि है। अगर आप खेती करने वालों का परसेंटेज लें तो .९ परसेंट है। तो मैं समझता हूं, और इसके अलावा यदि आप देखें तो ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश की है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास और भी साधन हैं बड़े-बड़े व्यापार हैं, फार्म्स हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। हजारों एकड़ के फार्म हैं और हजार में नहीं तो सैकड़ों एकड़ तो हैं ही। तो मैं यह समझता हूं कि समय की बात दूसरी है, आपको समाज का ढांचा इस तरह का बनाना पड़ेगा कि व्यक्ति के पास एक ही प्रोफेशन हो। यह बहुत ही गलत बात है कि एक आदमी गवर्नमेंट सर्विस में है और उसके पास ५ सौ एकड़ जमीन भी हो और कुछ व्यक्ति ऐसे हों कि जिनके पास इतनी भी जमीन न हो। इस तरह की स्थिति अधिक समय तक बरदाश्त नहीं की जा सकती।

दूसरी बात यह है कि यदि यह कहा जाय कि बड़े-बड़े फार्म्स हों तो मैं यह कहूंगा कि मैं इस विचारधारा का आदमी नहीं हूं। हमारे कृषि मंत्री का यह विचार रहा है और उन्होंने कई बार यह कहा कि भूमि की एक सीमा होती है और उससे अधिक हम बढ़ा दें तो उसके अन्दर उसी अनुपात से अधिक अन्न पैदा नहीं होता और उनका यह भी विश्वास है कि हमारे प्रदेश में बजाय ट्रैक्टर के मानव शक्ति, बैल और हल की आवश्यकता है। इस तरह से खेती करें तो ज्यादा अच्छी होती है और हमारे देश में अनएम्प्लायमेंट नहीं पैदा होगा और जो अन्न की पैदावार है वह बढ जायगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि बड़े-बड़े फार्म्स के लिये इसको अगर छोड़ दिया जाय और ३० एकड़ पर फिक्स कर दें तो वह इकोनौमिक प्वाइन्ट आफ व्यू से बहुत ज्यादा उचित सी बात है। एक दिक्कत जैसा कि वीरेन्द्रशाह जी ने कहा हमारे सामने अवश्य आती है और वह यह है कि जमींदारी को हमने खत्म किया, जो ३० लाख जमींदार थे वे खत्म हो गये। उनमें से आज, संख्या कुछ भी हो, ऐसे अवश्य हैं कि जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं। उनकी जो शिकायत है कि आपने खासतौर से एक ही तबके को चुन लिया है कि जब चाहे गर्दन दबा दें। जब कि दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे को कोठियां, मकान बनवाने में, कारखाने खोलने में लगाया है उनके ऊपर किसी किस्म का अधिकार नहीं है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है और जो इन्कम्स है और हमारी जो सोशल इन्कम्स हैं उनका कहीं न कहीं नियंत्रण आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा।

दूसरी बात इस सिलसिले में यह कही गयी कि जो अधिक जमीन है वह एक लाख १४ हजार आदमियों के पास ५३ लाख एकड़ भूमि है और ३० एकड़ के हिसाब से ३४ लाख एकड़ जमीन उनके पास होनी चाहिये तो जो १८-१९ लाख एकड़ जमीन बचती है उसको हम कैसे बांटें। जैसा अभी गेंदा सिंह जी ने कहा कि

१८ लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता एकोनामिक होल्डिंग बनाने के लिये है जिसमें से ९३ लाख एकड़ जमीन गांव सभाओं के पास है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गांव सभाओं के लिये एक कानून है कि ऐसी जमीन भूमिहीन लोगों को बांटी जायगी। ये जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनसे जो जमीन बचेगी उसको भी अगर हम बांट दें तो अनएम्पलायमेंट की समस्या बिल्कुल दूर तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कम हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रस्ताव के पास कर देने से कोई ऐसी चीज हो जायगी जो इस प्रदेश से ग़रीबी दूर हो जाय, सिर्फ यह एक छोटा सा क़दम है उस ओर और वह हमको उठाना चाहिये। भूमि वितरण का प्रश्न एक आधार-शिला बन गया है और जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने स्वयं भी कहा कि हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस ओर देश का ध्यान खींचा है और हमारे देश के जो सब से बड़े संत हैं आचार्य विनोबा जी वह आम तौर से इस बात को कहते हैं कि अगर सन १९५७ तक ऐसा नहीं किया गया तो मुमकिन है कि यह समस्या और भी भयंकर हो जाय। तो समस्या और भयंकर हो या न हो हमें इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। केन्द्र की ओर से जो नियोजन कमीशन बना है उसने भी शायद कोई इस तरह का क्वेश्चनर ईश्यू किया है स्टेट्स के लिये कि वे अपनी राय दें कि लैंड की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिये। यदि ऐसा है तो मैं इतना चाहूंगा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट यह राय दे कि उसका यह ख्याल है कि मेकसिमम होल्डिंग ३० एकड़ होनी चाहिये किसी एक फैमिली के पास।

इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स भी आये कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं उनके लिये एक तिहाई जमीन फ़िक्स कर देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह इसलिये उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया है कि भूमि उनको दी जाय जिनके पास जीविका का कोई और साधन न हो। तो यदि कोई शख्स व्यापार करता है और उससे अपनी जीविका कमाता है उसको भी जमीन देना कुछ बहुत उचित नहीं होगा चाहे वह क्रिमिनल ट्राइब्स का ही हो। इसकी अपेक्षा जिसके पास कोई और साधन जीविका कमाने का न हो उसको जमीन दी जानी चाहिये चाहे वह कोई भी हो। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं, इसलिये नहीं कि इस प्रस्ताव से मैं सहमत हूं, बल्कि इसलिये कि इस प्रस्ताव पर मुझे विचार करने का मौका मिल गया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ग़रीबों का भला हो, उससे मैं इत्तफाक़ करता हूं। कोई भी दिल वाला आदमी, कोई भी भला आदमी आज कल जितनी ग़रीबी मुल्क में है उसको देख कर दुखी हुये बिना नहीं रह सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इस हिन्दुस्तान में विदेशी लोग आते थे, और किसी के यहां पानी मांगते थे तो वह कहता था कि पानी क्या पियोगे, दूध पियो, पानी देने में हमारी बेइज्जती होगी। आज यहां बच्चों को पीने के लिये दूध नहीं मिलता। ग़रीबी बढ़ गई है, इसमें कोई शुबह नहीं है। जब गरीबी को देखा जाता है, फटे हुये चिथड़ों में स्त्रियों को जाते हुये देखा जाता है, बच्चों को नंगा देखा जाता है और बचपन में ही बच्चों को हड्डियां बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं तो आदमी के दिल में दुख होता ही है। इसलिये इस तरह का प्रस्ताव लाना एक स्वाभाविक बात ही है और लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिये। एक आदमी तो आराम से रहे और एक आदमी को खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान भी नसीब न हो तो यह सवाल उठ सकता है कि गरीबी को देखते हुये यही नहीं कि जिसके पास ३० एकड़ जमीन से ज्यादा हो उसको ले लिया जाय बल्कि इन्द्र के सिंहासन को छीन लिया जाय तथा कुबेर के खजाने को भी छीन कर गरीबों को बांट दिया जाय ताकि किसी न किसी

[श्री सीताराम शुक्ल]

तरह से गरीबी दूर हो । अब सवाल यह उठता है कि छीनने के बाद हमारे यहां गरीबी दूर हो सकती है या बढ़ सकती है। अगर इससे गरीबी दूर हो तब तो मैं बड़े शौक से इस प्रस्ताव को सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर हमने देखा कि देखने में तो गरीबी दूर होती है, लेकिन वास्तव में बढ़ती है तो फिर इसको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। इस पर विचार करने की जरूरत है।

मेरी प्रार्थना यह है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास है वह उनसे ले ली जाय और जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे दी जाय। यह एक बहुत ही साधारण सी बात है किन्तु इससे प्रश्न हल नहीं होगा। मेरी गुजारिश यह है कि आज जो ३० एकड़ से ज्यादा जमीन वाले धनी कहलाते हैं तो कल ३० एकड़ वाले कहलायेंगे और आगे चल कर ५ एकड़ वाले भी धनी कहलायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि हमको संयुक्त खेती करनी होगी। अगर सबको बराबर बराबर जमीन बांट दी जाय तो फी आदमी पौन एकड़ जमीन पड़ेगी। यह मेरा ही केवल ख्याल नहीं है बल्कि ऐसे संशोधन भी आ गये हैं। किसी ने कहा है कि सवा छः एकड़ किसी ने कहा है कि पौन एकड़ से अधिक न दी जाय। यदि सबको बराबर बराबर जमीन बांट दी जाय तो भी आगे चल कर काम नहीं चल सकेगा क्योंकि किसी के चार लड़के होंगे और किसी के एक ही लड़का होगा तो कुछ दिन बाद फिर वही मसला गरीबी और अमीरी का खड़ा हो जायगा और कोई गरीब होगा और कोई धनी होगा। इसलिये हर दस साल बाद जमीन बांटी जायगी यदि ऐसा किया गया तो फिर लोग खेती में मेहनत से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि कुछ दिन बाद उनके हाथ से जमीन चली जायगी। इसका नतीजा यह होगा कि ज्वाइंट खेती करना पड़ेगी और उसका नतीजा यह होगा कि काम ठीक नहीं होगा क्योंकि मसल मशहूर है कि साझे की सुई भन्डा से चलती है। जितनी मशक्कत से किसान अपने खेतों में काम करते हैं, मजदूर मजदूरी लेकर उतना काम दूसरे के खेत में नहीं करता है। फलस्वरूप अपने देश के श्रम का नुकसान होगा।

तब हमें कम्युनिज्म अपने यहां लाना पड़ेगा। इसमें यह होगा कि मेजरमेंट से काम करना पड़ेगा और उसको नापा जायगा तब मजदूरी मिलेगी। लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म अच्छी चीज है खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान और बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। इसलिये अगर कम्युनिज्म आ जाय तो क्या हर्ज है। चीन और रूस में लोगों को आराम है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो कहा जाता है, जो उद्देश्य है वह यदि व्यवहार और प्रैक्टीकल हो तो बहुत अच्छी चीज है किन्तु यदि प्रैक्टीकल नहीं है तो व्यर्थ है। बहुत से लोग वहां से घूमकर आते हैं तो कुछ तो वहां की तारीफ करते हैं और कुछ शिकायतें करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर साम्यवाद अच्छी बात होती तो विरोधियों को बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता और दूसरे मुल्क के लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक घूमने से रोका क्यों जाता है और वहां बोलने की आजादी क्यों नहीं है। सब से बड़ी दिक्कत तो यह है कि कम्युनिज्म के आने के बाद अमीरी छीनी जा सकती है। लेकिन गरीबी नहीं छीनी जा सकती। लेकिन जरूरत तो इस बात की है कि ग़रीब धनी हो जायं धनियों को ग़रीब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कानून बना दीजिये और छीन लीजिये। लेकिन छीनने के बाद गरीबी मिटती नहीं है। मैंने बहुत से कम्युनिस्ट दोस्तों से अर्ज किया कि मेहरबानी करके बतला दें कि रूस के गरीब लोगों का खाना, कपड़ा, मकान और रहन सहन कैसा है कितनी चीनी मिलती है, कितना चावल और कितनी रोटी और क्या-क्या मिलता है और उसका मुकाबला कीजिए दो और मुल्कों के ग़रीबों से भी। अगर और मुल्कों से रूस और चीन के लोगों को ज्यादा और अच्छा मिलता है, तो मैं कहूंगा कि साम्यवाद अच्छी चीज है, आजादी

न रहेगी लेकिन खाना, कपड़ा और मकान तो मिलेगा। लेकिन हमें आज तक जवाब नहीं मिला। हमने कई कम्युनिस्टों से पूछा, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। अभी हाल ही में जर्मनी में कम्युनिज्म आया। वह दो हिस्सों में, पूरब और पश्चिम में बंट गया। पूरब में मजदूरों पर गोली चली है और पश्चिम की कोई शिकायत नहीं आई, लिहाजा कम्युनिज्म आने से भी वह कोई तारीफ़ की चीज नहीं कही जा सकती, उसमें भी भलाई बुराई है। देखना यह होता है कि कुर्सी पर कौन बैठा है शासक कौन है। अगर शासक अच्छा है तो अच्छा शासन होगा और अगर बुरा है तो बुरा होगा। कानून-कायदा एक रहता है, किन्तु व्यक्ति के बदल जाने से जनता को सुख या आराम मिलने लगता है। इज्म या वाद बुरा नहीं है। देखना यह है कि शासक कौन है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ से तब भी शासन होता था जब कि यहां हैलट गवर्नर था, किन्तु जनता दुःखी थी। परन्तु उसी ऐक्ट के रहते हुए जब श्रीमती सरोजिनी नायडू साहब यहां की गवर्नर हुईं तो जमाना बदल गया, इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि "राजा कालस्य कारणम्"।

मुझे एक बात और याद आ गयी। इस संशोधन के लाने से यह जरूर फायदा होगा कि विरोधी वृन्द का प्रोपेगेंडा अच्छा होगा। सब के दरवाजे पर जाकर कहा जायगा कि हमने बड़ी कोशिश की किन्तु कांग्रेस वाले नहीं मानते। हम तो चाहते थे कि बड़ों से जमीन छीन लें और गरीबों में बांट दें। लेकिन यह ख्याल नहीं किया कि इससे हमारे प्रदेश के किसानों का नुकसान न हो जाय। अगर यह मंजूर हो गया तो जैसे जमींदारी टूटने के बाद अब ३० एकड़ से ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता। फलस्वरूप रोजा छोड़ कर नमाज गले पड़ गई, क्योंकि अभी तक यह हो सकता था कि किसान पैसा कमा कर अमीर बन सकता था, लेकिन अब तो ३० एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकता। अतः गरीबी की ही गारण्टी हो गई, इसलिए जोश में आकर कहीं किसानों का नुकसान न कर दीजिये, इस पर जरा सोचने की जरूरत है। अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना किसान पाने लगे तो खुशी होगी, मगर क्या यह भी सोचा कि सबको साम्यवाद में ग़रीब बना दिया जायगा और परोपकार का शब्द डिक्शनरी से निकाल देना पड़ेगा। अतिथि-सत्कार नाम का शब्द फिर कोई नहीं होगा। परसेवा, परोपकार फिर नहीं रहेगा, क्योंकि अपना पेट भरने के बाद ही दूसरों की सेवा का ख्याल होता है। "बुभुक्षितः किन्न करोतिपापम्"। तो पहले जब अपना पेट भरा होगा तभी परोपकार की भावना जागृत होगी कि मैं पहले कैसे खा लूं, क्योंकि महात्मा जी अभी भूखे हैं। जब कांग्रेस ने बिगुल बजाया कि जाओ जेल और लाओ चन्दा तो वह मिडिल क्लास ही थी जो आगे आई। राजा बहादुर तो सोचते थे कि अगर आन्दोलन में भाग लिया, तो हमारी जमींदारी छिन जायगी और ग़रीब जेल जाएं तो खायें क्या? सरकारी अफसर कहते थे कि नौकरी छोड़ देंगे तो बच्चे खायेंगे क्या? चन्दा ले जाओ। तो उस समय अपनी रोटी से निश्चित मिडिल क्लास वाले आगे आये। और कहा कि हम कैसे खाना खा सकते हैं जब कि हमारे करोड़ों आदमी भूखों मर रहे हैं, लानत है हमारे ऊपर। उन्होंने कहा कि या तो जेलों में सड़ेंगे अथवा गोली खाकर मरेंगे या मुल्क आजाद होगा। इस प्रकार परोपकार की भावना ने अपना असर किया और देश की सेवा की। क्योंकि पब्लिक की सेवा करने में जो आनन्द मिलता है वह तनख्वाह लेकर के काम करने में नहीं मिलता। दूसरों की सेवा करने से दिल को आराम मिलता है और परोपकार वही कर सकता है जिसका रोटी का सवाल हल हुआ रहता है। यह दलील दी जा सकती है कि हम वेतन देकर जनता का काम करायेंगे, परोपकार की क्या जरूरत है, जब अच्छा वेतन मिलेगा तो सभी अच्छा काम करेंगे, लेकिन यह वाजह रहे कि वेतन देकर डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन वेतन देकर के गांधी जी नहीं पैदा किये जा सकते। वेतन देकर के डी वेलरा, लेकिन,

[श्री सीताराम शुक्ल]

कमालपाशा नहीं पैदा किये जा सकते। यह तो उसी तबके में से निकलते हैं जिनकी रोटी का सवाल हल होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं में से त्यागी पैदा होते हैं वही लोग कहते हैं कि--

"दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को,
वरना ताअ्रत के लिए कुछ कम न थे करबियां।

इसीलिए इन्सान को पैदा किया गया। "उत्तमृते पुरुषः परार्थघटकाः स्वार्थम् परित्यज्यये", यानी फर्स्ट क्लास आदमी वही है जो दूसरों की सेवा करता है। इसलिये यदि सबको ग़रीब बना दिया जायगा तो परोपकार का काम नहीं रहेगा और जो मानसिक आराम परोपकारी को मिलता है वह नहीं मिलेगा। अतः स्वदेश में गरीबी यदि बढ़ा दी गयी तो --

"उजाड़ कर मेरा गुलशन से आशियां सैयाद,
रहेगा तू भी न दुनिया में शादमां सैयाद।"

शेर चरितार्थ न हो लगे।

आप जानते हैं जार ने रूस में क्या क्या किया। यहां पर जमींदारी तोड़ने का सवाल था, बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया कि जमींदारी तोड़ दी जाय। आचार्य नरेन्द्रदेव की राय थी कि तोड़ी जाय और मुआविजा दिया जाय। जब कांग्रेस ने कहा कि जमींदारी तोड़ी जाय तो कहा गया कि मुआविजा भी न दिया जाय। इसके बाद सवाल पैदा किया गया कि सीर घटानी चाहिये। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि न कम्युनिज्म अच्छा और न यह अच्छा। तो किया क्या जाय? मैं रास्ता बतलाता हूं। इंडस्ट्रीज खोली जा सकती हैं। ऐसी सिचुऐशन पैदा हो रही है दुनिया में गरीबी अगर बढ़ी तो अमीरी रह ही नहीं सकती। अमीरों का फायदा इसी में है कि गरीबी दूर हो। अगर होशियारी से काम लिया गया तो दुनिया से इमदाद मिलेगी। इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी, मुल्क खुशहाल होगा, डीटेल में बतलाने का वक्त अब नहीं है। लाल रोशनी हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी गेंदा सिंह जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश खासकर खेतिहर प्रदेश है। इस प्रदेश का शायद ही कोई गांव ऐसा हो जिसमें कि ९५ फीसदी आदमी ऐसे न हों जिनकी कि जीविका खेती पर निर्भर न हो। हमें तो बड़ी आशा थी कि माननीय गेंदासिंह जी का संकल्प सर्वसम्मति से सदन स्वीकार करेगा। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने जब इसका विरोध किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह माननीय सदस्य जो कि इसका विरोध कर रहे हैं वह प्रदेश की स्थिति से वाकिफ नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में खास करके पूर्वी जिलों में तो ३० फीसदी गांव में ऐसे किसान बसते हैं जिनको कि हम खेतिहर मजदूर कहा करते हैं। ३० फीसदी किसानों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है। शायद ही एक बिस्वा दो बिस्वा एक मंडा या दो मंडा खेत उनके पास हो। लेकिन अधिकतर जिन्दगी उनकी किसी किसान के खेत में सोहनी, रोपनी और कटिया या बुनिया करके ही व्यतीत होती है। जिस प्रदेश में ३० प्रतिशत किसान ऐसे बसते हों जिनकी जिन्दगी का कोई सहारा न हो, वहां की सरकार को या वहां के माननीय सदस्यों को बहुत गम्भीरतापूर्वक यह सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इतना कमजोर होता चला जा रहा है उसका निर्वाह कैसे होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जितने लोगों के पास है अगर वह छीन ली जाय तब भी जो इतनी बड़ी तादाद में खेतिहर मजदूर हैं सबको जमीन नहीं मिल सकेगी। लेकिन साथ साथ सदन को यह भी विचार करना होगा कि न सही एक लाख, अगर ५० हजार आदमियों को भी रोजी मिल जाती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नुकसान इससे होता है ? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में तो चैत के महीने में भी बहुत बड़ी तादाद में जो हरिजन गांवों में बसते हैं, उनको अच्छा अन्न खाने को नहीं मिलता और पूर्वी जिलों में तो हमारे गांवों के रहने वाले गरीब हरिजन गोबर से अन्न निकालकर खाते हैं। ऐसे प्रदेश में जब हमारे साथी गेंदा सिंह जी जमीन के बटवारे की बात कहते हैं तो बहुत से सदस्य उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप भी करते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब कि बहुत से सदस्यों ने कहा कि यह राजनीतिक चाल है। राजनीतिक चाल तो दुनिया में हर आदमी करता है। बहुत बड़े गुनाह की बात नहीं है। लेकिन गेंदा सिंह जी जैसे आदमी पर आक्षेप किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गेंदासिंह जी ने अपनी जमीन, १५ एकड़ से कितनी ज्यादा थी, उन्होंने विनोबा जी को सुपुर्द कर दी। ऐसे व्यक्ति यदि इस प्रकार का संशोधन लाते हैं और कुछ इस सदन के सदस्य उन पर आक्षेप करते हैं तो यह शोभा की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बहुगुना जी ने तो कहा कि इस प्रस्ताव से तो गरीब लोगों को धोखा दिया जा रहा है। भविष्य बतायेगा कि हम गरीबों को धोखा दे रहे हैं या बहुगुना जी धोखा दे रहे हैं और ऐसा अवसर आ रहा है कि शीघ्र ही यह समस्या हमारे प्रदेश में जो बेकारी और भुखमरी की बढ़ती चली जा रही है अगर गम्भीरतापूर्वक सरकार ठोस कदम उठा कर इस समस्या को हल नहीं करना चाहती है तो उपाध्यक्ष महोदय, हम उस ज्वालामुखी के मुंह पर खड़े हैं जिसका विस्फोट जल्द होने वाला है और ऐसे लोग जो धोखा देने के लिए कहते हैं उनको पता नहीं होगा कि वह कहां जायेंगे सरकार कहां जायेगी और हम कहां जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि धोखा हम नहीं देते हैं धोखा आप देते हैं। जिस वक्त सदन में यह भी प्रस्ताव आयेगा कि उद्योग और धन का भी वितरण होना चाहिये उस वक्त माननीय बहुगुना जी भी फिर उसका विरोध करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, देहात में कहावत है, "खेत में ऊख न दे और कोल्हारे रस के लिए बुलावे"। जब हम जमीन के बटवारे की थोड़ी सी मांग उपस्थित करते हैं तब तो बहुगुना जी को यह शंका होती है कि हम धोखा दे रहे हैं गरीबों को। जब कानपुर के और अहमदाबाद और इस प्रदेश में जो उनके दोस्त हैं, उनके दाहिने बैठने वाले हैं, जिनके बल पर यह सरकार चल रही है उनके धन के वितरण की बात करेंगे तब वह कहां जायंगे। यह मेरी समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का आक्षेप दूसरों पर नहीं करना चाहिये। पहले अपने घर को देखना चाहिए। अपने सिद्धान्त को पहले देखना चाहिए, अपने कारनामें को देखना चाहिए कि हम कितने पानी में खड़े हैं। वह आदमी, वह संस्था, वह सरकार उपदेश दे सकती है दूसरे को जो संस्था और सरकार खुद पूंजीवादी ढांचे को फैलाती है ? जिसके इशारे पर और छाया के नीचे पूंजीवाद पलता है, जिसके राज्य में बड़े बड़े राजा महाराजा, जिनके खेत आज भी हजारों एकड़ परती हों ; वह व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है, जिसके नाम से हजारों एकड़ फार्म हो। लेखपालों के कागज में जौ, चना और मटर की पैदावार होती हो, लेकिन मौके पर परती हो। उपाध्यक्ष महोदय जो अपने हाथ से हल न चलाता हो, जो खेती बाड़ी का काम न जानता हो उसके नाम से हजारों एकड़ फार्म हो। वह खुद न मेहनत करना चाहता हो और जो मेहनत करना चाहते हैं उनको न देना चाहता हो मैंने बताया कि हमारे प्रदेश में तीस फीसदी ऐसे लोगों की संख्या है, जो जमीन के भूखे हैं। एक तरफ तो जमीन के भूखे लोगों की संख्या लाखों की तादाद में है और दूसरी तरफ केवल हजारों ऐसे लोग हों जो मेहनत से खेती न करना चाहते हों। अखिरकार यह गल्ले की समस्या कैसे हल हो सकती है। हर साल अकाल पड़ता है। कांग्रेस सरकार कहा करती है

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

कि हमने अकाल को रोका है। अकाल ऐसे नहीं रुका है। हजारों आदमी हर साल मरते हैं, भूखे तड़फते हैं और बाहर से जौ, चना, बजड़ी मंगाने से कुछ रुका है। कब तक हम मंगाते रहेंगे इस अकाल को रोकने के लिये? आखिरकार इस समस्या का हल क्या है? उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि भले ही आज हमारे गेंदा सिंह जी के इस संकल्प का विरोध किया जाय लेकिन वक्त आयेगा कि किसान आपकी बात को नहीं मानेगा और जबरदस्ती उन लोगों के खेतों पर कब्जा कर लेगा जो न खुद खेती करना चाहते हैं और न दूसरों को करने देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति हमारे प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। माननीय बहुगुना जी के एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिये कोई ऐसा प्रस्ताव आता तो बात भी समझ में आती। राजा वीरेंद्र शाह ने भी अपनी दुखदर्द की कहानी सुनाई। बात भी सही है। दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीती है। सन् ३८ का जमाना था जब इस सदन में माननीय रफी अहमद साहब माननीय राजस्व मंत्री की जगह पर विराजमान थे। उस समय जमींदारी उन्मूलन विधेयक सदन में आया हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जमींदारी के खात्मे के साथ साथ हम पूंजीवाद का भी खात्मा करेंगे और मुझे पूरी तरह से याद है कि वह प्रस्ताव स्वीकार भी हो गया था लेकिन मुझे अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय कि जमींदारी तो खत्म हो गई लेकिन किसानों को छोटे छोटे कर्मचारियों को और प्रदेश की सारी जनता को लूटने वाला जो पूंजीवादी वर्ग है वह अब भी सरकार की कृपा से विद्यमान है, लेकिन अगर बहुगुना जी जैसे लोग इसका समर्थन करते तो ऐसा नहीं हो सकता था जिसके लिये आज वह बेकार रोते हैं, घड़ियाल के आंसू गिराते हैं। माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना ही चाहिये। दिल से वह नहीं चाहते कि धन का बटवारा हो। इसीलिये कहते हैं कि यह धोका देने का रास्ता है। अगर यह धोखा देने का रास्ता है तो सही मानी में देखें कि जो हम वर्षों से चिल्लाते आ रहे हैं कि जमीन का बटवारा हो इससे क्या किसानों को नुकसान होता है? कुछ लोगों ने कहा कि जमीन के बटवारे से खेती में नुकसान होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जमीन परती पड़ी हो जिस किसान के पास, जिस किसान का काम है खेती करता और जो दूसरों को अपने परिश्रम से खिलाता है उसके पास एक बिस्वा जमीन नहीं है। अगर उसको एक बिस्वा जमीन मिलती है तो वह ज्यादा गल्ला पैदा कर सकता है बनिस्बत उसके जिसके पास ५० बीघा जमीन है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और माननीय राजस्व मंत्री इसे अस्वीकार करते हैं। हो सकता है कि राजस्व मंत्री जी को ज्यादा जानकारी हो। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल यह है कि वह आदमी राष्ट्रद्रोही है और सरकार उसकी मदद करती है। जो आदमी जमीन रक्खे हो, जोतता बोता न हो और परती रक्खे हो ऐसी जमीन को हस्तगत करने का एक ही तरीका है जिसको कि हमारे साथी गेंदासिंह जी ने रक्खा है। भारतीय संविधान में इसके लिये कोई धारा नहीं थी उसकी पूर्ति के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। कहा जाता है कि साहब वक्त नहीं है तो फिर वक्त कब आयेगा यह माननीय सदस्य बतायें। लेकिन मेरे ख्याल से वक्त किस तरह से आयेगा जबकि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने भी सीमा निर्धारण के लिए कहा है और महात्मा गान्धी के अनुयायी नहीं बल्कि उनके आदर्शों पर चलने वाले और हमारे देश के इस समय सब से बड़े महात्मा विनोबा भावे जी ने स्पष्ट कह दिया है कि भूमि रहित लोगों को जमीन देने की एक ही दवा है और वह यह कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेकर ऐसे किसानों को और खेतिहर मजदूरों को जो मेहनत करना चाहते हैं और जमीन में अपना खून सुखाकर गल्ला पैदा करना चाहते हैं उनको दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने पेश किया गया है उसका पहला भाग यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी परिवार के पास ३० एकड़ से अधिक जोत में न रहे और उन लोगों से जिनके पास इससे ज्यादा जमीन

है लेकर बेरोजगार लोगों को बांट दी जाय। दूसरा भाग यह है कि वह जमीन बिना मुआविजे के ली जाय और तीसरा यह कि इसको तुरन्त कार्यान्वित किया जाय और इस आशय से जो संविधान बाधक धाराएं हैं उनको तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाय।

जहां तक पहले भाग का ताल्लुक है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन दूसरे और तीसरे भाग का विरोध करता हूं। पहला भाग जो है वह कांग्रेस की नीति के अनुसार है और संविधान में कुछ धारायें इस प्रकार की हैं जिनके अनुसार है और वह हमारी कांग्रेस सरकार की जो लांग रेंज पालिसी है वह उसके मुताबिक है। अगर मेरी याददास्त काम करती है तो हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक से अधिक बार इस बात को स्पष्ट कहा है कि जमीन का बटवारा किया जाय। हमारे स्टेट्स की जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल आफ स्टेट पालिसी है उसके मातहत ३९ Clause को पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि:—

"That State shall, in particular, direct its policy towards securing that the citizens men and women equally have the right to an adequate income of livelihood."

यह सेक्शन कहता है कि हर स्टेट का सरकार को ऐसी नीति बरतनी चाहिये कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिले। इस संकल्प में बेरोजगार लोगों को जमीन देकर स्पष्टरूप से रोजगार देने की बात कही गयी है।

इसके बाद मैं सेक्शन ३९ की सी को पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि :—

"That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है या ३० एकड़ से ज्यादा है साफ जाहिर है कि उनके पास धन इकट्ठा हो रहा है तो वह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल के खिलाफ है। उनके लिये डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल आफ स्टेट पालिसी यह कहता है कि उसको जल्द खतम करना चाहिय। दूसरी बात यह कहता है कि वह हमारे विकास के लिये नुकसान पहुंचा रहा है अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो वह हमारे देश के लिये नुकसान की बात है क्योंकि सामूहिक विकास के रास्ते में वह बाधक है। इसको बन्द करना चाहिये। हमारे प्रदेश के अन्दर ४५ फीसदी जमीन अनइकानामिक होल्डर के पास है। जब उन अलाभकर जोत वालों के पास उनके गुजारे के लिये भी पैदावार नहीं होती है क्योंकि वह अपनी जमीन की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो जाहिर है कि आधी के करीब जमीन की प्रोडक्टिविटी आय हर साल कम होती जा रही है तो उसके लिये यह सेक्शन कहता है कि वह कामन डिटरीमेंट की बात है। उससे नेशनल इन्टरेस्ट को नुकसान पहुंचता है और वह भी देश के लिये नुकसान की बात है। इस कारण जो यह पहला भाग है इस संकल्प का तो वह इस डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल आफ स्टेट पालिसी के अनुसार है। हम एक से अधिक बार इस सदन में अपने यहां कल्याणकारी राज्य, वैलफेयर स्टेट बनाने की बात कह चुके हैं। यदि किसी राज्य के अन्दर वहां की जनता के रहन सहन के लिये वहां की सरकार ने कोई न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिया और वहां की जनता का कोई आदमी का उस रहन सहन के स्तर से नीचा स्तर न हो तो वह वेलफेयर स्टेट कहलायेगी। अब अगर इस पैमाने से हम अपने यहां की जनता और सरकार को देखें तो हमारी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि वर्षों की गुलामी के बाद हमें स्वराज्य मिला है। गांवों में ८५.४ फीसदी लोग अलाभकर जमीन लिये हुये हैं। खेतिहर मजदूरों को छोड़कर भी इतने लोगों का रहने का स्टैंडर्ड जरूर सिविलाइज्ड मिनिमम स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग से नीचा है। एक साथी ने कहा कि जमीन के बटवारे से यह समस्या हल नहीं होती। मैं उनसे कहूंगा कि वह हल करने का तरीका बतलावें। मेरा यह विचार है कि किसी भी अकेल कदम से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। आप काटेज इंडस्ट्रीज को बढाइये या कुछ भी

[श्री शिवराज सिंह यादव]

करिये, इसके साथ और भी कदम उठाने पड़ेंगे। एक मर्तबा, अगर मुझे ठीक याद है माननीय चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर हम जमीन का बटवारा भी करें तो केवल ६ फीसदी अनइकानामिक होल्डिंग्स को हम इकामानिक कर पावेंगे। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम कुछ भाग तो हमारी समस्या का हो जाता है।

दूसरी बात का कि मुआविजा न दिया जाय इसका मैं विरोध करता हूं। हमारे कानूनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिये। अभी हमने जमींदारी जब्त करने में मुआविजा दिया और अगर किसी की जमीन एक्वायर करते हैं तो मुआविजा देते हैं। अगर अब नहीं देंगे तो यह ऐसा लगेगा कि हमने पहले जमींदारों को मुआविजा देने में कोई गलत काम किया। सरकार की नीति में कंटीनुइटी होनी चाहिये। अभी हम कानून के द्वारा लोगों को भूमिधर बना चुके हैं और उनसे रुपया लिया है। उनमें ऐसे भी हैं जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो अब उनसे यह कहना कि तुम्हारी ३० एकड़ से अधिक जमीन बिना मुआविजा लेते हैं, यह न्याय-संगत नहीं होगी। अभी इसके लिये उचित वक्त नहीं है। हमको पूरा अधिकार है कि हम कैसे भी कानून बनावें, यह मैं मानता हूं। लेकिन यह भी देखना चाहिये कि वह कानून के समय के अनुकूल है या नहीं। जनता उसे स्वीकार करती है या नहीं। अभी हमने जमींदारियाँ लीं और कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स का कानून हमारे सामने है। इसलिये यह बात करना मेरे नजदीक अनुचित होगी। तवारीख इसकी गवाह है कि जहां और मुल्कों ने ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाये एक साथ, वहां जरूर बुराई हुई है। रूस में आप देखिये, वहां १२ साल तक खेती नहीं हुई और लोग दो तिहाई जानवर खा गये। जैसा हमारे आचार्यजी कह रहे हैं, और कर रहे हैं लोगों के अन्दर फिजां पैदा करनी चाहिये कि वह कानून के महत्व को समझे। माननीय वीरेन्द्रशाहजी के विचार का मैं समर्थन करता हूं कि "principle of social distribution of justice" होना। कारखानों और दूसरे उद्योगों और व्यवसायों के लिये भी एक ही उसूल होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि कुछ को ले लिया जाय और बाकी लोग गुलछर्रे उड़ावें। इसलिये अगर आप ऐसा प्रपोजल लाते हैं जिसमें सोशल और आर्थिक दोनों रूपों में यूनीफार्मिटी लाने की कोशिश की गयी हो तो बहुत ही अच्छा होगा और वह मुल्क की तरक्की का कारण हो सकता है। एक आदमी का खून तब ही खौलता है जब कि आप किसी कानून के द्वारा किसी खास वर्ग तो समाप्त कर देते हैं और दूसरे वैसे ही वर्गों को पनपने का अवसर देते हैं। मेरा विचार है कि पहले आप एक सीलिंग मुकर्रिर कर लें और तब यह कनून लायें तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री धनुधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित है, मैं ही क्या देश का हर एक नागरिक उसका स्वागत करेगा। इस सिद्धांत को कृषि आयकर में भी माना गया है और दूसरे स्थानों पर भी माना गया है। आज खेती के अन्दर हम देखते हैं कि बेकारी की समस्या, कृषि की समस्या, कृषि के उत्पादन की समस्या आदि बहुत बड़ी समस्यायें हमारे सामने आती हैं। हमें यह देखना है कि यह कैसे हल होंगी। एक ओर तो हम देखते हैं कि एक आदमी भूखा मर रहा है, उसको खाने पीने को नहीं मिलता, किसी के पास ६० एकड़ जमीन है तो किसी के पास ६० धूर भी जमीन नहीं है। हमें इस समस्या को हल करना है और इस चीज को लेकर हमें कार्यरूप में परिणत करना है। ३० एकड़ से ज्यादा जिनके पास जमीन है उसका हमें बटवारा करना है। क्या कारण है कि एक किसान के पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं है और उसके पड़ोसी के पास बहुत बड़ी खेती है। एक छोटा किसान जितनी पैदावार करता है उतनी पैदावार बड़ा काश्तकार नहीं कर सकता। यह बिलकुल प्रेक्टिकल बात है थियोरीटिकल नहीं है। अपने ही जिले के अन्दर जब छोटे काश्तकारों की पैदावार देखता हूं और उनकी पैदावार देखता हूं जो कि मजदूरों से खेती कराते हैं जब उनके यहां कोई मेहमान आता था तो पिछवाड़े के रास्ते से जाकर दूकानदारों से सामान मंगा कर मेहमानदारी करते थे। लेकिन किसान अपने पास से लगान देता था, अपनी सारी समस्याओं

को हल करता था और उसके साथ ही साथ जमींदार की खुशामद करता था। जब इस प्रस्ताव का हमारे साथियों ने विरोध किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इसी प्रकार जब रामसुन्दर जी पांडेय ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों का समर्थन करती है, यह बात सुनकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो हमारे और आपके आंकड़ों से ही जाहिर होता है कि आप कितनी तादाद में हैं और हम कितनी तादाद में हैं, किस तरह से हमने आजादी ली और किस तरह से आप रखना चाहते हैं। यही हममें और आप में अन्तर है।

आज हमारे सामने जो समस्या है वह उसी प्रकार से बिलकुल साफ है जिस प्रकार से शीशे में मुंह साफ दिखाई पड़ता है। आज अगर हम इस समस्या को हल नहीं करते हैं तो कोई ताकत नहीं कि हम कम्युनिस्टों को अपने देश के अन्दर आने से रोक सकें। उनके टालने का तो एक ही तरीका है वह यह कि जमीन का बटवारा किया जाय और उन लोगों को दी जाय जो अपने हाथ से जोतते हैं, गल्ले को पैदा करते हैं, कपड़े को देते हैं तथा उनको उन चीजों के उपयोग करने में दिक्कत न हो जो चीजें जीवन के लिये आवश्यक हैं। मेरे जिले की जनसंख्या २६ लाख की है जिनमें एक लाख के करीब ऐसे हैं जिनके पास एक प्यूर खेती भी नहीं है और वे हमारे जिले के अन्दर बेकार हैं। उसी तरह से जिन जिलों के अन्दर बेकारी होगी, जिनके पास खेत नहीं होंगे, जो खेतिहर मजदूर काम करते होंगे उनके अन्दर भी एक भाव पैदा होगा, उनके दिल व दिमाग के अन्दर यह विचार पैदा होगा कि जिन खेतों में हम काम करते हैं उनमें हमारा भी हिस्सा हो। अगर दूसरा कोई डंडा लेकर या छड़ी हाथ में लेकर उनसे काम कराता है तो उनका काम बेगार सा होता है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखूं कि किसान जो अपने हाथ से काम करते और उसका नारा भी हम पहले लगाते थे कि जो खेती करेगा उसे ही उपयोग करने का अधिकार है और जो अपने हाथ से खेती नहीं करेगा उसे उपयोग करने का अधिकार नहीं है। अभी हमारे साथी राजावीरेंद्र शाह जी ने कहा कि आप कोठियों को बांट दीजिये, उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर दीजिये। यह बात बड़ी सुन्दर है और जो बात सुन्दर लगे कौन उसका स्वागत नहीं करेगा। हर व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिये तैयार है लेकिन पहले आप जनता से कहें, कलेजे पर हाथ रख कर ठंडे दिल से कहें कि इसके लिये आप तैयार हैं। कदापि नहीं, कोई नहीं चाहता कि इस तरह से इतनी बड़ी जायदाद लेकर कोई पड़ा रहे और दूसरी तरफ किसी के पास खाने का ठिकाना भी नहीं रहे और दूसरों से भिक्षा मांग कर खाता रहे। आज जो यह जटिल समस्या है इसको हल करना जरूरी है ताकि कृषि का उत्पादन बढ़े और ३० एकड़ से ज्यादा जिनके पास जमीन है उसे लेकर उन गरीब हरिजनों या जो भी खेतिहर मजदूर हैं उनमें बांट दिया जाय जिससे देश का उपकार हो, समाज का उपकार है। यही मुझे कहना था।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--मान्यवर, माननीय गेंदा सिंह जी के संकल्प के ऊपर सुन्दर भाषण को और उसके सुन्दर रूप को देख कर हम सभी सदस्यों का दिल ऐसा होता है कि इसका स्वागत करें और इसका समर्थन करें। इसी भावना में आकर हमारे बहुत से साथी इसका समर्थन कर भी रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी के सामने आज बेकारी की महती समस्या है। हमारा देश एक खेतिहर देश है। इसीलिये कृषि उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। भूमि का बटवारा कर देने से बेकारी की समस्या हल हो जायगी, यह कहने में इतना सरल और सुन्दर मालूम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता है। किन्तु जहां तक अपने विचारों के अनुसार मैं इस संकल्प को देख कर समझ पाया हूं यह एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसको नारदीय नीति से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय गेंदा सिंह जी जैसे एक उच्च कोटि के समाजवादी विचाराधारा के व्यक्ति द्वारा ऐसा संकल्प ऐसी भाषा में लाया गया है जो व्यक्तिवाद की तरफ ले जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता इनडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म का यह कैसे सन्तुलन हो रहा है। इसमें ३० एकड़ भूमि एक परिवार के लिये देने की बात कही गयी है जब कि परिवार की कोई परिभाषा नहीं की गयी है। जब कि हमारा देश सन्तति पैदा करने में संसार

[श्री बसन्तलाल शर्मा]
के अन्दर सब से अग्रसर है तो एक परिवार में अगर आप ३० एकड़ जमीन दे भी देते हैं तो दो ही तीन वर्ष के अन्दर इस परिवार में न मालूम कितने आदमी बढ़ जायेंगे। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आप इस चीज को कर सकेंगे। आंकड़ों के आधार पर मेरे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और जैसा कि मैं समझ पाया हूं उन आंकड़ों के अनुसार यदि ३० एकड़ से ज्यादा काश्तकारी करने वालों से अधिक भूमि लेकर हर एक को बांटी जाती है तो एक चौथाई एकड़ से अधिक भूमि किसी के हिस्से नहीं आवेगी। इससे इसका कोई सामंजस्य नहीं रह जाता। यह मैं मानता हूं कि हमारे देश में बेकारी अधिक है परन्तु बेकारी को मिटाने के लिये केवल खेती ही की एक समस्या हमारे सामने नहीं है। खेती की जो दशा हो रही है और जो देश में ग़रीबी बढ़ रही है उसके बहुत से कारण हैं। हम देखते हैं कि गांवों के अन्दर क्या-क्या रोग हैं जिनके कारण से वहां किसानों की दशा खराब होती जा रही है और ग़रीबी बढ़ती जा रही है। उनके खेत आज स्कैटर्ड हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में वह बटे हुये हैं और उसके लिये सरकार की ओर से एक ठोस कदम चकबन्दी का उठाया गया है। हमें आश्चर्य होता है कि हमारे समाजवादी भाई जब जनता को आकर्षित करने के लिये नारा लगाते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन बाहर वह अपनी सारी नीति को भुला कर देहातों के अधिकांश अशिक्षित समाज को रात दिन बहका बहकाकर भुलावे में डालते हैं कि भाई चकबन्दी से नुक़सान होगा और अच्छी ज़मीन ले कर तुमको खराब जमीन दी जायगी और रात दिन वे इस तरह का प्रोपेगैन्डा करते हैं और न मालूम कैसे उनका संगठन जनसंघ और कम्युनिस्टों के हाथ हो जाता है। ऐसे प्रस्ताव लाने से प्रदेश की भलाई नहीं हो सकती।

मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो क़दम उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण क़दम है। ज़मींदारी कानून और जो कृषि आय कर कानून बना है उसके बन जाने के बाद क्या किसी आदमी के पास भी कोई धन एकत्रित होने की संभावना हो सकती है। ३० एकड़ से ऊपर भूमिवालों पर कृषि आय कर की योजना मौजूद है और उसमें आगे और संशोधन होने वाले हैं जो सदन के सामने रखे जा चुके हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि ३० एकड़ से अधिक खाते वाले लोगों को धन एकत्रित करने का मौक़ा मिलता है। मैं कहता हूं कि उनके ऊपर कृषि आय कर लगाने से उन पर परिणाम बहुत बुरा हुआ है। जो राजा महराजा थे उनका बुरा हाल हो गया है। मैं नानपारा का रहने वाला हूं और जनता हूं कि राजा नानपारा की लगभग सारा स्टेट कृषि आय कर देने में ही बिक गई, ज़मींदारी एबालिशन तो बाद में हुआ। मैंने उदाहरण दिया कि यह कृषि आय कर ही ऐसी चीज है। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि ३० एकड़ से ज्यादा वाले बहुत थोड़े से लोग हैं और उनकी तादाद अधिक नहीं है और जो हैं वह भी अधिकतर अपनी जमीन शिकमी पर उठाते हैं और उन शिकमियों के लिये भी अधिवासी का क़ानून बन गया है, और अब एक संशोधन बिल आ गया है जिसमें वे भी भूमिधर बन जायेंगे। इसके अलावा हम उस क़ानून में यह भी रख चुके हैं कि अगर किसी काश्तकार के पास कोई ज़मीन परती रहती है तो उसको ६ मास का एक नोटिस मिलेगा कि क्यों खाली खेत पड़ा है, अगर तुमको नहीं करना है तो क्यों न दूसरे को उसको उठा दिया जाय? जब यह सब हो रहा है तो फिर क्या जरूरत ऐसे प्रस्ताव की रह जाता है। मैं समझता हूं कि इससे तो और काम्पलीकेशन्स बढ़ेंगे कि कैसे बटवारा किया जाय किसको जमीन दी जाय किसको न दी जाय, परिवार किसको मानें और तरह तरह की दिक्क़तें पैदा हो सकती हैं और अधिक असन्तोष ही फैलने की सम्भावना है। यहां भूदान यज्ञ क़ानून भी बना। सोशलिस्ट लोग जनता के कल्याण की दोहाई देते हैं और कहते हैं कि हमने भी देश को आज़ाद कराया। हम भी जेल जाते थे परन्तु जनता कांग्रेस के ही नाम पर राजी है, उसके नाम से उसको अच्छी तरह जानकारी है उसका नाम प्रसिद्ध हो गया है, उसका कोई दूसरा नाम समझ में नहीं आता। कहते हैं कि हम फिर जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन कोई ठोस क़दम उनकी समझ में नहीं आता जो करके दिखलायें।

देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने जो स्वतंत्रता से भी महान् समस्या है वह ग़रीबी की है जिसको हमें हल करना है। मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि अब तो वह सालिड वर्क करके दिखलावें, प्रौढ़ शिक्षा, गांव की सफ़ाई, सड़कों का बनाना, सामाजिक शिक्षा, चकबन्दी आदि में सहयोग यह सब काम हैं जो हमें करने हैं। यही चीजें हैं जो हमारे ठोस क़दम हो सकते हैं और जिनसे जनता लाभ उठा सकती है। बेकारी का जो प्रश्न है वह खेती की समस्या के कारण नहीं बढ़ी हुयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप से कि बेकारी जो हमारे देश के अन्दर बढ़ी हुई है वह हमारे अधिकतर देहात के रहने वाले भाई आज परिश्रम से जी चुराते हैं उसके कारण हुई है। देहातों के लड़के जो आज यहां शहरों में पढ़ने आते हैं जब वे कालेज और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उन्हें बाबूगीरी करने की जरूरत मालूम होती है वह शहर को छोड़ कर जाना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं कि जो कानून बनावें उसे सोच समझकर बनावें या जो पुराने कानून बन चुके हैं उनसे इस दिशा में कितनी प्रगति हो रही है उसको कितना और बढ़ाया जावे इसको देख कर बनावें। यों तो हम कानूनों का प्रसव करते ही रहते हैं, रात दिन हमारा यही काम है लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से बिना समझे बूझे कानून बना देने से कोई लाभ नहीं है। जो कानून हम पास कर चुके हैं उन्हीं पर हमें जोर देना है और हम उसी पर पूरा जोर दें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खेती की समस्या स्वत: हल हो जायगी जो परिश्रम करेगा जमीन उसी के पास रह जायगी और जो नहीं करेगा उसके पास से निकल जायगी। भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्दर तमाम ऐसी धारायें हैं। उनके बाद इस संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संकल्प की ताईद करने के लिये आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विनोबा जी के पूरे कथन से चाहे कोई सहमत हो या न हो लेकिन इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा जैसा उन्होंने कहा कि आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी और सब से मुख्य समस्या भूमि और भूमि के बटवारे की है। इस विषय में मुझे उनका एक प्रवचन याद आता है। १२ मार्च सन् १९५२ को उन्होंने बनारस में अपने प्रवचन में कहा था "तैलंगाना में कम्युनिस्टों को जो यश मिला उसके कारणों की खोज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस देश का मुख्य सवाल भूमि का है। तैलंगाना में जो समस्या आज खड़ी है वह कल सारे हिन्दुस्तान में उपस्थित हुये बिना नहीं रह सकती। इसलिये हम सबको उसका मुक़ाबला करना होगा और इसलिये उसके अहिंसक हल में मैं प्रवृत्त हुआ हूं और यही मेरी भूदान यज्ञ की प्रेरणा का मूल स्रोत है।" तो इस विषय में जब हम एक मत हो जाते हैं कि आज के हिन्दुस्तान में हमारे सामने सबसे बड़ी और मुख्य समस्या भूमि की और भूमि के बटवारे की समस्या है तो बहुत कुछ हमारा इस संकल्प के विषय में दृष्टिकोण भी आसान हो जाता है। जहां तक मैं समझता हूं आज हिन्दुस्तान का ही नहीं दुनिया के सभी पिछड़े हुये मुल्कों का, कृषि प्रधान मुल्कों का, गुलाम और अर्द्धगुलाम देशों का, एशिया और अफ्रीका के सभी मुल्कों का सबसे बड़ा मसला जमीन का मसला है। अगर यह मसला किसी देश में हल नहीं होता तो कोई भी सरकार उस देश विशेष में कायम हो, वह टिक नहीं सकती और जनता उसको फौलादी ठोकर मार कर कूड़े के ढेर पर फेंक देगी। इसका उदाहरण हमारे पड़ोस में चीन का है। चियांगकाई शेक ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी ग़लती की वह यह है कि चीन एक कृषि प्रधान देश होते हुये उन्होंने वहां के खेतिहरों की समस्या हल नहीं की और इसलिये वहां के किसान जो उनको एक दिन देवता समझते थे उनके खिलाफ खड़े हुये और उनको उठा कर फेंक दिया इतिहास में कूड़े ढेर पर। हमें वह बात भी याद आता है जब शेख अब्दुल्ला जो काश्मीर के प्रधान मंत्री थ, और जमींदारी ख त्मा कानून काश्मीर कांस्टीटुयेंट असेम्बली में पेश किया गया था और जब जम्मू प्रजा परिषद् और दूसरे सामन्तवादी तत्व बिना मुआवजा जमींदारी खात्मे का विरोध कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें अपने इस काश्मीर में चीन का

[श्री झारखंडे राय]

उदाहरण पेश नहीं करना है और हम काश्मीर में इस समस्या को जरूर हल करेंगे। तो श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रान्त की और हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है उस को भी इस समस्या को एक पार्टी भाव से न देख करके इस भाव में देखना होगा कि बिना इसको हल किये हुये, एक स्थायी हल किये हुये यह सरकार भी नहीं रह सकती और इस सरकार की कोई भी विकास की योजना चल नहीं सकती क्योंकि किसी भी विकास योजना या किसी भी तरह की योजना की नींव मजबूत होनी चाहिये और वह नींव तभी मजबूत हो सकती है जब हिन्दुस्तान के रहने वाले ८५ फीसदी किसान, हमारे प्रदेश में बसने वाले किसान पहले सुखी हों, सम्पन्न हों और उनको कम से कम दोनों समय भरपेट भोजन मिले, उनको अपना तन ढकने के लिये कपड़ा मिले और उनके बच्चे नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के उन मामूली साधनों से मुहइया किये जांय, उनके सर पर एक छप्पर हो तभी हमारी योजनायें आगे बढ़ सकती हैं और सफल हो सकती हैं।

मैं इसी दृष्टिकोण से माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को देखता हूं और मैं महसूस करता हूं कि सरकार को भी इसी दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिये। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास आंकड़ों का इतना अम्बार है कि मैं समझता हूं कि वह इस हाउस को पाट सकते हैं। सरकार उनकी है और प्रचुर साधन उनके पास है। वह ऐसे आंकड़े पेश करेंगे और दिखा देंगे कि इस समय दिन नहीं है बल्कि रात है। लेकिन इससे रात हो नहीं जायगी दिन ही रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों की दुनियां में न जा कर मैं यही महसूस करता हूं कि आज एक आदमी जिसके घर में ५ आदमी खाने वाले हैं उसके पास दो सौ, तीन सौ और चार सौ एकड़ तक जमीन है जब कि एक आदमी जिसके पास दस पेट खाने वाले हैं उसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है। मैं कहता हूं कि यह जमीन का बटवारा किसी भी जमाने में हुआ हो, चाहे राम कृष्ण के जमाने में, चाहे इसा मुहम्मद के जमाने में या चाहे वारेन हेस्टिंग्ज के जमाने में हुआ हो लेकिन यह ग़लत है और आज समाज उसको बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये उसका फिर से एक न्यायसंगत, नैतिक और ऐसा बटवारा होना चाहिये जिससे कि समाज के विकास की रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ सके।

इस विषय में यह भी कहा जायगा कि जमीन रबड़ तो नहीं है कि बढ़ा दी जायगी। हम भी महसूस करते हैं कि जमीन रबड़ नहीं है। हिन्दुस्तान में आबादी ज्यादा है और जमीन उतनी नहीं है जितनी कि उस आबादी के लिये होनी चाहिये। लेकिन यह भी सही है कि ऐसे आदमी जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो उसको नहीं जोतते बल्कि बहुत ही ग़लत तरीके से जोतते हैं, उनके पास उनके भरण-पोषण के लिये जमीन छोड़ करके मैं यह नहीं कहता कि उनको जान से मार दिया जाय, उनके पास भी उनके परिवार के गुजर-बसर भर की छोड़ करके और उनसे बाक़ी जमीन ले करके अगर औरों को जिनके पास कुछ नहीं है जो चाहते हैं कि जमीन मिले, दी जाय तो वह जमीन से इतना पैदा कर सकते हैं जिसमें वह खुद खायेंगे और देश में जो ग्रो-मोर फूड की योजना है वह भी सही माने में आगे बढ़ेगी। अन्यथा आप ग्रो-मोर-फूड की योजना चलाते जाइये, उस पर करोड़ों रुपया ख़र्च करते जाइये, गमलों में और छतों पर अन्न पैदा कराइये मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है क्यों कि जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने उधर से कहा--नाम तो मुझे याद नहीं है कि एक किसान जिसके पास अपनी पांच बीघे जमीन है वह उसमें मेहनत से काम करता है तो वह अधिक पैदा करेगा बनिस्बत उस व्यक्ति के जिसके पास ५ बीघे जमीन हो लेकिन वह अपने हाथ से काम न करता हो बल्कि मजदूरों से काम कराता हो। इसका कारण यह है कि अगर एक आदमी को जमीन दे दी जायगी तो वह यह महसूस करेगा कि यह जमीन मेरी है और यह मेरी जिन्दगी के साथ मुझसे जायगी। तो वह मेहनत से काम करेगा जिससे उसमें अधिक पैदावार होगी। इस तरह से देश में जो अन्नसंकट का प्रश्न एक जटिल समस्या बन गया है वह भी हल हो जायगा और दूसरे देशों से हमें जो अन्न मंगाना पड़ता है भिखमंगे की भांति चाहे वह खरीदने की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो--वह भी बन्द हो जायगा। इसके अतिरिक्त इसके नाते दूसरे मुल्कों

की राजनीतिक पकड़ हमारे अर्थ तंत्र के ऊपर, हमारी राजनीति के ऊपर जो दिनों दिन ज्यादा होती चली जा रही है उससे भी बहुत हद तक हम छुट्टी पा जायंगे। इसलिये हमें यह महसूस करना चाहिये कि जमीन के बटवारे से हमारी तमाम समस्याओं के हल का सुन्दर, स्वस्थ और वैज्ञानिक प्रारम्भ होगा। पहले, जो खेतों से गुजर-बसर करने वाले लोग हैं उन्हीं में जमीन के बटवारे की बात होगी। उसमें भी जो भूमि-हीन हैं और उसके पास इतनी कम खेती है जिससे उनके परिवार की गुजर नहीं होती उन्हें देने की बात होगी। तो इस व्यवस्था में मध्यम किसानों की संख्या बहुत बढ़ जायगी। जो बड़े-बड़े किसान हैं उनकी संख्या कम होगी। जो नीचे के किसान हैं वे मध्यम श्रेणी में पहुंच जायेंगे और हमारे देश और प्रदेश में से मिडिल पीजेन्ट्री की संख्या अधिक हो जायगी। जमींदारी के खात्मे की बात कही जाती है। उस पर बड़ी आलोचना इस हाउस में हो चुकी है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जमींदारी का खात्मा इस सरकार द्वारा जिस प्रकार किया गया है उससे बड़े-बड़े फार्मों को दे कर, बड़ी-बड़ी सीर, खुदकाश्त को रख कर, बड़े-बड़े बगीचों का उनके पास छोड़ कर के और नई-नई जमीने जो तोड़ी जा रही हैं उसमें भी काफी बड़े-बड़े भूखंड लोगों को दे कर के, जमींदारी प्रथा को फिर बैकडोर से परिवर्तित रूप में लाया जा रहा है। जमींदारी प्रथा कोई शास्वत नहीं है। एक आदमी के पास जब जमीन ज्यादा हो जायगी, मीन्स आफ़ प्रोडक्शन ज्यादा हो जायंगे, जिसके बिना इन्सान इन्सान नहीं रह सकता तो फिर उसका इस्तेमाल गलत तरीक़े से कर सकता है। तो जमींदारी प्रथा का जहां तक खात्मा किया गया है वह भी एक अधूरे तरीके से और उससे भी समस्या हल नहीं होगी। आज शायद राजस्व मंत्री सोचते हों कि जमींदारी खत्मा कानून लागू होने के बाद से किसान एक सुखी किसान हो, बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने से, इन्टरमिडियरी जिसे कहा जाता है उसके निकल जाने से। लेकिन किसानों में ही विभिन्न प्रकार के किसान हों, भूमिधर हों, अधिवासी हों, सीरदार और आसामी हों इन भेदों को तोड़ने की कोई कोशिश उनकी ओर से नहीं की गयी। एक किसान वर्ग होता और उसके ऊपर सरकार होती। उसके बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिये था। अतः ये भेद मिटने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक जानता हूं भूमि समस्या का हल बेकारी की समस्या का भी एक सब से बड़ा हल है। आप काटेज इंडस्ट्री खोलेंगे केवल इससे हमारे प्रदेश में जो करोड़ों आदमी बेकार हैं उनकी समस्या हल नहीं होगी जब तक कि जमीन का बटवारा नहीं होगा। देहात में रहने वाले लाखों बेपढ़े लिखे लोगों की समस्या का हल नहीं होगा। यह उस दिशा में भी एक बड़ा क़दम है। चीन में जहां कि इतनी ज़बरदस्त बेकारी थी उन्होंने यह किया कि १५ से २० करोड़ आदमियों को लगभग ३७॥ करोड़ माऊ जमीन बिना एक पैसा दाम लिये बांटी। वह जमीन उन्होंने कैसी बांटी। जो परती जमीन थी, जंगल और चरागाह जितने की जरूरत थी उसको छोड़ करके, बाक़ी सब बांट दी। बड़े-बड़े जमीन के जो मालिक थे उनके खाने पीने भर के लिये छोड़ करके बाक़ी सब जमीन ले करके बांट दी थी। बड़े-बड़े भूस्वामियों के पास हल, बैल या और चीजें जो अतिरिक्त थी, सरप्लस थी, उसको ले कर के उन गरीबों को दे दी। श्री विनोबा भावे के आन्दोलन में भी एक आदमी को जमीन दी जा रही है। न हल दिया जाय, न बीज दिया जाय, न पानी का इंतजाम किया जाय, न प्रारम्भिक पूंजी दी जाय, जो अत्यन्त जरूरी है, वह व्यक्ति उस जमीन से क्या करेगा? तो इसलिये हम समझते हैं कि जमीन-बटवारे के इस तरीके से भूमि की समस्या को हल करके जो देहाती क्षेत्रों में करोड़ों आदमी बेकार हैं उनको बाकार किया जाय, बरसरे रोजगार किया जाय और उसके बाद शहर की जो बेकारी है उसकी समस्या का अन्य तरीके से हल करने के लिये आगे बढ़ा जाय। इसलिये सबसे पहले जमीन का बटवारा होना चाहिये। हम अभी यह नहीं कहते कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बैठेंगे उसमें क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह एक सम्भावना है कि इस तमाम बटवारे के बाद भी कुछ सरप्लस पापुलेशन बच जाय जिनके पास कोई रोजगार न रहे। तो इसके लिये फिर काटेज इंडस्ट्री और बड़ी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन उसके नाम पर इसको भी छोड़ देना या इसकी चर्चा पर घबरा जाना, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि यह बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है।

[श्री झारखंडे राय]

जहां तक भूदान आन्दोलन की बात है, भू-दान आन्दोलन में हमारे देश की सरकार तो शामिल है ही, देश के बड़े-बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं, जो सर्वोच्च शासक की गद्दी पर बैठे हैं वे भी और जो प्रान्तीय गद्दियों पर बैठे हैं वे भी शामिल हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तरीके से यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल हिपोक्रिसी मालूम होती है, यह बिल्कुल आत्मप्रवंचना और परप्रवंचना दोनों हैं। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शासक दिल्ली के बाजार में खड़े हो कर कहता है कि यदि मेरा बस चलता तो मैं इन तमाम सिनेमाओं को जिनमें अश्लील चित्र दिखलाये जाते हैं बन्द करवा देता। मैं कहता हूं कि डूब मरना चाहिये उन हुकूमत करने वालों को। जब आप के पास बहुमत है, आपके साथ देश की जनता का बहुत बड़ा भाग है, आप के हाथ में सरकार की कुर्सियां हैं, फौज और पुलिस है और ऐसे काम में देश पूरा आप के साथ होगा तो आप दान मांगते फिरते हैं और "यदि हमारा बस चले" कहते हैं। क्यों नहीं कानून बनाते हो कि जमीन का बटवारा होना चाहिये और जो जमीन सरप्लस है वह छीन कर बांटी जायगी? खाली भू-दान के आन्दोलन में सम्मिलित हो कर आप बिल्कुल हिपोक्रिसी पैदा कर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल इस देश में नहीं हो सकती। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करता हूं और खास कर के उस तरफ जो बैठे हुये माननीय सदस्य हैं उनसे हमारी अपील है कि जो दिल से महसूस करते हैं उसका वे समर्थन करें। शब्दों का परिवर्तन भले ही कर लें लेकिन जो मुख्य प्रश्न है कि जमीन का बटवारा हुये बगैर यहां का कोई काम नहीं हो सकता उसको न भूलें। इन शब्दों के साथ इस संकल्प का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना इरादा इस डिबेट में हिस्सा लेने का छोड़ चुका था, लेकिन अभी एक माननीय सदस्य का जो भाषण हुआ उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि दो चार शब्द मैं भी कहूं। जो प्रस्ताव माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने रखा है उसमें कोई शक नहीं कि वह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी बाबत उन्होंने इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा है और एक बात रखी है। लेकिन जैसा कहा गया, हर आदमी इस चीज की अहमियत को मानता है हमारे यहां, खासतौर से जहां तक कांग्रेस का सवाल है हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बात को माना है कि कभी न कभी जमीन की एक सीलिंग मुकर्रर करनी पड़ेगी। इससे कोई फ़ायदा हो या न हो लेकिन एक फायदा इससे अवश्य है कि जो मानसिक संतोष होता है वह इससे लोगों को हो जायगा जो खुद एक बड़ी चीज होती है। लेकिन हमें देखना यह है कि यह समस्या महत्वपूर्ण होते हुये भी और समस्याओं के मुकाबिले में इसका स्थान क्या है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ आज जब हमने अपने को जो एक कम्युनिस्ट कहते हैं उनके मुंह से सुना कि मैं आंकड़ों को नहीं जानता, मैं तो यह जानता हूं कि किसी तरह से काम हो जाना चाहिये। वे जो अपने को वैज्ञानिक कहते हों वे अंधाधुन्ध काम करने में विश्वास करते हों, लेकिन जिनको काम करना है, जिनको देश का भला करना है वे बिला सोचे समझे कि हमारी समस्या क्या है और कौन से काम से हमें क्या लाभ होने वाला है कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जिनका मंशा केवल यह है कि देश में गड़बड़ी पैदा हो वे तो एक हुक्म दे देंगे कि जाओ जमींन पर क़ब्जा करो, जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको छीन लो। वे नहीं चाहते कि जमीन का बटवारा हो, वे चाहते हैं कि देश में गड़बड़ी हो। मैं एक बात यह कहता हूं कि सभी सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि जहां हम जोश की बात कहें वहां होश को न भूल जायं अक्ल को न भूल जायं। आंकड़ों को हमें देखना पड़ेगा, वाक़यात को हमें देखना पड़ेगा और जो वाक़यात नहीं देखेगा वह ठोकर खा जायगा, वह नहीं गिरेगा जो आंख खोल कर चलेगा और जो अपने देश की नब्ज को देखते हुये आगे बढ़ेगा। मैं आप को जरा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे भाई, माननीय सदस्य को सन् ४२ की याद होगी। हमारे सामने देश की समस्यायें थीं, हम समझते थे कि देश की समस्या का हल होना हमारा पहला काम है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में हम लोग सहयोग देते हैं,लेकिन हम जानते थे कि रूस का ब्रिटेन के साथ मिल जाने से कोई परिवर्तन देश

के लिये नहीं है। और हिन्दुस्तान का काम हिन्दुस्तान की भलाई की दृष्टि से करने का जो पार्टी तय करेगी वही आगे जा सकती है और सफलता प्राप्त कर सकती है और हमने जो फैसला किया था उसमें हमारे उस तरफ के भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वह मेरे भाई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं तो उन भाइयों से कहता हूं जिन्होंने समस्या को बगैर समझे अपनी धुन में केवल हमारा अविश्वास ही नहीं किया बल्कि यह तय किया था कि लड़ाई में रूस का साथ देना सही बात है और लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देना सही बात है। लेकिन उन्होंने देख लिया कि उनकी क्या हालत हुई। जो हमारी कांग्रेस की नीति थी वह सफल हुयी और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि वह आगे भी सफल होगी। वह चीन का उदाहरण देते हैं वह जरा ठंडे दिल से .....

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर/माननीय मंत्री जी विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री चतर्भुज शर्मा---मैं विषय से बाहर नहीं जा रहा हूं बल्कि मैं जवाब दे रहा हूं और मैं जवाब यह दे रहा हूं कि अभी कहा गया हमारे नेता जी की तरफ इशारा करके कहा गया है कि वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो पढ़े लिखे मनुष्य के मुंह से और खास करके एक माननीय सदस्य के मुंह से नहीं निकलने चाहिये थे और ऐसे माननीय नेता के लिए उन्होंने इशारा करके कहा। लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि जब चीन में समस्या खड़ी थी और वहां के कम्युनिस्ट नेता ने मदद मांगी थी तो हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने ही उनको मदद दिलायी थी। उनके लिए यह कहना कि मामूली समस्या के लिये कि चुल्लू भर पानी में डूब कर नहीं मर जाते हैं। यह कोई अक्ल की बात है?

यहां चांगकाई शेक का उदाहरण दिया गया। चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नेता के पास दिमाग है और वह जानता है कि देश की समस्या क्या है। जब चीन का जापान से युद्ध हो रहा था तो उस समय उसने उस समस्या को समझा था और राष्ट्रीय सरकार की हर तरह की मदद करने के लिये तैयार था और उसने कहा था कि पहले जापान से निबट लिया जाय। लेकिन वह इस बात का हामी नहीं था कि रूस को फालो किया जाय। जहां लोगों ने चीन की सी अक्ल रखी उन्होंने सफलता पायी और जिन लोगों ने रूस की फालो (नकल) करने की अक्ल रखी तो क्या सफलता पा सकते थे। हम दावा करते हैं कि हम सारी चीजों को पहले अच्छी तरह से तोलते हैं और फिर अपना कदम सोच समझकर उठाते हैं तभी हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

मैंने कहा कि भूमि वितरण का और सीलिंग का बड़ा महत्व है और हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन देखना यह है कि असली समस्या क्या है, आया आज जमीन बांटी जाय या पैदावार बढ़ायी जाय। अगर हमारे सामने यह समस्या है कि पहले अपने देश में पैदावार बढ़ायी जाय तो हम देखेंगे कि हम कौन सा कदम उठायें जिससे हमारे देश की पैदावार पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) बढ़े और जब हमें विश्वास हो जायगा कि इससे हमारी पैदावार बढ़ेगी तब हम वह कदम उठायेंगे। हम आपकी बातों में आकर कोई चीज नहीं करेंगे।

हमने जब जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक सदन में पेश किया तो अपोजिशन की तरफ से आवाजें आती थीं कि आप कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग क्यों नहीं करते, इसलिए हम जानते थे कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग से ज्यादा जरूरी जमींदारी विनाश है बजाय हमने वही किया। आज हम समझते हैं कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग ज्यादा [illegible] रहा है। हम जमीन के बंटवारे के। हमारा उत्तर प्रदेश इस मामले में हमेशा से सबसे

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

कैसे कोई काम बिला सोचे समझे कर दें ? बिना आंकड़ों के क्या कोई काम किया जा सकता है ? हम कोई चीज जो करते हैं वह एक कांस्टीट्यूशनल तरीके से ही करते हैं । ऐसे लोग हो सकते हैं जो अनकांस्टीट्यूशन तरीके में विश्वास करते हों, उनके लिये तो आसान है कि जो चाहें कहें । लेकिन इसको करने से पहले हम इसका सेंसज (गिन्ती) करायेंगे । कौन लोग हैं जो लैंडलेस लेबरर्स (भूमिहीन) हैं ? क्या कहीं यह लिखा हुआ है या इसका कोई रजिस्टर रखा है जिसके आधार पर कह दिया जाय कि यही लोग लैंडलेस लेबरर्स हैं । यह चीज हमारी राष्ट्रीय योजना में मौजूद है, सेंसेज होने में कुछ देर हो गयी है लेकिन मेरा विश्वास है कि यह जल्दी से जल्दी होगा ।

एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कि हिन्दुस्तान और चीन वह मुल्क हैं जिनमें जमीन 'पर कैपिटा' बहुत ही कम पड़ती है। यही एक खयाल कम्युनिज्म नहीं है, यह एक खयाल राज्य की भलाई करना या दुनिया की भलाई करना नहीं है कि एक मुल्क की ही तरफ देखा जाय । चीन में लैंड डिस्ट्रिब्यूशन हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन उससे पैदावार बढ़ी या नहीं बढ़ी, यह डिबेटेबिल प्वाइंट (विवादग्रस्त) है । किसी ने इसको साफ करके नहीं बतलाया है कि कहीं इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ । मैं मानता हूँ कि चीन के पास ज्यादा जमीन है जो अनप्रोडक्टिव रखते हैं । तो उनकी तरफ देखो जो ज्यादा जमीन का फायदा उठाना जानते हैं या उनकी तरफ जो अनप्रोडक्टिव रखते हैं ? अमली कम्युनिज्म के मानने वाले हम भी हैं, वह जरा सोचें । उनका ध्यान कभी जाये अपने मानसिक भाइयों की तरफ, मानसिक पुत्र तो नहीं कहता, मानसिक बन्धु कहता हूं । तो वह देखें कि रूस में कितनी है । वहां २० करोड़ आदमी रहते हैं लेकिन ८३ लाख वर्ग मील वहां जमीन है और वह चीन के मानसिक बंधु हैं, उन्हीं की बात मानने वाले हैं, तो वे रूस की जमीन का फायदा क्यों नहीं उठाते और रूस वाले उन्हें अपनी जमीन का फायदा क्यों नहीं लेने देते ? जब कम्युनिस्ट वर्ल्ड एक है, तो क्या समुद्र की दुराई और पहाड़ की ऊंचाई आगे आ जाती है ? क्यों नहीं अमरीका के लोग और आस्ट्रेलिया के लोग एक दूसरे से इस प्रकार के सम्पर्क में आते क्योंकि अमरीका की आबादी १५ करोड़ है और जमीन शायद ३० लाख वर्गमील है ? वहां भी हम से कोई ६ गुना पड़ती है और रूस में १२ गुना पड़ती है । हमारे यहां की आबादी ३५ करोड़ और जमीन है केवल १२,६६,००० वर्ग मील । तो हमारे यहां की समस्याएं केवल किताबें पढ़ने से हल नहीं हो सकतीं । अगर चीन का कानून उठाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि वहां ग्रबलेंटिंग का राइट (जमीन जुताने का अधिकार) दिया हुआ है, जोकि हमारे यहां नहीं है, जो हमने उड़ा दिया । वह अब चीन के कानून में मौजूद है । तो जैसी जहां की परिस्थिति होती है उसके अनुसार अलग-अलग कानून बनते हैं । कानून बनाने से पहले हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं । जिन्हें देश को बिगाड़ना है वह उसकी परवाह क्यों करने लगे ? इस समस्या को रेशनल तरीके से देखिये कि आया हमारे प्रदेश में कंसालिडेशन आफ होल्डिंग की ज्यादा जरूरत है, उससे हमारी पैदावार ज्यादा बढ़ेगी या डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड से बढ़ेगी । हमें पहले देखना होगा कि उसमें कितना खर्चा होगा, कितनी सेंसस (गणना) में देर लगेगी । यह हम मानते हैं कि सिद्धांत रूः इसमें कोई गलती नहीं है । हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि यह ऐसी चीज है जिसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे किसानों को मानसिक संतोष होगा और पैदावार के संतोष एक बड़ी चीज होती है । लेकिन खामख्वाह के लिये लोगों में एक हव्वा हम मान लें कि दिया जाय कि कांग्रेस जमीन का बटवारा नहीं करने देती, हम तो चाहते हैं । लेकिन दाल मिले इस संतोष देने के पहले चाहते हैं कि किसान को पहले दो रोटी मिलें, नमक मिले, किस तरह से घी मिले, चूंकि हम जानते हैं कि यह समस्या ज्यादा महत्व की है । इसलिए हम सब की आमदनी में इजाफा हो, वह काम हम पहले करना चाहते हैं ।

पहले लेना चाहिये । हम सब जानते हैं । स्वराज्य की लड़ाई में हम समझते थे कि कौन सा स्टेप अंग्रेजों को पहले निकालना चाहिये या दुनिया के झमेलों में पड़ना

चाहिये। तो अब हम यह समझते हैं कि जमीन की समस्या का हल किस प्रकार से करना चाहिये और उसी के अनुसार हम उसको हल कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने विनोबा भावे का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि यह सब धोखाबाजी है। तो जो लोग धोखाधड़ी में विश्वास करते हैं, उनको तो हर जगह धोखाधड़ी ही मालूम होगी। मैं किसी माननीय सदस्य के बारे में खास तौर से नहीं कहता हूं, लेकिन.....

श्री झारखंडे राय---मैंने यह नहीं कहा कि विनोबा भावे के अन्दर धोखाधड़ी है, बल्कि यह कहा था कि जिन लोगों की सरकार है, जिनके हाथ में पावर है वह जब इसमें आने की कोशिश करते हैं तो वह धोखाधड़ी करते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---मुझे कम से कम एक संतोष हुआ कि उन्होंने एक सही चीज को समझ लिया। अगर नहीं कहा था तो मैं बधाई देता हूं कि वह कुछ अच्छी बात भी कह सकते हैं और बुरी बात नहीं कही, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों के लिए ऐसा कहा था। तो कांग्रेस वाले जवाहरलाल जी हैं, पंत जी हैं ये उसमें शामिल होते हैं, हम ऐसे छुट भइया भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि वह भी अपने यहां जमींदार हैं और मेरे पास भी थोड़ी सी काश्त है। मैंने अपनी जमीन में से करीब ६० एकड़ भूमि दान में दी है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अपने भाई साहबान से कि उन्होंने भी कुछ किया है। अगर किया है तो मैं उनको बधाई दूंगा। अगर सारी जमीन दे दी है, हो सकता है कि दी हो, तो वह हमसे आगे हैं, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन यह कह देना कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, धोखाधड़ी वाले हैं, यह ठीक नहीं है। गांधी जी के लिए भी जब वह स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, बहुत से लोग यही कहते थे कि यह सब धोखाधड़ी है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आज यह जो समस्या है यह एक ऐसी समस्या है कि जिसके ऊपर हमको विचार करना है और जिसके ऊपर विचार इस तरह से करना है कि आया यह समस्या सबसे बड़ा महत्व देने की है या जो और समस्याएं जमीन से संबंधित हैं, उनके बाद इसका महत्व आता है, किसको प्रायरिटी देनी चाहिये। हमने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट पास किया। उसके लिए अभी पूरा रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता। हमें कंसालिडेशन आफ लैंड होल्डिंग्स करना है जो कि एक बहुत बड़ा काम है और जो अभी शायद दो एक जिलों में या दो एक तहसीलों में ही शुरू हो पाया है। उसके लिए हजारों ही नहीं बल्कि लाखों आदमियों की जरूरत है कि उसमें काम करें। इन सारी चीजों को जब हम पूरा कर लें तब आगे हम इस चीज को ले सकते हैं। मैं यह कह सकता हूं और खास तौर से कांग्रेस वालों की तरफ से कह सकता हूं कि इस चीज को हम सिद्धांतः मानते हैं कि जमीन अगर अनप्रोडक्टिव कुछ लोगों के हाथ में रह जाय तो उसका बटवारा किया जाय। लेकिन आज के परिस्थिति में जितना काम जमीन के सम्बन्ध में हमारे सामने है उसको देखते हुए यह उतनी जरूरी चीज नहीं है जितनी जरूरी कि ये और चीजें हैं और हमें उनको पहले प्रायरिटी देनी चाहिए। इतना ही, श्रीमान्, मैं कहकर इसका विरोध करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव कितने महत्व का है, इसको देखते हुए इस पर बहुत से माननीय सदस्य अभी बोलना चाहते हैं। इसलिए अभी प्रश्न न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है लेकिन प्रश्न भी अब आना चाहिए। समय ज्यादा नहीं रह गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्व के प्रस्तावों पर तीन-तीन दिन तक विवाद चलता है और फिर अभी तो हम आगे समय भी बढ़ाने का विचार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---समय बढ़ाने का प्रस्ताव अगर हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---समय बढ़ाने का प्रस्ताव मैं उपस्थित कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज के कार्यक्रम के लिये सदन का समय १ घंटा और बढ़ा दिया जाय और सदन आज ५ बजे के बजाय ६ बजे तक बैठे।

श्री जेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि आज हम लोगों का इंगेजमेंट है । प्रोफेसर राममूर्ति जी आ रहे हैं। हम लोगों को वहां जाना है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, विषय अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ-साथ यह भी है कि इस पर बात भी कई बार कही जा चुकी है। तो मेरा सुझाव यह है कि . . .

श्री रामनारायण त्रिपाठी---प्वाइंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह पूरी जानकारी होगी कि आज यह गैर सरकारी प्रस्तावों का दिन है और इसमें माननीय राजस्व मंत्री अपनी पार्टी की तरफ से कोई राय नहीं जाहिर कर सकते। मैं तमाम सदन से और माननीय राजस्व मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि आज उनका दिन अर्थात् सरकारी विधेयक का दिन, तो है नहीं, ऐसी सूरत में वह अपनी पार्टी की डिसिप्लिन और अनुशासन को माननीय मेम्बरों के ऊपर लादने की कृपा न करें ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्री को अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर करने का अधिकार तो है ही ।

श्री चरण सिंह---बिलकुल वैसे ही जैसे माननीय त्रिपाठी जी ने किया, मैं भी यह कह रहा हूं। क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है ? तो मैं यह सुझाव दे रहा था कि बजाय एक घंटे के आधा घंटा बढ़ा दिया जाय। लेकिन फिर भी मेरी दरख्वास्त यह होगी कि साढ़े चार बजे प्रश्न जरूर उपस्थित कर दिया जाय, क्योंकि उसके बाद गेंदा सिंह जी दस पन्द्रह मिनट बोलेंगे और फिर जितने महत्व का प्रस्ताव है उसको देखते हुए जितनी बातें कही गयीं उन सबका उत्तर देने के लिए मुझे कम से कम पौन घंटे की आवश्यकता होगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं समझता हूं २५ मिनट से ज्यादा तो कोई मंत्री भी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर यह ४५ मिनट कैसे मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---पहले इस वक्त तो जो प्रश्न है उस पर विचार हो जाय ।
प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि मूल प्रस्ताव १ घंटा समय बढ़ाने का था। पहले उसे ही ले लिया जाय और अगर वह गिर जाय तो फिर यह आधे घंटे का ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आपके प्रस्ताव में यह संशोधन है। इसलिए पहले यही लिया जाना चाहिए।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं समझता हूं अगर मूल प्रस्ताव को पहले ले लिया जाता तो अच्छा था ।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, वह नहीं हो सकता ।

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आज के प्रस्ताव का सम्बन्ध है जब उसको ध्यान से देखा जाय और इस निर्णय पर पहुंचा जाय कि इस प्रस्ताव का आखिर अर्थ क्या है तो एक अर्थ इसका यह निकलता है कि काश्तकारों के पास छोटी-छोटी जमीनें हैं और उसके साथ ही साथ वह काश्तकारों पर छोटी-छोटी जमीनें पहुंच सकें, अर्थात् बड़ी जोतें किसी आदमी के पास न रहें।

जहां तक भूमि के प्रश्न का सम्बन्ध है यह अपनी जगह पर सत्य है कि संसार के तमाम देशों को अपनी भूमि की समस्या को हल करना पड़ा है और जिन देशों ने अपनी भूमि की समस्या को हल नहीं किया है उन देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे देश के प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू आज से बहुत पहले कहा है कि चीन में जो सबसे बड़ी खराबी थी, वहां का जो मर्ज था वह यह था कि वहां की भूमि व्यवस्था हल नहीं की गयी थी । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में भी भूमि की समस्या को हल करना लाजमी है। साथ ही साथ ऐसा कानून होना चाहिए जिनके पास भूमि है उनकी रक्षा आसानी के साथ हो सके। आज यह प्रश्न देश के सामने है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको मूलतः मानते हुए जब मैं इस प्रस्ताव को देखता हूं तो फिर मैं यह सोचने लगता हूं कि आखिर फिर झगड़ा किस बात का है? जहां तक इस पार्टी का सम्बन्ध है और जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार का भी सम्बन्ध है वह इस बात में विश्वास करती है कि भूमि समस्या को हल करना है। और जब यह प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से आता है कि उसे इस ढंग से हल करना है कि तीस एकड़ के ऊपर जितनी जमीनें हैं उनको छीन करके औरों को दिया जाय, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस नतीजे पर आता हूं कि जहां तक लक्ष्य का सम्बन्ध है वहां हमारा सबका लक्ष्य एक है। लेकिन जो विवादग्रस्त बात है वह यह है कि रास्ता क्या होना चाहिए। उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी तकलीफ हुयी इस प्रस्ताव को देखकर, विशेषरूप से यह देख कर कि उसी पार्टी के सदस्य की ओर से आया है जिनकी पार्टी आज भारतवर्ष में १३ मई को, अपने जीवन के इतिहास में सबसे ज्यादा अहिंसा को मानने वाली है।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज उनके नेता जयप्रकाश जो आज से दस वर्ष पहले जिन विचारों को माना करते थे, आज उन विचारों को छोड़ कर अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी हो कर विनोबा जी के पीछे २ चल रहे हैं। जब मैं इस प्रस्ताव को देखता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि आज झगड़ा इस बात का है कि इस देश की भूमि समस्या आया इस ढंग से हल की जाय, हिंसा के ढंग से हल की जाय या अहिंसा के ढंग से हल की जाय। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा में इस समय जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रस्ताव के साथ साथ आपके द्वारा मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में भूमि के बटवारे की, भूमि के बटवारे की ही नहीं बल्कि बराबर करने की तरफ किस प्रकार अग्रसर है अगर उनको देखा जाय तो बात आसानी से समझ में आ जायगी ।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

जमींदारी उन्मूलन के अन्दर यह बात निश्चित रूप से निश्चित कर दी गयी है कि भविष्य में कोई भी मनुष्य तीस एकड़ से ज्यादा जमीन न रख सकेगा। यह अध्यक्ष महोदय, अपनी जगह पर तय बात है कि भूमि किसी के पास नहीं रहती। हमारे शास्त्रों में इसका नाम चंचला है और एक जगह से दूसरी जगह चला करती है। जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, उन्हें मालूम होगा कि किसी देश का समाज १५ वर्ष से ले कर २५ वर्ष के अन्दर बदलता है। जो ये नियम बनाये गये हैं, उनके अनुसार हमारा हिसाब है कि १५ से ले कर २५ वर्ष के अन्दर इस देश में जमीन का पुनः बटवारा हो जायगा और सब इन्सानों के पास जमीन पहुंच जायगी और वह भी अहिंसात्मक रास्ते से। जहां तक इस काम में तेजी लाने का सम्बन्ध है, कृषि आयकर को देखा जाय, जिसमें यह बात रक्खी गयी है कि तीस एकड़ के ऊपर जिन के पास जमीन है, उनको अतिरिक्त कर देना पड़ता है। अगर इसके नतीजों पर ध्यान दिया जाय और आंकड़े इकट्ठे किये जायं, तो पता चलेगा कि इन दो तीन वर्षों के अन्दर कितने ही लोगों ने अपनी जमीनों से स्तीफा दे दिया। तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो इस प्रस्ताव में है, वह एक उसूल है कि हम किस तरह से चलें और मुझे इस बात के कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि विरोधी दल की तरफ से यह प्रस्ताव सोने के मृग की तरह से आया है। लेकिन जो मृग आया उसका क्या परिणाम हुआ इसे सभी जानते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों को उल्टा है। मैं इस बहस के सिलसिले में एक बात और आपके सामने रखूंगा। माननीय झारखंडे राय जी ने चीन के बड़े गुणगान किये। मैंने भी चीन को कुछ समझने की कोशिश की है। लेकिन क्या मैं माननीय झारखंडे राय जी से पूछ सकता हूं कि चीन के अन्दर भूमि व्यवस्था वही है जो रूस के अन्दर भूमि व्यवस्था है?

श्री झारखंडे राय—वही नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—अगर यह बात सही है, जैसा वह कह रहे हैं कि वही नहीं है, तो फिर क्या वह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की भूमि व्यवस्था वह हो जो चीन की हो या जो रूस की हो। अगर यह बात नहीं चाहते तो यह भी अपनी जगह पर ठीक है कि फिर न हमारे यहां चीन का रास्ता अपनाया जा सकता है, न रूस का रास्ता अपनाया जा सकता है। रास्ता, अध्यक्ष महोदय, वही होगा, जिससे वह बहुत घबड़ाते हैं। जिस रास्ते को उन्होंने यह कहा कि हिपोक्रेसी है: या भू-दान यज्ञ जो विनोबा जी चला रहे हैं, इसे वह हिपोक्रेसी बतलाते हैं। यह हिपोक्रेसी नहीं है। इसका असर वैसा होगा, जैसा तिलंगाना में हुआ। हमारी फौजों ने जितनी सफलता तिलंगाना में नहीं पायी, उससे ज्यादा सफलता बिनोबा भावे जी के आन्दोलन से तिलंगाना में मिली। जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं, उनको बिनोबा जी से सबसे ज्यादा डर लगता है और इसीलिए वह बिनोबा जी के अहिंसात्मक आन्दोलन के लिए हिपोक्रेसी का नारा लगाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था आज रास्ते का झगड़ा है। यह प्रस्ताव नहीं है। यह अहिंसा और हिंसा का झगड़ा है। जाने या अनजाने यह विरोधी दल की तरफ से लाया गया है और उन सदस्यों की ओर से लाया गया है जो जयप्रकाश जी के सब से बड़े पोषक हैं।

मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय झारखंडे राय, जी ने यह कहा कि इन्डस्ट्री के द्वारा देश की बेकारी दूर नहीं की जा सकती। मैं अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा परेशान हूं कि यहां पर किस प्रकार के विचारों का प्रदर्शन होता है। भूमि के द्वारा ही बेकारी दूर हो सकती है यह शब्द कहे गये। भूमि के द्वारा बेकारी दूर की जा सकती है, मैं समझता हूं कि भूमि केवल एक सहारा हो सकती है। लेकिन इस देश की बेकारी का केवल भूमि द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। मेरा तो यह निश्चित मत है कि और व्यक्तिगत मत है कि जब तक इस देश के अन्दर खेती के साथ साथ घरेलू उद्योगधन्धों को हरएक गांव में नहीं फैलाया जाता तब तक बेकारी दूर करना असम्भव है? इसलिए यह कहना कि घरेलू उद्योग धन्धों के द्वारा बेकारी को हल करने में सहारा नहीं मिलेगा, यह बिलकुल गलत बात है। मैं

आखिर में गेंदा सिंह जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या की तरफ देश की नजर लगी हुई है, और इसको हल करने के लिए हमारे नेतागण लगे हुए हैं कि यह किस तरह से हल हो। रास्ते दो हैं, लक्ष्य एक है। बात आप भी वही कहते हैं जो हम कहते हैं लेकिन जहां तक रास्ते का सामला है, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि यह प्रस्ताव अनावश्यक है, व्यर्थ है और बिलकुल बेकार है और माननीय मूवर से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री रामनरेश त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकारी दल के कई सदस्यों के भाषण सुने और अन्तिम भाषण श्री रामनरेश जी का सुना। मेरी समझ में नहीं आता कि इस कांस्टिटच्यूशनल प्रस्ताव के भीतर उनको हिन्सा कहां से नजर आती है। श्री गेंदा सिंह जी जबरदस्ती छीनने की बात नहीं कहते हैं। इसमें तो यह है कि यह विधान सभा केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि वह संविधान के अन्दर संशोधन इस बात का लाये कि मुआविजा न देना पड़े और इसके बाद कानून द्वारा जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसको ले लिया जाय। इसमें हिंसा या अहिंसा का प्रश्न उठाना अनावश्यक है। जब कि यह प्रस्ताव अपनी जगह पर कांस्टीटच्यूशनल है और इस विधान सभा को पूरा अधिकार है कि वह केन्द्रीय सरकार से इस बात की प्रार्थना करे कि वह संविधान में संशोधन लाये। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अन्दर कई मर्तबा संशोधन हो चुके हैं और अनकरीब भविष्य में फिर उसमें संशोधन होने वाला है। जिस दिन इस प्रस्ताव को माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन में उपस्थित किया था, और पेपर में यह छपा था कि माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भूमि बटवारे का प्रश्न एक विशेष रूप धारण करता जा रहा है, हम उससे बच नहीं सकते। हमारी केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात की घोषणा की थी कि हमको इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ऐसी सूरत में हिंसा का प्रश्न उठाना मैं समझता हूं कि सदन को एक दूसरे रास्ते पर ले जाना है और खामख्वाह हमारे सदस्यों को बदनाम करने की कोशिश करना है। मैं समझता हूं कि रामनरेश जी इस बात को जानते हैं कि हमारी पार्टी हिंसक नहीं है, और मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि सन्त विनोबा भावे जी के इस आन्दोलन से पहले से ही हमारी पार्टी ने ३० एकड़ के बटवारे की बात को कहा था। यह सन्त विनोबा भावे जी की ही बात नहीं है, गांधी जी तो इससे भी बढ़कर कहा करते थे कि यह भूमि परमात्मा की है। इसीलिए हमारी पार्टी ने इस बात का निवेदन किया कि इसमें मुआविजे देने का प्रश्न नहीं उठाया जाय। भूमि समाज की है और आज हमारे देश में बालिगमताधिकार का शासन चल रहा है और इसमें हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है और इसी अधिकार को बुनियाद पर हमारी प्रदेशीय सरकार बनी हुई है। ऐसी सूरत में जब हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार बराबर है तो फिर प्रत्येक आदमी को बराबर हक क्यों न दिया जाय। इस कारण यह प्रश्न उठाना कि यह अव्यवहारिक है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सदन का समय खोना है। हमारे राजस्व मन्त्री जी ने कई बार अपने भाषणों में इस बात को स्पष्ट कहा है कि हमारे प्रदेश में छोटी होल्डिंग की आवश्यकता है। मेकेनाइज्ड फार्म हमारे प्रदेश में चल नहीं सकते और न उससे हमारे प्रदेश की समस्या हो हल हो सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है, वह इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि आपस के मेल मिलाप से छोटी छोटी जोतों का सहकारिता के आधार पर किस प्रकार प्रबन्ध हल हो सकता है। सहकारिता की व्यवस्था करके किस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे प्रदेश में हो सकती है? लेकिन मुझे दुख है कि दूसरी तरफ राजस्व मन्त्री जी हमेशा यह कहा करते हैं कि हमारे प्रदेश में भूमि बटवारे की समस्या नहीं है। इसमें मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता। मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर भूमि बटवारे की समस्या है। सही मानों में हमारे देश में स्वराज्य नहीं लाया जा सकता जब तक कि हम धन और धर्ती का बटवारा नहीं करते। माननीय राजस्व मन्त्री जी जानते हैं कि जितने लोग हमारे प्रदेश में खेती पर गुजर करते हैं, उनमें हम सारे प्रदेश की जमीन को बांट दें, और ५ आदमियों का एक परिवार मानें, तो

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

८ एकड़ जमीन फिर भी एक परिवार के पास आती है। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इसे स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, धन और धरती के बारे में हमारी जो फिलासफी है, मैं उसे बताना चाहता हूं। हमारी पार्टी का यह कहना है कि १,००० रुपये से ज्यादा माहवारी किसी की आमदनी न हो, ३० एकड़ से ऊपर जमीन किसी के पास न हो और हमारी पार्टी इस पर और विचार कर रही है और मुमकिन है कि वह जोतों की अधिकतम सीमा २० एकड़ तक कर दे। बिहार पार्टी ने तो १७ एकड़ माना है कि इतना मैक्सिमम होल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि जब तक धन और धर्ती का बटवारा नहीं हो जाता है, जब तक इनकी सीमा नहीं बांधी जाती है, तब तक सही मानों में स्वराज्य नहीं आ सकता है और वास्तविकता में मनुष्य में मानवता नहीं आ सकती है। लाख उपदेश हमारे नेतागण दें, लेकिन यह असमानता बिना कानून के नहीं मिट सकती है। आज हमारे प्रदेश की जनता किस दलील से अपने को सन्तुष्ट करे, जब कि एक एक आदमी के पास १०,००० एकड़ तक जमीन है और उसके परिवार में कुल २ ही आदमी हैं? एक ओर तो राज्य सरकार सवा छः एकड़ जमीन एकानामिक होल्डिंग मानती है, और दूसरी इसके बावजूद भी तराई और किछा में ऐसे ऐसे केसेज मौजूद हैं जिनके पास रियासत अलहदा है और उन्हें सवा तीन हजार एकड़ तक जमीन दी गयी है। तो यह समस्या, माननीय मुख्य मन्त्री या राजस्व मन्त्री कितने भी उपदेश दें, हल नहीं हो सकती है। कानून द्वारा व्यवस्था करके ही इसका हल हो सकता है। अगर ३० एकड़ से ज्यादा जमीन लेकर औरों को दी जायगी तो कम से कम लोगों को यह तो सन्तोष होगा कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं है। हमारी पार्टी ने यह कभी नहीं कहा कि जमीन से ही हमारे देश की तमाम समस्या हल हो जायगी। हम घरेलू उद्योग-धन्धों से और बड़े बड़े उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण करके और किसी एक आदमी की माहवारी इनकम १,००० रुपये निर्धारित करके देश और प्रदेश की समस्या हल कर सकते हैं। मान लीजिये कि आज यह सरकार लाख अच्छे इरादे रखती है, और अच्छे से अच्छे कानून बनाती है, लेकिन अगर यह नहीं करती है कि एक आदमी की आमदनी १ हजार रुपये से ऊपर न हो, तो हमारी समस्या हल नहीं होगी। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास अगर शिकायत आती है कि हमारे देश में रुई बहुत है और यहां के व्यापारियों ने करोड़ों रुपये की रुई गोदामों में इकट्ठा कर रखी है, तो ज्यादा से ज्यादा इस समय सरकार यह कर सकती है कि उसके लिए एक दो हजार रुपये महीना पाने वाला सरकारी अफसर नियुक्त कर दे। वह कर्मचारी ३० वर्षों में ७ लाख २० हजार रुपया कमाता। इतनी तनख्वाह उसे मिलती। अब अगर अरबों रुपये की रुई खरीद कर व्यापारियों ने दबाई हुई है, और वह उस कर्मचारी को १० या २० लाख रुपया घूस का दे देते हैं और उससे यह रिपोर्ट लिखाना चाहें कि गोदामों में कोई रुई नहीं है, तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आप यह सीमा निर्धारित कर देंगे कि १ हजार रुपये से ज्यादा किसी की आय नहीं होगी, तो ये बड़ी बड़ी घूस एकदम बन्द हो जायेंगी और मनुष्य जानवर से मनुष्य बन जावेंगे। दूसरी मिसाल मैं देता हूं। मान लीजिये कि एक साधारण आदमी एक कत्ल करता है और दूसरी ओर एक बड़ा भारी पूंजीपति एक कत्ल करता है। जुर्म दोनों का बराबर है। उसकी तफतीश एक सब इन्स्पेक्टर करता है। गरीब आदमी उसे १००--५० रुपये से अधिक घूस नहीं दे सकेगा। जब कि पूंजीपति, १ लाख या ५० हजार रुपये दे सकेगा। तो १ लाख और ५० हजार रुपये के लालच में सबइन्स्पेक्टर खून छिपाकर धर्म और देश की दृष्टि में दोषी बन सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे समाज की व्यवस्था कर दें कि कोई आदमी ऐसा न हो जो दो चार सौ से ज्यादा घूस दे सकता हो, तो राज्य कर्मचारी अपने आप नैतिक हो जायगा, क्योंकि १००--२०० रुपये के लिए हत्या को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता। सरकार इस बात की दोषी है कि वही अनैतिकता और बेईमानी फैलाती है। अगर वह धन और धरती को बांट दे तो सरकारी कर्मचारियों का ईमान किसी प्रकार भी भ्रष्ट नहीं किया जा सकता।

एक तरफ तो ऐसे लोग हैं, जो लाखों और करोड़ों रुपया घूस में दे सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम्स को सजा सकते हैं, और दूसरी तरफ लोग भूखों मरते हैं, इस प्रकार से नैतिकता नहीं चल सकती। अध्यक्ष महोदय, आप धर्म और भारतीय संस्कृति के पंडित हैं, मानव को सदियों से मानवधर्म की शिक्षा उपदेशों द्वारा दी जाती रही है, समाज जरा ऊपर को उठता है और फिर गिर जाता है। सोशलिस्ट पार्टी ने जो यह सिद्धान्त निकाला है, वह किसी भी समय में लागू नहीं हुआ है कि एक हजार से ज्यादा किसी की आमदनी न रक्खी जाय। कोई प्रदेशीय सरकार यदि अपने यहां इस बात को लागू करे कि १,००० रु० से ज्यादा किसी को आमदनी नहीं होगी और ३० एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन न होगी, तो मैं समझता हूं कि उसके जरिये से एक ऐसा सुधार होगा जो असली मानों में सुधार कहा जायगा। हम लाखों उपदेशों की बातें करते रहे हैं लेकिन अगर कानून के द्वारा हम व्यवस्था नहीं करते, तो कभी भी हमारी व्यवस्था नहीं चल सकती। मैं यह कहूंगा कि आज हमारे इस धन की असमानता की वजह से यह हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ तो लोगों के पास करोड़ों की सम्पत्ति है, और दूसरी तरफ ऐसे भी परिवार हैं, जिनके पास १ बीघा भी जमीन नहीं है, जिनके १०-१२ बच्चे हैं और हमारे देश की ललनायें ८-८ आने और १-१ रुपये पर अपनी इज्जत को बेचती फिरती हैं। अब समय है कि जब कि हमारे प्रदेश की सरकार को प्रान्त के हर निवासी को रोजगार की गारन्टी देनी चाहिए और हर एक के लिए मकान की व्यवस्था की जाय। लेकिन हमारी सरकार तो यह समझती है कि उसका अधिकार केवल शासन करने का है लेकिन जो रोजी, कपड़ा, और मकान की समस्या है, उसके लिए एक सर्वांगीण योजना बनाने का उसका काम नहीं है। हमारी सरकार को शासन करते हुए ८ साल हो गये, लेकिन हमारे मंत्रिगण ने यह आंकड़े भी इकट्ठे नहीं किये कि हमारे प्रान्त में बेकार कितने हैं। इसलिए हमारा कहना है कि सोशलिस्ट पार्टी की फिलासफी से ही धन और धरती का बटवारा किया जाना चाहिए। यह उसी प्रकार से हो सकता है, तभी समाज में धन और धरती की समानता हो सकती है, तभी सही मानों में मनुष्य मनुष्य बन सकता है, सही मानों में स्वराज्य हासिल हो सकता है। महात्मा गांधी का यही ध्येय था और कांग्रेस सरकार ने भी यही घोषणा की थी, और अब हमें इसकी जी जान से कोशिश करनी चाहिए। इस समस्या को खाली बातों से हल नहीं किया जा सकता, इस समस्या का हल तो धन और धरती का बटवारा ही है। कोई भी सरकार डेमोक्रैटिक सरकार नहीं कही जा सकती, कोई भी राज्य अपना राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें धन और धरती का बटवारा नहीं हो जाता। माननीय राजस्व मन्त्री जी, प्लानिंग कमीशन की घोषणा के बावजूद, जवाहरलाल जी की घोषणा के बावजूद भी यह कहते हैं कि धरती का बटवारा जब तक वे हैं, नहीं हो सकता। ऐसा कहना उनका दुराग्रह होगा और माननीय मन्त्री जी स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ जायेंगे। जिन्होंने पूंजीवाद की समस्या को खत्म करने के लिए एक मत से कहा था कि हम यह मानते हैं कि पूंजीवाद को खत्म होना चाहिए। पिछले साल श्री नारायण दत्त तिवारी के इस प्रस्ताव को कि प्रदेश में पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए, सदन ने एक मत से पास किया था, उसी प्रकार इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करने के लिए मैं सदन से निवेदन करूंगा। उसी तरह से मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि यह संकल्प इस तरह का है कि यह असेम्बली सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है कि बिना मुआविजा दिये ऐसी जमीनें ली जा सकें, ऐसा संशोधन संविधान में कर दिया जाय। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने पहले इस तरह के मुआविजे का प्रश्न उठाया था, लेकिन वह समस्या हल नहीं हो सकी, और १८० करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि दस, पांच वर्ष में गरीब जनता पर टैक्स लगा लगा कर और उनसे मालगुजारी वसूल करके सरकार जमींदारों को मुआविजा दे दे तो बात दूसरी है, लेकिन इस तरह से १ अरब ८० करोड़ रुपया मिलना आसान नहीं है। यह तो एक अरब ८० करोड़ का ही मामला है, लेकिन अगर बिड़ला, टाटा, डालमिया, आदि जो देश में १,५०० पूंजीपति हैं अगर उनको मुआविजा देना पड़ा, तो फिर आप कहां से वसूल करके मुआविजा देंगे। जहां तक जमींदारों की संख्या की समस्या है, एक अरब ८० करोड़ तो आप उनको दस, पांच व चालीस वर्ष के बांइस के जरिये भी दे सकेंगे, लेकिन खास

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

चीज यह है कि मुआविजा का जो विधान है, उसमें संशोधन होना चाहिए, और मुआविजा के सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी का जो सुझाव है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विधान बदलना चाहिए। एक बार जो ७-८ वर्ष पहले हमने गलती की थी, उसको तो भुगत रहे हैं। यह हमारे प्रदेश की ही समस्या नहीं है, बल्कि देश की समस्या है। विधान हमारा ही बनाया हुआ है, वह कोई ईश्वरीय देन, वेद या कुरान शरीफ तो है नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय राजस्व मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह---मैंने शुरू में यह चाहा था कि प्रश्न उपस्थित हो जाय, लेकिन बहुत से सज्जनों की इच्छा थी बोलने की, वे नहीं चाहते कि अभी प्रश्न उपस्थित किया जाय। तो अगर सदन नहीं चाहता कि आज खतम हो और यह दूसरे रोज भी बढ़ाया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अभी तो प्रश्न उपस्थित करने का सवाल नहीं है।

श्री चरण सिंह---मैंने आपको हिस्ट्री बतलायी कि मैं आज ही इसे खत्म करना चाहता था, लेकिन जब सदन की इच्छा नहीं है, और अभी कुछ लोग इस पर बोलना चाहते हैं, तो यह चले।

*श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो इस हाउस में भूमि वितरण का प्रश्न उपस्थित है, इसके लिए तो हम सभी लोग आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से हमारे नेतागण यह विचारते रहे हैं और वे इसको कार्यरूप में परिणत भी कर रहे हैं कि शनैः शनैः भूमि का वितरण किया जावे। आज मैं अपने साथियों को यह बतला देना चाहता हूं कि जिस रोज से हमारे प्रान्त में राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ हमारे नेताओं ने सर्वप्रथम यह विचार प्रकट किया कि हम भूमि का वितरण अहिंसा के द्वारा करेंगे। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया और वह इस ढंग से और इस तरीके से किया कि उससे न जमींदारों को पीड़ा हुई, न किसानों को पीड़ा हुई, और न मजदूरों को पीड़ा हुई। जो मजदूर कल बिलकुल भूमिहीन थे, जिसके पास अपना गृह निवास भी नहीं था, वह आज अपने गृह निवास का मालिक है। वह आज अपने गांव में, अपने घरों व बखलों व वृक्षों का मालिक है। यह हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि अहिंसा के द्वारा किया गया जिस से दूसरे प्रान्तों ने एक सबक लिया है। अभी एक माननीय सदस्य ने चीन का उदाहरण दिया है। मैं अपने माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वे यह तो कम से कम हमें बतलावें कि जिस समय इस प्रान्त में जमींदारी का उन्मूलन हुआ, क्या एक भी आदमी की मृत्यु हुई, और लोगों में आपसी संघर्ष हुआ ? परन्तु चीन में लाखों आदमी इसी बिना पर मारे गये कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन उनसे जबरदस्ती छीनी जाय। यदि चीन वाले भी हमारे नेताओं से यह सबक लेते, तो इस प्रकार की मौतें वहां नहीं होतीं, जो कई लाख किसान व और आदमी वहां मारे गये, वे नहीं मारे जाते। मैं अपने माननीय सदस्य को यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने यह नीति अपनायी, यह विधि अपनयी कि हम तो दूसरों से मांग मांग कर, दूसरों से भूमि ले ले कर अपने दूसरे साथियों को दें और वह नीति शनैः शनैः ऐसा रूप धारण करती जा रही है कि दान के द्वारा और कानून के द्वारा स्वयमेव भूमि का वितरण होता जा रहा है। दूसरे भूमि वितरण के लिए भूमि आये कहां से ? भूमि कोई रबड़ नहीं है कि बढ़ा कर सारे देश में उसको बांट दिया जाय और सारे देश के निवासियों की समस्या का हल कर दिया जाय। इस देश का सर्वोत्तम कारोबार हमेशा से उद्योग, कला और शिल्प रहा है और जिस के कारण पूर्व समय में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहां का सामान विदेशों में जाता था और उसका पैसा जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता था, वह यहां के निवासियों को स्मृद्धिशाली बनाता था और देश के निवासी एक बड़े समुन्नत देश के लोगों की तरह रहते थे। उस समय हम स्वाभिमान से रहते थे। परन्तु आज उन्नति चाहते हैं कि बस जमीन को बांट कर सब ठीक हो जायगा, लेकिन मैं श्री झारखंडे राय जी से पूंछता हूं कि उन्होंने कितनी जमीन दी है, और कितनी उनके पास थी।

श्री अध्यक्ष—आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री हरि सिंह—जब अपने पर पड़ती है, तभी मालूम होता है वैसे दूसरे को कहना आसान है कि उसकी सब जमीन छीन लो। अगर यह प्रस्ताव किया जाय कि सहकारिता के द्वारा खेती की जाय ताकि जो मजदूर हैं और खेती करना चाहते हैं, वह सब उसमें लग जायं, उद्योगा धन्धे कोआपरेटिव द्वारा चालू किये जायं, जिनका आज लोप होता जा रहा है। खादी का प्रोग्राम लेकर सब पार्टियां चलें, और खादी को उन्नतिशील धन्धा बनाया जाय तो करोड़ों आदमी रोजगार में लग सकते हैं। अगर आपने जमीनें छीन कर दूसरों को दे दीं, तो आप उनको तो बिलकुल बेकार कर देंगे, जिनसे आप जमीनें छीनेंगे, उनकी सारी जमींदारी छीन ली, उनके पास भी कुछ तो रहना ही चाहिए। इसका हल यही है कि उद्योग-धन्धों को आप आगे बढ़ायें तो आप देश से बेकारी की समस्या को हल कर सकते हैं। जमीन का वितरण तो जमींदारी कानून द्वारा वैसे ही काफी हो चुका है। हां, बड़े बड़े जो फार्म हैं, उनका वितरण तो हम भी चाहते हैं, लेकिन वह फार्म हैं ही कितने से। उनसे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप को जोर ही देना है, तो आप उद्योग-धन्धों पर जोर दीजिये, उनका राष्ट्रीयकरण कीजिये, कोआपरेटिव के द्वारा उनको ऊपर उठाइये और मजदूरों को उनमें समानता के आधिकर दीजये, और मैं तो कहता हूं कि जमीन कम है और भूमिहीनों को भी अब उद्योग-धन्धों की तरफ आना पड़ेगा और हमें उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से क्रान्ति नहीं होती जैसे आप करना चाहते हैं कि एक बखेड़ा पैदा करने के लिए खेतिहर मजदूरों को उकसा दिया कि तुम को जमीन दिलवाऊंगे। हमें सोचना चाहिए कि जमींदारी अबालिशन हो चुका है, वह भी इन्सान हैं, आपने उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली, कौन सा रास्ता है उनके पास कि वे अपनी गुजर कर सकें यही थोड़ी जमीन बची है जिससे वह अपनी गुजर कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहूंगा कि वितरण के प्रश्न को छोड़कर उद्योग-धन्धों की उन्नति की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि गरीब किसान मजदूरों को इस तरह के प्रलोभन देकर भुलावे में न डालें, और इससे उनकी खुशहाली न हो सकेगी। चीन या दूसरे देशों के जो उदाहरण दिये जाते हैं, वहां की बात दूसरी है, यहां तो सरकार वैसे ही दूसरे कानूनों के द्वारा जमीन को ठीक से बटवाये दे रही है अगर आपको वितरण करना है, तो जो बड़े बड़े कारखाने हैं, मिलें हैं, और दूसरे सरमायेदार हैं, उनकी बड़ी बड़ी पूंजियां हैं, उन सब का आप राष्ट्रीयकरण करें और मजदूरों के लिए घर बनवायें, उनके लिए मकानों की व्यवस्था करें, और यदि उसके लिए आप प्रस्ताव लायें, तो शायद मैं उससे सहमत होऊंगा। मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं कि जिस में चार-पांच हजार एकड़ जमीन है, ५० बीघे से अधिक किसी के पास नहीं है। अगर वहां हम किसी खेतिहर मजदूर को भड़कावें, तो हम उस को कहां से जमीन देंगे। क्या आप उनकी जमीनों को उनसे छीनकर उनको बेकार कर देना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उद्योग धन्धों पर अधिक बल दीजिये न कि भूमि पर। भूमि वितरण तो हमारे प्रान्त के नेता और हमारे प्रदेश की सरकार इस तरह से कर रही है जिस के लिए शायद दूसरे सूबे और विदेश के लोग भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से भूमि का वितरण किया है। आज हम स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहां अहिंसात्मक तरीके से जमींदारी का उन्मूलन हुआ और भूमि का वितरण हुआ है, उसी तरह से और प्रान्तों में भी और विदेशों में भी हो। तो हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि बेकारी की समस्या हल कैसे होगी। वह तो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से होगी। भूमि के वितरण की अपेक्षा राष्ट्रीयकरण उद्योगों का अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम अपने देश में यह प्रतिबन्ध लगा दें कि कोई भी आदमी इस

[श्री हरिसिंह]

देश में मिल का कपड़ा नहीं पहन सकता, हाथ की बुनी हुई खादी पहनना अनिवार्य होगा नहीं तो वह इस देश में नहीं रह सकता। मिलों का बना हुआ कपड़ा विदेशों में जाय, और वहां से जो धन पैदा हो, उससे हमारे देश की हालत अच्छी हो। उससे हमारे देश के किसानों की और मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और इस तरह की बातों से देश खुशहाल नहीं होगा। सहकारिता पर अधिक बल दीजिये, कृषि के कार्य चलें तो सहकारिता के बल पर, उद्योग-धन्धे भी सहकारिता के बल पर तो अध्यक्ष महोदय, यहां जो बेकारी की जटिल समस्या खड़ी हुई है वह हल हो सकती है और उसी के लिए हमारे देश के नेता और हमारे प्रदेश की सरकार सदैव प्रयत्नशील है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र भावनाओं को लेकर यह संकल्प इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है, मैं उनका आदर करता हूं। आज के बदलते हुए जमाने को, आज की बदलती हुई दुनिया को, तमाम दुनिया के घटनाचक्र को देखते हुए जो व्यक्ति जो समाज और जो राष्ट्र अपने को बदलने के लिए उसके मुआफिक तैयार नहीं है, उसका पतन अवश्यम्भावी है। जमाने ने इसकी शहादत दी है कि जो जबरदस्त तहरीक के साथ अपने को नहीं बदलना उसका सिर दिल चट्टान से टकराता है, और उसका पतन सदा हुआ है। इसलिए मैं बतलता चाहता हूं कि आज के संसार में दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्रों ने अपने ऊपर इस भार को ग्रहण किया है, और जितने पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, उनके आर्थिक उत्थान के लिए अपने धन और दौलत का दरवाजा उन्होंने खोल दिया है और वे आज दुनिया में समता लाने के लिये बड़े से बड़े त्याग कर रहे हैं। मुझे इस दलील में और तकरीर में कोई ताकत दिखायी नहीं देती कि यदि किसी कौम के अन्दर राष्ट्र के अन्दर कुछ कौमें दलित हैं, पतित हैं, पिछड़ी हुई हैं, वे उस जमाने में जब कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र उनके उठाने का प्रयास कर रहे हैं क्या कारण है कि भारतवर्ष जैसा बड़ा भारी राष्ट्र अपने उन भाइयों के लिए जो कि पिछड़े हुए हैं, जिनके पास कोई जरिया जिन्दगी के गुजर बसर करने का नहीं है, न्याय न करे। कोई भी दलील और कोई भी तकरीर इसके विरुद्ध मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर हम भारतीय संविधान की मंशा को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें उन भाइयों को जो आज भारतवर्ष के नागरिक हैं, लेकिन उनके पास अपने उदर के भरने के लिए साधन नहीं है, यह प्रश्न है जो बड़ा भारी प्रश्न है, और जो आज इस सदन के सामने उपस्थित है और जिस पर हमें तमाम माननीय सदस्यों को बड़ी गम्भीरता के साथ सोच समझ कर तय करना है। और उस पर अपना फैसला देना है।

मैं समझता हूं कि उन लोगों को जिनको आज तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है, जोकि भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई जायदादें नहीं हैं, जिनके पास कोई ड्वेलिंग नहीं है, जिनके पास कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, उनके लिए व्यवसायों और इन्डस्ट्रीज में व्यवस्था करना नामुमकिन बात है। अगर आप इन्डस्ट्रीज का विकास करें, तो उन लोगों के लिए काम जुटाने के लिए तो वह काम तो उन्हीं लोगों के पास जायगा, जिनके पास आज जायदादें हैं, जिनके पास शिक्षा है, और जिनको ट्रेनिंग मिली है। इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं कि वे लोग जिनके पास कोई भी जरिया शिक्षा शीक्षा का नहीं है, उनको जमीनें देकर उनकी रोजी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए क्योंकि जमीन के अलावा उनके विकास के लिए कोई दूसरे जरियों का मिलना नामुमकिन है जिनके द्वारा उनके जीवन यापन के जरियें जुटाये जा सकें, सिवाय इसके कि जमीन उनके दरमियान बांट दी जाय।

जो संकल्प इस हाउस के सम्मुख उपस्थित किया गया है, उसकी भावना का मैं जोरदार समर्थन करता हूं परन्तु जब मैं संकल्प को देखता हूं तो मेरे दिल में बड़ी विकलता पैदा हो जाती है और मैं समझता हूं कि उनको कानून की परिधि के अन्दर ही अपने संकल्पों को सदन में उपस्थित करना चाहिए, जहां कि कानून बनते ह। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि इस संकल्प को अच्छी

तरह से सोच समझ कर नहीं प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ३० एकड़ से अधिक भूमि किसी के पास न हो, परन्तु उसी के साथ-साथ आपको इस संकल्प में यह भी उपस्थित करना चाहिए था स्पष्ट शब्दों में कि एक खानदान, एक परिवार, कितने स्टैन्डर्ड का परिवार होगा, और कितने मेम्बर्स का होगा, ताकि उस परिवार के मेम्बर्स की तादाद को देख कर और उस परिवार के एकानोमिक स्टैन्डर्ड को मद्देनजर रखते हुए इस बात का फैसला किया जा सकता कि एक स्टैन्डर्ड फेमिली को कितनी जमीन की जरूरत होगी। उसी के साथ-साथ, मैं बतला देना चाहता हूं कि आप भूमि वितरण का जो प्रश्न इस सदन में उपस्थित करते हैं, आप को इस बात का भी फैसला करना होगा कि एकानोमिक होल्डिंग के लिए क्या स्टैन्डर्ड होगा, वह कितना समझा जायगा और कितने व्यक्तियों के लिए समझा जायगा। इन दो प्रश्नों का जब तक आप फैसला नहीं करते, तब तक मैं समझता हूं आप कि इस हाउस में एक प्रकार की समस्या उपस्थित कर रहे हैं और उसके कोई अर्थ नहीं हैं।

इसके साथ ही साथ मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि हम या कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति, जो थोड़ी बहुत बुद्धि रखता हो, वह इस बात के खिलाफ होगा कि फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स---जब कि वैसे ही खेत टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं---आगे और की जाय और यह अब नामुमकिन भी हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन सब लिमिटेशन्स को मद्देनजर रखते हुए हम सब को यह ताईद करनी है कि यह संकल्प सही रूप में उपस्थित किया जाय, जिसमें हमारे उन भाइयों की गुजर हो सके जिनके पास जमीनें और जायदादें नहीं हैं।

माननीय शुक्ल जी ने इस सदन में बहुत से तर्क उपस्थित किये और कहा कि हमको वाइलेन्ट तरीकों से इस मुल्क के अन्दर उन लोगों के लिए व्यवस्था पैदा नहीं करनी है। उससे यह मालूम होता था कि उनके दिमाग के अन्दर यह गलत फहमी है कि सदन जो कानून के जरिये व्यवस्था पैदा करता है, उस को वाइलेन्ट तरीका कहा कहा जा सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कानून के जरिये जमींदारी खत्म की गयी, कानून के जरिये इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको वाइलेन्ट तरीका कहते हैं, तो फिर किसी कानून के जरिये से जमीन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की कमजोर दलीलें, इस हाउस में खड़ी नहीं हो सकतीं, और ऐसी दलीलें, मैं समझता हूं कि किसी भी विचार-शील आदमी के दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दलीलों और तकरीरों में कोई सत्यता और सफाई की बात नहीं है। हमें इस प्रकार की दलीलों को दूर रखना चाहिए और निष्पक्ष भाव से सोचना चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में इस सदन के सामने बता देना चाहता हूं कि इस तरह से उन गरीबों को मिलने वाली जायदादों और मिलने वाले जरियों को सैबोटेज करना है। वस्तुस्थिति को देख कर मद्देनजर रखते हुए इस सदन में इस प्रकार के संकल्पों का समर्थन और विरोध होना चाहिए। इसलिए मैं मान्यवर सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमें एक मत से इस प्रकार के संकल्प का फैसला करना है जो कि हमारे राष्ट्र के लिए और उन गरीब लोगों के उत्थान के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जमीन की कमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वे लोग जिनके पास रुपया है, युनिवर्सिटी की शिक्षा है, इन्डस्ट्री है, ट्रेड है, सारे हमारे राष्ट्र का रुपया चन्द व्यक्तियों के हाथ में रख दिया गया है। हमारा मतलब तो यह था कि जीवनयापन के लिए बटवारा होना चाहिए। वरना अगर आप यह चाहते हैं कि जितने बड़े-बड़े लोग हैं और जितना ट्रेड है और कामर्स है, जितनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्ज हैं, उन्हीं के अधिकार में हो और जितनी बड़ी-बड़ी नौकरियां हैं, वे भी बड़े लोगों के लिए हों, तो आप समझते हैं कि भारतवर्ष की ३६ करोड़ जनता का कैसे इन्तजाम करने जा रहे हैं। हमको सोचना होगा। यह जबानी जमा खर्च नहीं है, और यह समना कि जनता के अन्दर कुछ विचार पत्र के द्वारा भेज दें इस से आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर पूरे तौर से विचार करना होगा। जो लोग समझते हैं कि भगवान के यहां से बुद्धि का पुलिन्दा उन्हीं के हिस्से में आया है वे गलत समझते हैं। जिन्होंने दुनिया के मुल्कों का विकास नहीं देखा, वे महज गलत बात करते हैं और मैं कहता हूं कि जब

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मुल्क के अन्दर तूफान आयेगा, तो वे लोग चूहे के बिल के अन्दर घुसने को तैयार होंगे। हमें मुल्क के अन्दर व्यवस्था करने के लिए पूरी सिचुएशन को रियलाइज करना है। हम देखते हैं कि आज हमें दाल रोटी मिल रही है, तो लोगों के अन्दर भी सन्तोष है जिनको कि संकल्प के समर्थन में आज अपने विचार प्रकट करने चाहिये थे, उन्होंने उसके खिलाफ विचार प्रकट किये। उनके अन्दर एक बड़ी खुशी होती है कि उनको स्पीकर साहब की ओर से एक समय भाषण देने को मिला है। परन्तु उन्होंने यह बड़ी भारी जिम्मेदारी को नहीं समझा कि वे सदन में इन्तजाम करने के लिए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष––आप सीधे सदस्यों से न कहें, मुझको सम्बोधित करके कहें।

श्री चन्द्रसिंह रावत––और केवल वोट का हक अपने नागरिकों को देकर हमको सन्तोष नहीं करना है। हमें हरएक को दाल रोटी, कपड़ा देना है। गरीबों के लिए जिन्दगी बसर करने के लिए छोड़ा स्टैन्डर्ड हो इसका आप को हल करना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जनता इतनी पिछड़ी हुई नहीं है, काश्तकारों के विचारों को इस समाज के अन्दर और इस राष्ट्र के अन्दर बरबाद कर दिया है जो विचार मनुष्य के अन्दर दृढ़ता पैदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रसिंह रावत––इन कमियों को देखते हुए जो कि इसके अन्दर हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)––माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प भवन के सामने प्रस्तुत है, और जिसके द्वारा बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय प्रकट की है कि इस संकल्प के मंजूर होने से गरीबी दूर होगी, और जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको कुछ मदद मिल सकेगी। लेकिन, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस संकल्प के मंजूर होने से यह तो नहीं जाहिर होता कि इससे खेतिहर मजदूरों की दिक्कतें हल हो सकेंगी। जो आंकड़े बताये गये हैं, कि इतने लोग ऐसे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, तो मैं आपके द्वारा यह कहता हूं कि जो १८ लाख एकड़ जमीन बचती है, उन किसानों की जमीनें अगर छीन ली जायं, जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो इससे खेतिहर मजदूरों की तकलीफें रफा नहीं हो सकतीं। और आज तक जिन विरोधी दलों के नेताओं की ओर से सब जमीन इकट्ठा कर फिर से बराबर-बराबर बटवारा करने की स्कीम सुनने में आती थी, आज उसी तरफ से ऐसा संकल्प सदन के सामने पेश किया गया, यह देख कर मुझे कुछ अचम्भा सा होता है। श्रीमन्, हमारे एक माननीय सदस्य श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने यह भी महसूस किया कि जो संकल्प इस समय प्रस्तुत है, उसके द्वारा जो जमीन ली जायगी, उसके बटवारे से हमारे खेतिहर मजदूरों का मसला हल नहीं होता है, उनके लिए कोई दूसरा हल निकाला जाय। तो श्रीमन्, जब उन खेतिहर मजदूरों को ठिकाने से जमीन भी न मिल सकेगी, और उनकी गरीबी भी दूर न हो सकेगी, तो फिर क्या लाभ होगा, इस प्रस्ताव से। इसके अलावा जिनके पास ३० एकड़ से बड़े खाते हैं और उनके पास शिकमी काश्तकार भी हैं, उनके लिए इस सदन में ऐसा कानून आने वाला है कि वे शिकमी काश्तकार जो जमीनें जोते हैं, वे उनके कब्जे में चली जायंगी। तो मेरे ख्याल में जो संकल्प आज उपस्थित है, इससे कोई फायदा नहीं मालूम होता है। मेरे दिल में एक भावना ऐसी जरूर उत्पन्न होती है कि हमारे विरोधी पक्ष वाले, जो यह आवाज उठाते हैं कि हम एक ऐसा नियम बनाना चाहते हैं कि जिस से सरकार कायम रहे तो मुझे कुछ धोखा सा प्रतीत होता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि हमारे ये माननीय विरोधी सदस्य सरकार के कब से इतने शुभचिन्तक हो गये। श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि एक ऐसा संकल्प ला कर . . . .

श्री अध्यक्ष––प्रस्ताव है विधेयक नहीं है।

श्री सियाराम चौधरी—जी हां, इस प्रस्ताव के जरिये से छोटे किसानों और बड़े किसानों के बीच में एक संघर्ष पैदा करना चाहते हैं और उस संघर्ष के द्वारा मुल्क में एक खलबली मचे इस इरादे के अलावा और तो मेरे खयाल से कोई बात फायदे की जाहिर नहीं होती। हमारे एक माननीय मित्र ने यह भी कहा कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं, जो आज भी अपने डेरे लिये हुए घूम रही हैं, उनको बसने के लिए कोई जमीन नहीं मिलती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिनका उन्होंने जिक्र किया, कलाबाज नट जो कहे जाते हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी है वे गरीब किसानों से कहीं ज्यादा मालदार हुआ करते हैं, उनके पास हजारों रुपये की मन्दराजी भैंसें हुआ करती हैं। ये घास छील कर नहीं खिलाते, महज दरख्तों का चारा काट कर उनको खिलाते हैं, और उनके दूध, घी को बेचते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनके पास और दूसरे पेशे हैं, उनकी अपनी जमीन नहीं है। श्रीमन्, तीन तरह से लोग जीविका कमाते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ मुलाजिमत से गुजर बसर करते हैं। और सिर्फ खेती के ऊपर इस तरीके से लोगों को निर्भर कर दें और उनको २-४ एकड़ जमीन दे भी दी जाय, तो भी उनके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने आज यह बतलाया है कि संकल्प में जो चीज रखी गयी वह यह है कि उन लोगों को जमीन दी जाये जिनके पास जीवन का कोई सहारा नहीं है। श्रीमन्, मुझे धोखा मालूम पड़ता है क्योंकि अगर उनके पास जीवन का कोई सहारा नहीं था तो किस तरह से अब तक वह जीते थे। यह जरूर है कि उनको थोड़ी जमीन देकर उस पर आश्रित कर के और झगड़े डाल देना है, ऐसा मालूम होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि अगर ऐसा किया गया तो उनका जो खयाल है कि काश्तकारों के बीच में जो कांग्रेसी सरकार की प्रतिष्ठा कायम है उसे हटाना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। हमारी सरकार ने यह नियम बनाकर जनता में शाया कर दिया था और सबको सूचित कर दिया था कि जिस जमीन के ऊपर जिसका कब्जा है वही उस जमीन का मालिक रहेगा। यह नियम बना दिया गया है कि जिसका जमीन पर कब्जा है वही उसकी जमीन रहेगी और वह अपनी जमीन का भूमिधर हो जायगा। भूमिधर या सीरदार, छोटे-छोटे किसान शिकमी जो जमीन जोतते हैं, वही उस जमीन के मालिक बन जायेंगे, तो मेरे खयाल से इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सिर्फ यही मंशा मालूम होती है कि किसानों के बीच में कांग्रेस सरकार को बदनाम किया जाय।

अभी हाल में सरकार की तरफ से वायदा किया गया था कि जिसका जिस जमीन पर कब्जा है, वह उसके पास रहेगी लेकिन ऐसा संकल्प मान लेने से उनका विश्वास सरकार पर से उठ जायगा। जिन से वायदा किया गया था कि जो अपनी काश्त में जमीन रखते हैं वही उसके मालिक रहेंगे। इन सब बातों से मालूम होता है कि विरोधी पक्ष सरकार की बदनामी के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। दिखाने के लिए वह केवल ऐसी बातें कहते हैं कि हम सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। हम संकल्प इसलिए ला रहे हैं कि सरकार के हाथ मजबूत हो जायं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से इस्तदुआ करता हूं कि इस संकल्प को मंजूर न किया जाय।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो यह संकल्प प्रस्तुत है वह बहुत स्वाभाविक और सरल है। आज हम इस प्रकार से अगर इसका पोस्ट-मार्टम करते हैं तो उसको अपर्याप्त पाते हैं। पहली बात इसमें ३० एकड़ की रक्खी गयी है जबकि सर्वोदय दृष्टिकोण से ३० एकड़ रहनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा संविधान में संशोधन की बात कही गयी है। जिस तरह से हमने जमींदारी का अबालिशन किया और उसके लिये १० गुना जमा किया उसी प्रकार से हम जिन भूमिहीन लोगों को भूमि दें तो सरकार उसके लिये कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दे जो किसान आसानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामजीसहाय]

से दे सके। इसलिये इसके लिये संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा है कि अमेरिका के पास साधन प्रचुर मात्रा में है हमारे पास नहीं है। चीन का ढंग अलग है। अब हमें देखना है कि हम कौन सा ढंग अख्तियार करें और कहां पर रुक जायं। अभी जो सर्वोदय दृष्टिकोण रक्खा गया उसमें यह बात है कि हम इस स्टेट को वैलफेयर स्टेट कहते हैं और आगे अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें कि 'वैलफेयर आफ आल' यानी सब का कल्याण हो, सर्वोदय हो, तब तो जो लोग अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं और जिनके पास कुछ नहीं है उनमें हम सामंजस्य पैदा कर सकते हैं। कहीं-कहीं यह शंका उठायी गयी और भूमि के आंकड़े दिये गये लेकिन उन आंकड़ों को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे एक किंवदन्ती याद पड़ी कि एक मुंशी जी नदी पार करना चाहते थे और उन्होंने यह हिसाब लगाया कि वह नदी पार कर जायेंगे और आंकड़ों के आधार पर जब उन्होंने नदी पार की तो बच्चे डूब गये। इसलिए आज देश की क्या आवश्यकता है और क्या भावना है वह देखना है। एक मित्र ने उसमें हिंसा की कल्पना की तो यह हिंसा उसमें कहां है? आपने विधान के द्वारा जमींदारी को मिटाया, दूसरी चीजों को मिटा दिया तो हिंसा की कोई बात नहीं है। एक महाशय ने यह कहा कि इससे पैदावार घटने की सम्भावना है। तो चीन में जो कुछ हुआ उसने हमें जो चावल दिया तो वह दिखाने के लिए नहीं दिया, बल्कि वह उसका सरप्लस प्रोडक्शन था और वह उसने भूमि के वितरण द्वारा ही प्राप्त किया था। इसलिए श्रीमन्, हमारी जो आवश्यकता है उस तरफ हमको देखना चाहिये। आज हम किस तरफ जायेंगे इस बढ़ती हुई आबादी में और किस दृष्टिकोण से इसको लेंगे? पश्चिमी अर्थशास्त्र से या शास्त्रीय दृष्टिकोण से। किस दृष्टि से लेंगे? आज विनोबा जी के बारे में कहा जाता है। वह कहते हैं कि हम तो एक वायुमंडल दे रहे हैं। यह नहीं है कि जो हम कहते हैं वही बात मान लो बल्कि वह सरकारों के लिए एक वायुमंडल पेश कर रहे हैं जिसके अनुसार वह अपने काम का अनुमान लगा सकती हैं।

जहां तक ग्राम उद्योग की बात है तो वह तो एक सहायक और अनुपूरक उद्योग की दृष्टि से हमें देखना है। महात्मा गांधी ने यह बताया कि वह सहायक उद्योग है। पहले भारतवर्ष में जो ग्राम उद्योग थे वे नष्ट हो गये, इसलिए कृषि से पूरा नहीं पड़ता है। लेकिन जिस कृषक के पास भूमि ही नहीं है वहां उसको.....

श्री चरणसिंह--आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं कि देवरिया में ८७ फीसदी के पास जमीन है और देवरिया फिर भी डेफिसिट है।

श्री रामजी सहाय--मेरा निवेदन यह है कि आधा एकड़ भूमि पर--कैपिटा पड़ती है और हर परिवार के पास ३ एकड़ भी मुश्किल से है। सम्भवतः मंत्री जी शिकायत करेंगे, लेकिन वह भूमि ३ लाख एकड़ ईख में, डेढ़ लाख बाढ़ में फंसी हुई है और वहां की आवश्यकतायें इस तरह से हैं कि वह भूमि उनको पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टिकोण से आपको देखना है। हमने यह कहा कि हमारे उद्देश्य को नष्ट न करें।

तो इस तरह से हमको आगे आना है। अगर हम नहीं आयगें तो हमें जबर्दस्ती हटा दिया जायगा, यह निश्चय सी बात है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और न मैं यह चाहता हूं कि मैं कोई बात आप से अतिरंजित करूं या भावावेश में कहूं। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि जो समय की पुकार है यह तो एक संकेत है भीतर से। उसके लिए सरकारी अधिनियम लाये जा सकते हैं। ब्योरे की चीजें लाई जा सकती हैं और जो कमियां हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। हम जब यह भी कहते हैं कि हमारे प्रांत ने सर्वदा मार्ग प्रदर्शन किया है तो हमें आशा है कि यह प्रांत हमारा इस उद्देश्य की पूर्ति में भी कुछ पीछे नहीं रहेगा और हमारा मार्ग प्रदर्शन करेगा और जो हमारे प्रांत की आवश्यकता है, जो देश की आवश्यकता है, उसका मार्ग भी प्रशस्त करेगा, केवल यही निवेदन है।

*श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमि का सम्बंध है मैं समझता हूं कि किसी देश की उन्नति के लिए यह चीज सर्वोपरि नहीं हो सकती। यदि कोई देश यह चाहे कि वह केवल भूमि से ही और खेती से ही अपने देश की समस्या को हल कर ले तो मैं यह समझता हूं कि यह एक गलत बात होगी। किसी देश की उन्नति के लिए, किसी देश को धनवान बनाने के लिए वहां के लोगों की आर्थिक समस्या को हल करने के लिए भूमि भी एक बहुत बड़ा साधन है किन्तु इसके अलावा और भी बहुत से साधन हैं जिनको बगैर हाथ में लिये कोई देश समृद्ध और धनाड्य नहीं हो सकता। जो भाई इसी बात पर अपनी सब की सब बहस और दलील निर्भर करना चाहते हैं कि भूमि मिल जाय, भूमि का वितरण हो जाय तो उससे हमारी समस्या हल हो जायेगी, मैं समझता हूं कि वह उनक एक भ्रम है और यह एक भ्रम ही भ्रम रह जायगा। ऐसे देश भी संसार के अन्दर हैं जहां पर भूमि बहुत कम है, खेती भी लोग कम करते हैं मगर आज वह देश संसार के धनाड्य देशों में गिने जाते हैं। हमारे सामने नीदरलैन्ड की मिसाल हैं, हालैंड की मिसाल हैं, वहां पर भूमि बहुत कम हैं, खेती भी कम होती है लेकिन वहां के लोग धनाड्य और समृद्धशाली हैं। इंग्लैंड की तरफ आइये। कितने आदमी वहां पर खेती करते हैं, कितनी भूमि वहां उनके पास है ? मगर वहां के लोग धनाड्य कहे जाते हैं और वाकई में धनाड्य हैं। हां, इस दुनियां के अन्दर ऐसे भी देश हैं कि जहां पर अगर होल्डिंग्स का हिसाब लगाया जाय तो वहां १४५ एकड़ के हिसाब से होल्डिंग्स अमेरिका के अन्दर पड़ती है। मगर वह दशा हमारे देश की तो नहीं है। हमारे यहां की आबादी इतनी घनी है, इतनी बढ़ती जा रही है कि हम भूमि को उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। हमारे यहां समस्त भारतवर्ष का हिसाब लगाया जाय तो पर-कैपिटा ५ एकड़ भूमि पड़ती है और अगर हम अपने प्रांत की बात को लें तो हमारे यहां ढाई एकड़ फी आदमी भूमि का औसत पड़ता है। यह बात तो अपनी जगह सत्य है। मगर मैं यह भी मानता हूं कि अधिक भूमि अगर मिले तो अधिक भूमि का भी ऐसा प्रबन्ध करना पड़ेगा। मैंने सदन में एक समय इस बात पर बोलते हुए कि यह जो तनख्वाहें तीन-तीन हजार से ऊपर हैं उनके कम करने के क्या कारण हैं इस बात पर बोलते हुए यह कहा था कि इससे एक मनोवृत्ति पैदा हो जाती है लोगों में। जब वह इस बात को देखते हैं कि कुछ लोगों की तनख्वाह इतनी ज्यादा है या उनके पास भूमि इतनी ज्यादा है तो उनके भीतर जो मनोवृत्ति पैदा होती है उस मनोवृत्ति को ठीक करना है। जब हम यह देखते हैं कि एक सज्जन के पास ५ हजार एकड़ भूमि है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है तो आप समझिये कि उसके दिल के अन्दर किस तरह के भाव पैदा होंगे। मैं समझता हूं कि यह जो ३० एकड़ भूमि की व्यवस्था का सवाल है और जो अभी २४ अप्रैल के पत्र में पढ़ने से जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा है कि हमें भूमि का एक सीलिंग जरूर मुकर्रर कर देना चाहिये, यह कर देना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि चाहे भले ही इस बात के लिए तो यह आवश्यक नहीं है कि वह हमारी आर्थिक समस्याओं का हल कर सकता है लेकिन भूमि का सीलिंग मुकर्रर कर देना और यह निश्चय कर देना कि ३० एकड़ से ज्यादा भूमि किसी के पास न रहे यह एक दूसरे पहलू से बहुत आवश्यक है। ऐसा कर देना से हमारे सबके मनों की भावना ठीक हो सकती है और उन लोगों के जो यह विचार बन गये हैं कि भूमि मात्र से ही हमारी समस्यायें हल हो सकती हैं उनका भी जवाब ठीक प्रकार से मिल सकता है। इसके साथ-साथ मैं यह चीज मैं जानता हूं कि आज नहीं तो एक वर्ष में, दो वर्ष में या तीन वर्ष में यह चीज जरूर होने वाली है क्योंकि इस समस्या की तरफ लोगों का रूझान हो गया है। मगर मैं अपने लोगों को इस बात से भी पूर्णनया वाकिफ करा देना चाहता हूं कि हमारी समस्या का हल केवल भूमि का वितरण नहीं है। बल्कि हमारी समस्या का हल देश के अन्दर अच्छे-अच्छे कार्य, अच्छे-अच्छे व्यापार और अच्छी-अच्छी फैक्ट्री को बढ़ा लेने से होगा। अगर हमारे देश को उन्नति करनी है तो हमें भूमि पर बोझा हल्का करना पड़ेगा। अगर आप इस भूमि के इतिहास को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि सन् १८७१ से सन् १९५१ तक हमारे यहां भूमि कट-कट कर इतनी थोड़ी रह गयी, होल्डिंग इस कदर कम हो गयी कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्त सिंह]

अब इससे ज्यादा होल्डिंग को कम करना अनइकोनामिक होता जा रहा है। और आपके देश के अन्दर ऐसी भूमि की ऐसी व्यवस्था होने जा रही है कि इसके लिए गवर्नमेंट को फौरन सोचना पड़ेगा और इस बात का प्रबन्ध करना पड़ेगा कि आपकी भूमि पर अधिक बोझ न बढ़े। इतना बोझ बढ़ता जाता है दिनोंदिन भूमि पर कि वह इस बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए आवश्यक है कि इस देश की जो इस समय दशा चल रही है हमको यह करना पड़ेगा कि जो लोग खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं उनको वहां से हटाना पड़ेगा। अगर आपको अपने देश को समृद्धशाली बनाना है तो आपको अपने देश में काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश सुखी और सम्पन्न हो, अगर आप यह चाहते हैं कि केवल-मात्र भूमि से आपकी समस्या हल हो जाय तो जैसा मैंने पहले कहा है यह एक मृगतृष्णा मात्र होगी। बहुत से भाई कहते हैं कि आपके पड़ोसी देश——चीन ने अपनी समस्या को किस प्रकार हल कर लिया। हो सकता है कि इस समस्या को हल करने की चीन ने कोशिश की हो। मगर मैं बतला देना चाहता हूं कि आपके देश में अगर एक एकड़ या आधा एकड़ अपने किसान को दे दें तो उससे समस्या हल होने वाली नहीं है। इस सदन के अधिकतर सदस्य गांवों से आये हैं वह समझते हैं कि एक एकड़ भूमि या आधा एकड़ भूमि देकर समस्या को हल करना चाहें तो हल नहीं होगी। चीन के अन्दर मैं समझता हूं कि क्या कारण थे इस भूमि के वितरण करने के उनको देखने की आवश्यकता है। चांकाई शेक की मिसाल उनके सामने थे। भूमि अच्छी प्रकार व्यवस्थित न करने के कारण चांकाई शेक को चीन से भागना पड़ा। इसलिये माओत्सेतुं ने सबसे पहले यह सोचा कि यहां के लोग भूमि के भूखे हैं उस भूख को किसी न किसी प्रकार मिटाना चाहिये। कारण उसका क्या था? वहां बड़े-बड़े जमींदार थे। उनकी पूर्ण सत्ता थी जमीन के ऊपर। जब वह चाहते जमीन छीन लेते थे। उनके यहां लोग नौकर की तरह रहते थे। दरअसल वहां टिनेंटरी ही नहीं थी। और टिनेंटरी न होने के कारण लोगों में भूमि की भूख इतनी थी कि किसी प्रकार आधा एकड़ भूमि मिल जाय, पौन एकड़ भूमि मिल जाय। आपके प्रांत में कितने लैंडलेस लेबरर हैं। उनके पास भूमि नहीं है उनकी तादाद कितनी है। तब आपको अपने प्रांत की समस्या समझ में आ जायगी। आपके यहां भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या ३६ लाख २ हजार १०६ है। वह लोग जिनके पास अपनी या पराई भूमि है जिस पर वह इस समय काश्त कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिनके पास भूमि है चाहे वह उसकी अपनी जमीन हो या दूसरे की जमीन जोतता हो, जिस जमीन को वह जोतता है उसे अपनी कह सकता है। उनकी तादाद आपके प्रान्त के अन्दर चार करोड़ २५ लाख १० हजार ८४० है और आपके यहां भूमि जो खेती के अन्दर है उसका क्षेत्रफल ३ करोड़ ८५ लाख ७१ हजार एकड़ है तो इन आंकड़ों से आप देखेंगे कि अपने यहां भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत कम है। चीन के अन्दर तो लोग जमीन के मालकि नहीं थे। भूमि पर मजदूरी करते थे। वहां पर किसी प्रकार का खेत पर अधिकार नहीं था। मगर आपके यहां यह समस्या है नहीं। आपके यहां जितने खेतिहर मजदूर हैं उनकी समस्या को हल करना है। उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। आज जो आपके पास भूमि है जो कि पहले से ही मैं समझता हूं ढाई एकड़ को किसान के जो आंकड़े हमारे सामने गवर्नमेंट ने बांटे हैं। मैं समझता हूं कि इससे भूमि किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं हो सकेगी। मैं यह मानता हूं कि ढाई एकड़ भूमि किसी के पास हो तो उसे आप अच्छा काश्तकार न समझियेगा। उससे किसी भी प्रकार देश की तरक्की नहीं हो सकती और न देश की समस्यायें ही हल हो सकती हैं। अगर वह सारी उम्र खेती में लगा रहे और अपने देश की समस्याओं को न सोच समझ सके, न देश की तरक्की के लिये कोई बात सोच सके तो इससे तो मैं भूखों मरना ज्यादा अच्छा समझता हूं। अगर आज मेरे अन्दर यह विचार है कि मैं दुनियां के अन्दर तरक्की कर सकूं, दूसरों से अपना हक ले सकूं तो यह कहीं अच्छा है बमुकाबिले उस किसान के जो खेती में ही लगा रहता है, जो जानवरों जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। मैं ऐसा किसान नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के किसान के अन्दर तड़प हो, वह देश की समस्याओं को समझ सके, बच्चों को पढ़ा सके, और बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह पर

भेज सके। मैं देखता हूं कि कुछ लोगों की कांसपिरेसी है। वह चाहते हैं कि किसान हमेशा के लिए कमजोर हालत में बना रहे। इसलिए मेरी तो मांग यह है कि किसान की समस्या को आप रोटी की ही समस्या न समझिये। किसान की समस्या को हमें इस रूप में देखना है कि वह देश का अच्छा नागरिक बन सके। इसके लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे वह अपनी आमदनी में कुछ इजाफा कर सके। लेकिन अगर आप जमीन के अन्दर कुछ लोगों को बैठा देते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे जिन लोगों के पास जमीन नहीं है या जिन के पास जमीन है उन दोनों का किसी भी प्रकार से उपकार होने वाला नहीं है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि जो नीति इस समय हमारे प्रदेश की सरकार की चल रही है वह नीति बहुत कुछ ठीक है क्योंकि हमारी सरकार की यह नीति है कि वह आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े किसानों और जमींदारों को खत्म करना चाहती है। यह तो कानून बना ही हुआ है कि कोई शख्स तीस एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। जिनकी ज्यादा है उसमें सब-डिवीजन होंगे, वह बेच सकेगा, अगर किसी के पास तीस एकड़ से ज्यादा भूमि है तो वह और भूमि नहीं रख सकता। तो यह तो साफ है कि जिनके पास तीस एकड़ से ज्यादा भूमि है उनकी जमीनें जा रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो नीति सरकार की चल रही है वह ठीक है। एक कठिनाई और है। भूमि पर कृषि-आय-कर लगाया गया है मैंने तो पार्टी मीटिंग में कहा था कि चार पांच वर्ष बाद आप देखेंगे कि जब रुपए में दस आने लोगों पर टैक्स लगेगा तो वह कैसे जिन्दा रह सकेगा, कितने दिन वह जमीन अपने पास रख सकेगा। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि यह जो तीस एकड़ का प्रतिबन्ध है यह ठीक है। इसके अतिरिक्त "एक ऐसा कानून बनायें जिसके जरिये से यह जो रिवोल्यूशन हम करना चाहते हैं वह जल्दी हो जाय और हमें ज्यादा दिनों तक वेट न करना पड़े।

प्राक्कलन समिति, वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति तथा कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब माननीय सदस्य अगले दिन बोलेंगे। मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं।

प्राक्कलन समिति में २५ स्थानों के लिए ३७ नाम नामांकित किये गये थे। निम्नलिखित १२ अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं:--

सर्वश्री राम सुमेर, पुत्तू लाल, जयपाल सिंह, रामेश्वर प्रसाद, तेजप्रताप सिंह, तेजबहादुर, झारखंडे राय, जोरावर वर्मा, चिरंजी लाल जाटव, उल्फत सिंह चौहान, राम हेत सिंह तथा श्रीमती लक्ष्मी देवी।

जो शेष २५ सदस्य रह गये हैं उनके नाम भी पढ़े देता हूं और उनको निर्वाचित घोषित करता हूं।

१--श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट
२--श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा
३--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल
४--श्री लक्ष्मी शंकर यादव
५--श्री वंशीधर मिश्र
६--श्री कालिका सिंह
७--श्री राम स्वरूप भारतीय
८--श्री शिवनारायण
९--श्री नारायणदीन वाल्मीकि
१०--श्री कैलाश प्रकाश
११--श्री दीन दयालु शर्मा
१२--श्री नवलकिशोर

[श्री अध्यक्ष]

१३–श्री जगदीश प्रसाद
१४–श्री बाबू लाल मीत्तल
१५–आचार्य जुगलकिशोर
१६–श्री शांति प्रपन्न शर्मा
१७–श्री इस्तफा हुसेन
१८–श्री शिवकुमार शर्मा
१९–श्रीमती सईद जहां मखफी शेरवानी
२०–श्री रामनारायण त्रिपाठी
२१–श्री वीरेन्द्र शाह
२२–श्री शिव प्रसाद
२३–श्री शिवराज सिंह यादव
२४–श्री गंगाधर मैठाणी
२५–श्री महावीर प्रसाद शुक्ल

इस समिति की अध्यक्षता के लिये मैं श्री आचार्य जुगलकिशोर को नियुक्त करता हूं।

वित्त समिति

वित्त समिति में १४ स्थानों के लिये २१ नाम नामांकित किये गये थे। निम्नलिखित ७ अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं।

१–श्री जोरावर वर्मा
२–श्री तेज बहादुर
३–श्री झारखंडे राय
४–श्री तेज प्रताप सिंह
५–श्री राम सुमेर
६–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
७–श्री पुत्तू लाल

शेष १४ नाम जिनकी घोषणा मैं पहिले कर चुका हूं निर्वाचित घोषित किये गये।

सार्वजनिक लेखासमिति

इस समिति के २० स्थानों के लिये २६ नाम नामांकित किये गये थे निम्नलिखित ६ व्यक्ति ने अपने नाम वापस ले लिये हैं।

१–श्री राम सुमेर
२–श्री हरदयाल सिंह पिपल
३–श्री तेज प्रताप सिंह
४–श्री तेज बहादुर
५–श्री झारखंडे राय
६–श्री चिरंजी लाल जाटव

शेष २० सदस्य सूची में विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

अन्य समितियां

कतिपय सदस्यों के त्यागपत्र दे देने के कारण जिसकी घोषणा आज प्रातःकाल की गयी थी, पुलिस यातायात, सिंचाई, सूचना, माल, रसद, जेल, सार्वजनिक निर्माण-विभाग, (बिद्युत) चिकित्सा, विकास व नियोजन में एक स्थान तथा वन, श्रम, उद्योग, न्याय,

आबकारी में दो दो स्थान रिक्त हैं। इन स्थानों की पूर्ति के लिये आज ३ बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। समय के भीतर निम्नांकित अभ्यर्थियों के पक्ष में नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

पुलिस	के लिये	श्री नारायण दास
यातायात	,,	श्री अनन्त स्वरूप सिंह
सिंचाई (पी०डब्लू०डी०)	,,	श्री गिरजा रमण
सूचना	,,	श्री ख्याली राम
माल	,,	श्री रामलखन मिश्र
रसद	,,	श्री कृष्ण चन्द्र
जेल	,,	श्री सूर्य बली पांडेय
सा० ज० नि० विभाग	,,	श्री मुश्ताक अली
चिकित्सा	,,	श्री राम किंकर
विकास व नियोजन	,,	श्री काली चरण टंडन
वन	,,	१—श्री जगपत सिंह २—श्री सुन्दर लाल
श्रम	,,	१—श्री राम राज शुक्ल २—श्री राम भजन
उद्योग	,,	१—श्री राजा राम २—श्री छेदा लाल चौधरी
न्याय	,,	१—श्री शिवराज बली सिंह २—श्री राजा राम मिश्र
आबकारी	,,	१—श्री परमेश्वरी लाल २—श्री मन्नी लाल गुरुदेव

इनकी सचिव ने सूक्ष्म परीक्षा की और इन सब को विधवत् पाया। कल १५ मई को १ बजे तक का समय नाम वापसी के लिये है। यदि इस समय के भीतर कोई नाम वापस न हुए तो ये सदस्य निर्वाचित घोषित किये जायेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१४ मई, १९५४।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४ व ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

THE GOVERNOR,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Your Excellency,

We write this letter in great anguish. The way we were arrested without least provocation or cause by the Police at Darshanpurwa on the day the bye-election to the Parliamentary seat was taking place here when we had gone at about 1 P. M. to enquire into the details of the brutal *lathi* charge that had just then taken place there, has left no doubts in our minds that the authorities who should be custodians of our democratic liberties are fast becoming their destroyers. Whatever hesitation we had in coming to the above conviction has now been removed by knowing the criminal sections levelled against us and the fantastic lies spun by the District Magistrate of Kanpur in his narration of the events leading to our arrests which he has communicated to the Speaker of the Legislative Assembly. We would have gladly followed the normal routine of defending ourselves in a court of law, had we not been tormented by the thought that it is a monstrosity to allow the prosecuting authorities unlimited room for harassing citizen of our Republic by framing false and malicious charges with ulterior political motives. We view the whole situation as a great moral challange to ourselves. It is not a petty personal matter or offence. We have to make our supreme effort to meet the challenge of bureaucracy that has resolved to destroy the Majesty of Law and the democratic freedom to which the humblest citizen is entitled. We have no doubts in our minds that such total disregard for truth as they have evinced is bound to lead to violent reactions which may be fatal to the welfare of our country and shall strick at the root of our nascent democracy.

Ever since our arrival in this prison we have sent repeated communications to Government laying bare the whole truth regarding the events connected with our arrests and demanded judicial enquiry but we have not been favoured with any reply. On the other hand the local authorities have with amazing persistence continued to malign us and to derogate us in the eyes of the public and what is much more painful,to deceive wilfully our Legislative Assembly by posting it with false facts to cover their own atrocities. Our confinement in prison as ordinary Criminals in (C) class is not an unusual phenomenon. The Kanpur authorities under direct encouragement from the U. P. Ministers concerned, have of recent made it their general policy to persecute trade unionists and political opponents by framing false charges; by putting obstacle in bailing out under-trials and prolonging judicial proceedings and to choke public opinion by imposing irritating restrictions on meeting and processions. We are convinced that under such blasting conditions the delicate plant of democracy can not thrive in our land and if these undemocratic forces are not stoutly resisted only disaster is to overtake us in the near future.

In all humility, therefore we intimate to you that we demand better treatment for political prisoners and a Judicial enquiry committee presided by a High Court Judge to give its findings on all matters connected with the *lathi* charge on workers; the demeanour of the local authorities on the election day and other incidents culminating into our arrests and after. We shall

anxiously await your acceptance of our submission till the 13th of this month. Thereafter we commence our hunger strike into death or uptil the acceptance of our demands.

We assure, Your Excellency, that we are taking this extreme step after very considerable deliberation just because it is no longer possible for us to repress our inner urge for offering non-violent resistance to the bureaucratic obduracy and cussedness of this magnitude. Only thus can we keep our conscience and regain lost cheer.

Yours,

RAJ NARAIN, M. L. A.
Leader of Opposition,
U. P. Assembly,

Dated 6th May, 1954.

Kanpur District Jail,
Kanpur.

Copy for information :

1. Pt. Jawahar Lall Nehru, Prime Minister of India.
2. Dr. Rajendra Prasad, President of India.
3. Dr. Radha Krishanan, Vice President of India.
4. Chief Minister for U. P., Lucknow.
5. Acharya J. B. Kripalani, M. P.
6. Acharya Narandra Deva, M. P.
7. Deputy Leader of Opposition, Uttar Pradesh Assembly, Lucknow.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

जिला जौनपुर का थानेवार अपराधों का नक्शा

क्रम सं०	थाने का नाम	डकैती	राहजनी	क़त्ल	दंगे	चोरी
१	कोतवाली	..	..	२	४	८	५३
२	रामपुर	..	१	..	४	२	१४
३	मीरगंज	..	..	..	२	६	२२
४	मडियाहूं	..	१	१	२	३	३६
५	मछली शहर	..	..	..	२	४	२७
६	बादशाहपुर	..	२	..	१	३	१३
७	सुजान गंज	..	..	..	५	१	२७
८	शाहगंज	..	१	..	..	४	२५
९	सरपटाहा	..	..	..	..	७	१२
१०	सराय राजा	..	१	१	..	४	१८
११	बरसा ..	..	..	..	२	३	३४
१२	बादशाहपुर	..	१	१	१	२	२०
१३	असारतपुर	..	..	..	१	४	२३
१४	अन्दहाक	..	..	..	१	४	११
१५	किराकत	..	..	..	२	..	२४
	कुल जोड़	..	७	५	२७	५०	४०९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ--३५३--पर)

तालिका जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर में किया गया है।

क्रम संख्या	हायर सेक्रेन्डरी स्कूल का नाम				१९५३-५४ में स्वीकृत अनुपालन अनुदान
					रु०
१	शिबली नेशनल	उच्चतर	माध्यमिक	विद्यालय ..	१७,२८०
२	एस० के० पी	,,	,,	,, ..	८८८०
३	वेसले ..	,,	,,	,, ..	१५,६६०
४	स्मिथ ..	,,	,,	,, आजमतगढ़	९७०८
५	डी० ए० वी ..	,,	,,	,, ..	१२,१६८
६	विन्देश्वरी ..	,,	,,	,, तुलसीनगर, खानदौरा	४०८०
७	महाराजगंज ..	,,	,,	,, महाराजगंज	५१९६
८	चौरा बेलहा ..	,,	,,	,, तरवा	३५५२
९	जीवनराम ..	,,	,,	,, मऊनाथ भंजन	९०००
१०	बापू ..	,,	,,	,, कोपागंज	३७८०
११	मुस्लिम ..	,,	,,	,, मऊनाथ भंजन	४६५६
१२	गांधी ..	,,	,,	,, मारूफपुर	४४८८
१३	श्री दुर्गा जी ..	,,	,,	,, चन्देसर	११,५२०
१४	डी० ए० वी० ..	,,	,,	,, मऊनाथ भंजन	७००८
१५	नेशनल ..	,,	,,	,, भरौली ..	५६२८
१६	विक्टरी ..	,,	,,	,, दोहरीघाट	७२९६
१७	गयादीन जायसवाल ..	,,	,,	,, जायसवाल नगर	७०८०
१८	श्री शहीद ..	,,	,,	,, मधुबन ..	६५०६
१९	गांधी ..	,,	,,	,, कूबा, मेहनाजपुर	५५५६
२०	श्री अग्रसेन आर्य कन्या पाठशाला		,,	,, ..	४९८०
२१	मदरसा निस्वा, पहाड़पुर	,,	,,	,, ..	३१५६

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

कानपुर की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को सन् १९५२–५३ में दिये अनावर्तक अनुदानों का विवरण।

अनावर्तक अनुदान

क्रम संख्या	संस्था	भवन निर्माण	उपस्कार	माध्यमिक शिक्षा विभागीय अनुदान	पूरक	पुस्तकालय अनुदान
१	२	३	४	५	६	७
		रु०		रु०	रु०	रु०
१	बी० एन०, सनातन धर्म	..	१००० रु०	२०००	३०००	..
२	दोसर वेश कानपुर, कैंटूमेंट	..	२०० उ० शि० सं०	..	..	..
३	ग्रामोद्योग, पुखरायां	..	५०० ५००			
			१५० रु० उ० शि० सं०			
४	गुरु नारायण खत्री	..	३०० रु० उ० शि० सं०			
५	राम प्रसाद सार्वजनिक ऊरा	..	१५० रु० उ० शि० सं०			
६	श्री मारवाड़ी विद्यालय	..	३०० रु०			
६	श्री भास्करानन्द विद्यालय, नरवल	..	..	..	१०००	
७	डी० ए० वी०	..	..	५००	..	..
८	भारतीय विद्यालय		२०० उ० शि० सं०			
९	आर्य नगर	..	..	५००	१०००	
१०	पं० पृथ्वीनाथ	..	१५० उ० शि० सं०			
११	हर सहाय जगदम्बा सहाय	१०००	१५० उ० शि० सं०	५००	५००	
					पुनःस्वीकृत किया गया	

१२	आदर्श वंग विद्यालय	..	..	..	४०० उ० शि० सं०		
१३	कानपुर ..	..	..	..	..	५००	
१४	गुरु नानक	..	..	१०००	८०० उ० शि० सं०		
					२५० उ० शि० सं०	५००	
१५	जे० पी० आर० एन० जाजमउना	..	..	..	२०० उ० शि० सं०		५५०
१५	(अ) राष्ट्रीय रेल बाजार	..	..	..	..	..	२५०
१६	ओमर वैश	..	..	..	२०० उ० शि० सं०		
१७	विद्यामन्दिर विद्यालय अमरौधा	..	..	२०००			
१८	माडल उद्योगशाला, गोविन्दनगर	..	..	..	..	..	५००
					बालिकाओं के विद्यालय		
१९	श्री जे० डी० मारवाड़ी बालिका, विद्यापीठ	..	..	..	५००	..	..
२०	हरीकृष्ण कैलाश नाथ महिला इंटर कालेज	..	..	..	..	..	२५०
२१	हडसन मेमोरियल कन्या जूनियर हाई स्कूल, कानपुर	..	..	..	..	..	१६८
२२	हिन्दू संस्कृत पाठशाला पछला बिल्होर, कानपुर	..	२०००	..	..	..	..
२३	मदरसा जियायुल उल्लम कुली बाजार, कानपुर	..	५००	..	..	..	..
					संस्कृत पाठशालाएं		
२४	आयुर्वेदिक हिन्दी संस्कृत पाठशाला वर्चना, कानपुर	..	..	..	..	..	५०
२५	बल्देव सहाय संस्कृत महाविद्यालय, कानपुर	..	..	..	..	..	५०
२६	रामजानकी संस्कृत पाठशाला गौरीपुर, अकबरपुर, कानपुर		..	..	..	..	५०
२७	विद्या विनोद संस्कृत पाठशाला, मौनीघाट, नवाब गंज, कानपुर		..	..	..	..	५०
२८	रामचन्द्र संस्कृत पाठशाला, मन्धना, , कानपुर	..	..	..	..	..	५०
२९	श्री भारती वेद विद्यालय, मुंशीपुरवा, कानपुर	..	..	..	..	..	५०
					अरबी मदरसा		
१	जिआउल उलूम, कानपुर	..	..	..	..	..	१००

नोट—दूसरे स्तंभ में जहां धन के आगे उ० शि० स० लिखा है, का यह तात्पर्य है कि उस धन को उप शिक्षा संचालक तृतीय मंडल इलहाबाद ने वितरण किया है और शेष धन शिक्षा संचालक उ० प्र० ने किया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

आजमगढ़ जिले में गत जनवरी और फरवरी में हुई चोरी, डकैती, क़त्ल और बलवों का विवरण

क्र.सं०	पुलिस स्टेशन का नाम	डकैती	क़त्ल	बलवे	चोरियां
१	कोतवाली	..	..	..	६
२	कन्धारपुर	..	..	..	३
३	महाराजगंज	..	..	..	१
४	अतरौलिया	..	..	..	१
५	अहरौला	..	..	१	१
६	पावाई	..	..	१	..
७	निजामाबाद	..	..	..	५
८	जियानपुर	१	१	१	५
९	रौनापुर	१	१	..	२
१०	सरायमीर	..	..	..	३
११	गम्भीरपुर	..	..	..	..
१२	बरदाह	..	..	१	२
१३	देवगांव	..	..	..	१
१४	तारवा	..	..	१	३
१५	चिरायाकोट	..	..	..	१
१६	मउ	..	..	..	१८
१७	मोहम्मदाबाद	..	..	..	३
१८	मुबारकपुर	..	..	..	३
१९	दोहरीघाट	..	..	..	२
२०	मधुवन	..	१	..	४
२१	घोसी	..	..	..	३
	योग ..	१	३	५	६७

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५३ एल० ए०—१९५४—८५० ।